



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-02022021-224869
CG-DL-E-02022021-224869

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3 — उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-Section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 51]

नई दिल्ली, सोमवार, फरवरी 1, 2021/ माघ 12, 1942

No. 51]

NEW DELHI, MONDAY, FEBRUARY 1, 2021/MAGHA 12, 1942

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 फरवरी, 2021

सं. 2/2021-सीमाशुल्क

सा.का.नि. 60(अ).—केन्द्रीय सरकार, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) और सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की धारा 3 की उपधारा (12) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि ऐसा करना लोक हित में आवश्यक है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 50/2017-सीमाशुल्क, तारीख 30 जून, 2017 में, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में, सा.का.नि. 785(अ), तारीख 30 जून, 2017 द्वारा प्रकाशित की गई थी, का निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना में,-

1. सारणी में,-

(1) क्र. सं. 20 के सामने, स्तंभ (3) में, प्रविष्टि के स्थान पर, “दलहन [मटर (पाइसम साटिवम) तुअर, चने, काबुली चना, बंगाल चना और मसूर (दाल) के सिवाय]” प्रविष्टि रखी जाएगी;

- (2) क्र. सं. 20क, 21क, 21ख, 21ग, 21घ के सामने स्तंभ (4) में, प्रविष्टि के स्थान पर, 10% प्रविष्टि रखी जाएगी;
- (3) क्र. सं. 21ङ और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा;
- (4) क्र. सं. 32क के सामने स्तंभ (4) में, प्रविष्टि के स्थान पर, 15% प्रविष्टि रखी जाएगी;
- (5) क्र. सं. 32ख के सामने स्तंभ (4) में, प्रविष्टि के स्थान पर, 35 % प्रविष्टि रखी जाएगी;
- (6) क्र. सं. 44 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा;
- (7) क्र. सं. 57, 61, 70 के सामने स्तंभ (4) में, प्रविष्टि के स्थान पर, 15% प्रविष्टि रखी जाएगी;
- (8) क्र. सं. 104 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
"104क	2204, 2205, 2206, 2208	सभी माल	50%	-	-";

- (9) क्र. सं. 107, 109, 110, 111, 112, 114, 116, 118 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा;
- (10) क्र. सं. 119 के सामने, स्तंभ (3) में, प्रविष्टि के स्थान पर, "झींगा लारवा आहार" प्रविष्टि रखी जाएगी;
- (11) क्र. सं. 119 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्र. सं. और प्रविष्टियां अन्तःस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
"119क	अध्याय 23 (2309 10 00 को छोड़कर)	सभी माल	15%	-	-";

- (12) क्र. सं. 130 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित क्र. सं. और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्:-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
"130	2528	सभी माल	2.5%	-	-";

- (13) क्र. सं. 131, 140 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा;

- (14) क्र. सं. 141 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्र. सं. और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्:-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
"141	2701, 2702, 2703	सभी माल	1%	-	-";

- (15) क्र. सं. 147क के सामने, स्तंभ (4) में, प्रविष्टि के स्थान पर, "2.5%" प्रविष्टि रखी जाएगी;

- (16) क्र. सं. 175 के सामने, स्तंभ (2) में, प्रविष्टि के स्थान पर, "2501" प्रविष्टि रखी जाएगी;

- (17) क्र. सं. 202, 203, 209 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा;

- (18) क्र. सं. 210 के सामने, स्तंभ (4) में, प्रविष्टि के स्थान पर, "5%" प्रविष्टि रखी जाएगी;

(19) क्र. सं. 219 के सामने, स्तंभ (2) में, “3102 21 00” अंक के स्थान पर, “3102 21 00, 3102 30 00” अंक रखे जाएंगे;

(20) क्रम सं. 219 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
“219(क)	3102 30 00	सभी माल	2.5%	-	”;

(21) क्र. सं. 221, 226, 228 के सामने, स्तंभ (4) में, प्रविष्टि के स्थान पर, “शून्य” प्रविष्टि रखी जाएगी;

(22) क्र. सं. 229 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का 1 अप्रैल, 2021 से लोप किया जाएगा;

(23) क्र. सं. 230 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा;

(24) क्र. सं. 237 के सामने, स्तंभ (6) में, प्रविष्टि के स्थान पर, “9 और 22” प्रविष्टि रखी जाएगी;

(25) क्र. सं. 254, 255 के सामने, स्तंभ (6) में, प्रविष्टि के स्थान पर, “9 और 24” प्रविष्टि रखी जाएगी;

(26) क्र. सं. 257 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्:-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
“257	39, 48 या कोई अन्य अध्याय	सद्भावी निर्यातकों द्वारा आयातित टैग, लेबल, स्टिकर, बेल्ट, बटन, हैंगर या प्रिंटेड बैग (जो पॉलिथिन, पॉलीप्रोपाइलिन, पीवीसी, उच्च आण्विक या उच्च सघन पॉलीएथिलिन से बने हों)	शून्य	-	108”;

(27) क्रम सं. 272 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा;

(28) क्रम सं. 273 के सामने, स्तंभ (4) में, प्रविष्टि के स्थान पर, “5%” प्रविष्टि रखी जाएगी;

(29) क्रम सं. 284 के सामने, स्तंभ (3) में, मद (iii) के पश्चात् निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

-

“स्पष्टीकरण - किसी शंका का समाधान करने के लिए, इस प्रविष्टि में प्राकृतिक रबर लेटेक्स के बने खिलौने गुब्बारे (खिलौने गुब्बारे सीमाशुल्क टैरिफ शीर्ष 9503 के अधीन वर्गीकृत हैं), सम्मिलित नहीं हैं।”;

(30) क्रम सं. 285 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा;

(31) क्रम सं. 292 के सामने, स्तंभ (6) में, दोनों स्थान पर, प्रविष्टि के स्थान पर, “9” प्रविष्टि रखी जाएगी;

(32) क्रम सं. 293क और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्:-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
“293क	48	समाचार पत्रों के मुद्रण में प्रयुक्त निम्नलिखित माल, अर्थात्:- (i) न्यूज़ प्रिंट (ii) न्यूज़ प्रिंट (इसके सरफेस रफनेस से भिन्न) के विनिर्देशन के अनुरूप अन्य अनकोटेड पेपर	5%	-	31%”;

- (33) क्रम सं. 293ख, 305 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा;
- (34) क्रम सं. 311, 312, 313 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का 1 अप्रैल, 2021 को लोप किया जाएगा;
- (35) क्रम सं. 314 के सामने, स्तंभ (4) में, प्रविष्टि के स्थान पर "5%" प्रविष्टि रखी जाएगी;
- (36) क्रम सं. 315 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा;
- (37) क्रम सं. 318 के सामने, स्तंभ (3) में, प्रविष्टि के स्थान पर "सभी माल" प्रविष्टि रखी जाएगी;
- (38) क्रम सं. 319 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा;
- (39) क्रम सं. 321 के सामने, स्तंभ (3) में, प्रविष्टि के स्थान पर "सभी माल" प्रविष्टि रखी जाएगी;
- (40) क्रम सं. 322 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा;
- (41) क्रम सं. 333 के सामने, स्तंभ (6) में, प्रविष्टि के स्थान पर "9" प्रविष्टि रखी जाएगी;
- (42) क्रम सं. 342 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
"342क	7007	उपयोग के लिए उपयुक्त से भिन्न सभी अन्य सभी माल - (i) शीर्षक 8702 या 8704 के अधीन आने वाले मोटर यान; या (ii) शीर्षक 8703 के अधीन आने वाली मोटर कार; या (iii) शीर्षक 8711 के अधीन आने वाले मोटर साइकिल।	10%	-	-

- (43) क्रम सं. 349 के सामने, स्तंभ (2) में, प्रविष्टि के स्थान पर, "71(7104 90 90 के सिवाय)" प्रविष्टि रखी जाएगी;
- (44) क्रम सं. 354 के सामने, स्तंभ (4) में, प्रविष्टि के स्थान पर, "6.9%" प्रविष्टि रखी जाएगी;
- (45) क्रम सं. 355 के सामने, स्तंभ (4) में, प्रविष्टि के स्थान पर, "6.1%" प्रविष्टि रखी जाएगी;
- (46) क्रम सं. 356 के सामने, स्तंभ (4) में, दोनों स्थान पर, "12.5%" प्रविष्टि के स्थान पर, "7.5%" प्रविष्टि रखी जाएगी;
- (47) क्रम सं. 357 के सामने, स्तंभ (4) में, प्रविष्टि के स्थान पर, "7.5%" प्रविष्टि रखी जाएगी;
- (48) क्रम सं. 357 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
"357क	7108	क्रम सं. 354 पर उल्लिखित माल से भिन्न सभी माल	7.5%	-	-
357ख	7106	क्रम सं. 355 पर उल्लिखित माल से भिन्न सभी माल	7.5%	-	-";

- (49) क्रम सं. 362 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा;

(50) क्रम सं. 364क के सामने, स्तंभ (4) में, प्रविष्टि के पश्चात्, "9.17%" प्रविष्टि रखी जाएगी;

(51) क्रम सं. 364क और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
"364ख	7107 00 00, 7109 00 00, 7110, 7111 00 00, 7112, 7118	सभी माल	10%	-	-
364ग	7113	गोल्ड या सिल्वर फाइनडिंग्स स्पष्टीकरण- इस प्रविष्टि के प्रयोजनों के लिए, 'गोल्ड या सिल्वर फाइनडिंग्स' से लघुघटक जैसे आभूषण के स्थान में टुकड़े के पूरे या भागतः में प्रयोग किए जाने वाले हुक, क्लैप्स, क्लैप, पिन, कैच, स्कूबैक अभिप्रेत है।	10%	-	-";

(52) क्रम सं. 365 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा;

(53) क्रम सं. 366 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्:-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
"366	7201, 7202, 7203, 7205, 7226 11 00	सभी माल	5%	-	-";

(54) क्रम सं. 368 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
"368	7204	सभी माल	शून्य	-	-";

(55) क्रम सं. 369 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टियां और क्रम संख्या रखी जाएंगी, अर्थात्:-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
"369	7204	सभी माल	2.5%	-	-";

(56) क्रम सं. 370 और 371 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा;

(57) क्रम सं. 371क के सामने स्तंभ (4) में, प्रविष्टि के स्थान पर, "7.5%" प्रविष्टि रखी जाएगी;

(58) क्रम सं. 372, 373, 373क और 373ख तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा;

(59) क्रम सं. 374 के सामने स्तंभ (4) में, प्रविष्टि के स्थान पर "शून्य" प्रविष्टि रखी जाएगी;

(60) क्रम सं. 375 के सामने स्तंभ (4) में, प्रविष्टि "2.5%" जहां वे आते हैं, के स्थान पर "शून्य" प्रविष्टि रखी जाएगी;

(61) क्रम सं. 376 और 376ग और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा;

(62) क्रम सं. 376घ और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
"376ङ	72	निम्नलिखित माल के सिवाय, सभी, अर्थात्:-- (i) क्रम सं 366, 367, 368, 369, 371क, 371ख, 374, 375, 376क, 376ख, और 376घ के सामने उल्लिखित माल; (ii) अध्याय 72 के अधीन आने वाले दूसरे और त्रुटियुक्त माल	7.5%	-	-";

(63) क्रम सं. 377 के सामने, स्तंभ (3) के मद (iii) में, "शीर्ष" शब्द के पश्चात् "7318 या" अंक और शब्द को अंतःस्थापित किया जाएगा;

(64) क्रम सं. 377क और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्:--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
"377क.	7307 29 00, 7307 99 90, 7308 90 90, 7310 29 90, 7320 90 90, 7325 99 99, 7326 19 90, 7326 90 99	सेलूलर मोबाइल फोन के लिए सिम सॉकेट/अन्य यांत्रिक मद (मेटल) (7326 90 99) के सिवाय सभी माल	10%	-	-";

(65) क्रम सं. 380 के सामने, स्तंभ (6) में प्रविष्टि के स्थान पर "9 और 24" प्रविष्टि रखी जाएगी;

(66) क्रम सं. 382 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को रखा जाएगा, अर्थात्:--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
"382	7404	सभी माल	2.5%	-	-";

(67) क्रम सं. 406 के सामने, स्तंभ (6) में प्रविष्टि के स्थान पर "9 और 24" प्रविष्टि रखी जाएगी;

(68) क्रम सं. 408 के सामने, स्तंभ (6) में प्रविष्टि के स्थान पर "9 और 51" प्रविष्टि रखी जाएगी;

(69) क्रम सं. 410 के सामने, स्तंभ (6) में प्रविष्टि के स्थान पर "9 और 52" प्रविष्टि रखी जाएगी;

(70) क्रम सं. 413 के सामने, स्तंभ (6) में प्रविष्टि के स्थान पर "9 और 53" प्रविष्टि रखी जाएगी;

(71) क्रम सं. 414 के सामने, स्तंभ (6) में प्रविष्टि के स्थान पर "9 और 54" प्रविष्टि रखी जाएगी;

(72) क्रम सं. 430 के सामने, स्तंभ (6) में, "60(i)" और "60(ii)" जहां वे आते हैं, प्रविष्टियों के स्थान पर, "60(i) और 9" तथा "60(ii) और 9" प्रविष्टियां क्रमशः रखी जाएंगी,

(73) क्रम सं. 431 के सामने, स्तंभ (6) में प्रविष्टि के स्थान पर "9 और 61" प्रविष्टि रखी जाएगी;

(74) क्रम सं. 446 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को रखा जाएगा, अर्थात्:--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
"446	8431	सुरंग भेदन मशीन के विनिर्माण के लिए पुर्जे और संघटक	2.5%	-	9";

(75) क्रम सं. 448च और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित प्रविष्टियों और क्रम संख्या को अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
"488छ	8414 40	सभी माल	7.5%	-	-
448ज	8414 80 (8414 80 11 के सिवाय)	सभी माल	7.5%	-	-";

(76) क्रम सं. 471, 472 के सामने, स्तंभ (4) में, प्रविष्टि के स्थान पर, "10%" प्रविष्टि रखी जाएगी;

(77) क्रम सं. 485 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
"485क.	8501 10, 8501 20 00, 8501 31, 8501 32, 8501 33, 8501 34, 8501 40, 8501 51, 8501 52 8501 53	सभी माल	10%	-	-";

(78) क्रम सं. 491 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्:-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
"491.	8544 (8544 30 00 और 8544 70 के सिवाय)	सभी माल (सेलुलर मोबाइल फोन के लिए यूएसबी केबल के सिवाय)	10%	-	-";

(79) क्रम सं. 497 के सामने, स्तंभ (6) में, प्रविष्टि के स्थान पर "9 और 24" प्रविष्टि रखी जाएगी;

(80) क्रम सं. 512 के सामने,-

(क) स्तंभ (3) में, प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात्:-

"(क) लीथियम आयन बैटरी और बैटरी पैक के विनिर्माण में उपयोग के लिए लीथियम आयन सेल और प्रिंटेड सर्किट बोर्ड एसेंबली (पीसीबीए) के सिवाय पुर्जे, संघटक और सहायक उपकरण;

(ख) उपरोक्त (क) पर उल्लिखित मद के विनिर्माण के उपयोग के लिए उप-पुर्जे।"

(ख) स्तंभ (4) में, प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि "2.5%" जो 1 अप्रैल, 2021 से रखी जाएगी;

(81) क्रम सं. 512 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी जो 1 अप्रैल, 2021 से प्रभावी होंगी, अर्थात्:-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
"512क	कोई अध्याय	लीथियम आयन बैटरी और बैटरी पैक की प्रिंटेड सर्किट बोर्ड एसेंबली (पीसीबीए) जो कि टैरिफ मद 8507 90 90 के अधीन आता है, के विनिर्माण में उपयोग के लिए इनपुट, पुर्जे या उप-पुर्जे।	2.5%	-	9";

(82) क्रम सं. 513 के सामने, स्तंभ (3) में, खंड (क) में, मद (i) का 1 अप्रैल, 2021 से लोप किया जाएगा;

(83) क्रम सं. 516ख और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
"516ग	8536 41 00, 8536 49 00	सभी माल	10%	-	-";

(84) क्रम सं. 527 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्:-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
"527	8507 60 00	उनके सिवाय जो क्रम सं. 527क और 527ख के सामने उल्लिखित हैं, बैटरी या बैटरी पैक के विनिर्माण में उपयोग के लिए लीथियम आयन सेल	5%	-	9
527क	8507 60 00	सेलुलर मोबाइल फोन के बैटरी और बैटरी पैक के विनिर्माण में उपयोग के लिए लीथियम आयन सेल	5%	-	9
527ख	8507 60 00	इलेक्ट्रॉनिक रूप से परिचालित यान या मिश्र मोटर यान के बैटरी या बैटरी पैक के विनिर्माण में उपयोग के लिए लीथियम आयन सेल	5%	-	9";

(85) क्रम सं. 528क और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
"528ख	8507 60 00	सैलुलर मोबाइल फोन की लीथियम आयन बैटरी या बैटरी पैक	15%	-	-
528ग	8507 60 00	निम्नलिखित माल के सिवाय सभी, अर्थात्:- (i) क्रम सं. 528क और 528ख के सामने उल्लिखित माल; (ii) पॉवर बैंक।	10%	-	-";

(86) क्रम सं. 532 के सामने, स्तंभ (4) में, प्रविष्टि के स्थान पर, "15%" प्रविष्टि रखी जाएगी;

(87) क्रम सं. 534 के सामने, स्तंभ (6) में, प्रविष्टि के स्थान पर, "9 और 74" प्रविष्टि रखी जाएगी;

(88) क्रम सं. 535 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
“535क	कोई अध्याय	संगठक या भाग, जिसके अंतर्गत शीर्ष 8802 के वायुयान के इंजन भी शामिल हैं— (क) शीर्ष 8802 के अधीन आने वाले वायुयान के विनिर्माण के लिए; (ख) (क) पर वायुयान के भाग के विनिर्माण के लिए रक्षा मंत्रालय के अधीन लोक सेक्टर इकाई द्वारा आयातित	शून्य	-	9 और 109”;

(89) क्रम सं. 559 के सामने स्तंभ (3) के स्पष्टीकरण में मद (i) में, “यथास्थिति अधिकारिता रखने वाले केंद्रीय कर उपायुक्त या केंद्रीय कर के सहायक आयुक्त या राज्य कर के उपायुक्त या राज्य कर के सहायक आयुक्त,” शब्दों के स्थान पर, “सीमाशुल्क (शुल्क की रियायत दर माल का आयात) नियम, 2017 के अधीन अधिकारिता रखने वाले सीमाशुल्क का उपायुक्त या सीमाशुल्क का सहायक आयुक्त” शब्द, कोष्ठक और अंक रखे जाएंगे;

(90) क्रम सं. 581क और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
“581ख	9031 80 00	सभी माल	7.5%	-	-”;

(91) क्रम सं. 587 के सामने, स्तंभ (4) में, प्रविष्टि के स्थान पर, “15%” प्रविष्टि रखी जाएगी;

(92) क्रम सं. 591 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्:-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
“591	9503	इलेक्ट्रॉनिक खिलौनों के विनिर्माण के लिए इलेक्ट्रॉनिक खिलौनों के पुर्जे	15%	-	9”;

(93) क्रम सं. 592 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा;

II. पहले परंतुक में,-

(1) खंड (क) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात्:-

“(क) 1 अप्रैल, 2022 को या उसके पश्चात् उक्त सारणी के क्रम सं. 368 सामने निर्दिष्ट माल।”;

(2) खंड (ग) और खंड (ङ) का लोप किया जाएगा;

III. स्पष्टीकरण में, खंड (II) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:-

“(III) क्रम सं. 292, 430, 431 और 559 के सामने प्रविष्टियों में 2 फरवरी, 2021 से प्रभावी किए गए संशोधनों के परिणामस्वरूप सीमाशुल्क (शुल्क की दर में रियायत पर माल का आयात) नियम, 2017 के अधीन सीमाशुल्क उपायुक्त या सीमाशुल्क सहायक आयुक्त पहले किए गए आयात के संबंध में, यदि कोई हो, लंबित कार्यवाही को पूरा करेगा।

IV. उपाबंध में,-

(i) शर्त सं. 22 में, खंड (ख) का लोप किया जाएगा;

- (ii) शर्त सं. 24 में, खंड (ख) का लोप किया जाएगा;
- (iii) शर्त सं. 30 और 38 का लोप किया जाएगा;
- (iv) शर्त सं. 51 में, खंड (3) का लोप किया जाएगा;
- (v) शर्त सं. 53 में, खंड (iii) का लोप किया जाएगा;
- (vi) शर्त सं. 54 में, खंड (ग) के उपखंड (iii) का लोप किया जाएगा;
- (vii) शर्त सं. 60 के स्थान पर, निम्नलिखित शर्त रखी जाएंगी, अर्थात्:-

“ 60.	<p>(i) यदि,-</p> <p>(क) यदि माल अनुसंधान और विकास प्रयोजन के लिए आयातित है;</p> <p>(ख) यदि आयातित माल, आयात की तारीख से छह मास के भीतर आयातकर्ता के उक्त अनुसंधान और विकास खंड में संस्थित है;</p> <p>(ग) आयात किया गया माल संस्थापन की तारीख से सात वर्ष की अवधि के लिए अंतरित या विक्रीत नहीं है;</p> <p>(ii) यदि,-</p> <p>(क) माल, वस्तुओं के विनिर्माण में उपयोग के लिए आयातित है;</p> <p>(ख) आयात किए गए माल का कुल मूल्य पूर्व वित्तीय वर्ष के दौरान किए गए आयात के एफओबी मूल्य के पच्चीस प्रतिशत से अधिक नहीं है;</p> <p>(ग) आयातकर्ता उपर्युक्त खंड (ख) में उल्लिखित वित्तीय वर्ष के दौरान किए गए आयात के मूल्य का सत्यापन करने और वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान इस अधिसूचना के अधीन पहले ही आयात किए गए माल के मूल्य और गुणवत्ता के लिए भी भारत सरकार, वाणिज्य मंत्रालय में संयुक्त महानिदेशक, विदेशी व्यापार को प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेगा;</p> <p>(घ) आयातित माल, आयात की तारीख से छह माह के भीतर आयातकर्ता की फैक्ट्री में संस्थित है;</p> <p>(ङ) आयात किया गया माल संस्थापन की तारीख से सात वर्ष की अवधि के लिए अंतरित या विक्रीत नहीं है।”;</p>
----------	---

- (viii) शर्त सं. 61 में, खंड (घ) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात्:-

“61.	(घ) आयातित माल, आयात की तारीख से छह मास के भीतर आयातकर्ता के उक्त अनुसंधान और विकास खंड में संस्थित है;”;
------	---

- (ix) शर्त सं. 79 में, अंक “75.” का लोप किया जाएगा।

- (x) शर्त सं. 107 के पश्चात्, निम्नलिखित शर्त अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:-

“108.	<p>यदि,-</p> <p>(i) उक्त माल निर्यात के लिए वस्तुओं पर नियत करने के लिए या ऐसी वस्तुओं की पैकिंग के लिए आयात किया गया है;</p> <p>(ii) आयातकर्ता, ऐसे प्ररूप में और ऐसी धनराशि के लिए एक बंधपत्र निष्पादित करेगा जो सीमाशुल्क के सहायक आयुक्त या सीमाशुल्क उपायुक्त द्वारा विनिर्दिष्ट की जा सकेगी, उक्त माल</p>
-------	---

	<p>के संबंध में मांग पर संदाय करने के लिए स्वयं को आबद्ध करता है, ऐसे माल पर उद्धृति शुल्क पर एक समान धनराशि किंतु उसमें अंतर्विष्ट छूट के लिए, जो पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए सीमाशुल्क सहायक आयुक्त या सीमाशुल्क उपायुक्त को समाधान करने के लिए साबित नहीं है,</p> <p>(iii) आयातकर्ता सीमाशुल्क सहायक आयुक्त या उपायुक्त को यह समाधान करते हुए कि ऐसे आयात की गई वस्तुएं, आयात की तारीख से छह माह के भीतर या उक्त सीमाशुल्क सहायक आयुक्त या उपायुक्त द्वारा स्वीकृत की गई ऐसी विस्तारित अवधि के भीतर निर्यात कर दी गई हैं।</p>
109.	<p>यदि भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय का कोई अधिकारी जो संयुक्त सचिव के नीचे का नहीं हो,-</p> <p>(i) आयातित माल की मात्रा, विवरण और तकनीकी विनिर्देश को सत्यापित करेगा;</p> <p>(ii) यह सत्यापित किया जाता है कि उक्त माल शीर्ष 8802 के अधीन आने वाले वायुयान का विनिर्माण करने के लिए या संघटक या पुर्जे का विनिर्माण करने के लिए, जिसके अंतर्गत उक्त वायुयान का इंजन भी है, आशयित है;</p> <p>(iii) आयातित माल को छूट प्रदान करने के लिए सिफारिश करेगा।</p>

V. सूची 2 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा।

2. यह अधिसूचना 2 फरवरी, 2021 को प्रवृत्त होगी।

[फा. सं. 334/2/2021-टीआरयू]

राजीव रंजन, अवर सचिव

टिप्पण : मूल अधिसूचना सं. 50/2017-सीमाशुल्क, तारीख 30 जून, 2017, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में सं. सा.का.नि. 785(अ), तारीख 30 जून, 2017 द्वारा प्रकाशित की गई थी और अंतिम बार अधिसूचना सं. 43/2020-सीमाशुल्क, तारीख 26 नवम्बर, 2020 द्वारा संशोधित और सं. सा.का.नि. 736(अ), तारीख 26 नवम्बर, 2020 द्वारा प्रकाशित की गई थी।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st February, 2021

No. 2/2021-Customs

G.S.R. 60(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962) and sub-section (12) of section 3 of Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), the Central Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India, Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 50/2017- Customs, dated the 30th June, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 785(E), dated the 30th June, 2017, namely:-

In the said notification, -

I. in the Table, -

- (1) against S. No. 20, in column (3), for the entry, the entry “Pulses [other than Peas (*Pisum sativum*), Tur, Chickpeas, Kabuli Chana, Bengal Gram and Masoor (*Lentils*)]” shall be substituted;

- (2) against S. Nos. 20A, 21A, 21B, 21C, 21D in column (4), for the entry, the entry “10%” shall be substituted;
- (3) S. No. 21E and the entries relating thereto shall be omitted;
- (4) against S. No. 32A, in column (4), for the entry, the entry “15%” shall be substituted;
- (5) against S. No. 32B, in column (4), for the entry, the entry “35%” shall be substituted;
- (6) S. No. 44 and the entries relating thereto shall be omitted;
- (7) against S. Nos. 57, 61, 70 in column (4), for the entry, the entry “15%” shall be substituted;
- (8) after S. No. 104 and the entries relating thereto, the following S. No. and entries shall be inserted, namely: -

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
“104A.	2204, 2205, 2206, 2208	All goods	50%	-	-”;

- (9) S. Nos. 107, 109, 110, 111, 112, 114, 116, 118 and the entries relating thereto shall be omitted;
- (10) against S. No. 119, in column (3), for the entry, the entry “Shrimp larvae feed” shall be substituted;
- (11) after S. No. 119 and the entries relating thereto, the following S. No. and entries shall be inserted, namely: -

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
“119A.	Chapter 23 (except 2309 10 00)	All goods	15%	-	-”;

- (12) for S. No. 130 and the entries relating thereto, the following S. No. and entries shall be substituted, namely: -

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
“130.	2528	All goods	2.5%	-	-”;

- (13) S. Nos. 131, 140 and the entries relating thereto shall be omitted;
- (14) for S. No. 141 and the entries relating thereto, the following S. No. and entries shall be substituted, namely: -

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
“141.	2701, 2702, 2703	All goods	1%	-	-”;

- (15) against S. No. 147A, in column (4), for the entry, the entry “2.5%” shall be substituted;
- (16) against S. No. 175, in column (2), for the entry, the entry “2501” shall be substituted;
- (17) S. Nos. 202, 203, 209 and the entries relating thereto shall be omitted;
- (18) against S. No. 210, in column (4), for the entry, the entry “5%” shall be substituted;
- (19) against S. No. 219, in column (2), for the figures “3102 21 00”, the figures “3102 21 00, 3102 30 00,” shall be substituted;
- (20) after S. No. 219 and the entries relating thereto, the following S. No. and entries shall be inserted, namely: -

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
"219A.	3102 30 00	All goods	2.5%	-	-";

- (21) against S. Nos. 221, 226, 228 in column (4), for the entry, the entry "Nil" shall be substituted;
- (22) S. No. 229 and the entries relating thereto shall be omitted with effect from the 1st day of April, 2021;
- (23) S. No. 230 and the entries relating thereto shall be omitted;
- (24) against S. No. 237, in column (6), for the entry, the entry "9 and 22" shall be substituted;
- (25) against S. Nos. 254, 255, in column (6), for the entry, the entry "9 and 24" shall be substituted;
- (26) For S. No. 257 and the entries relating thereto, the following S. No. and entries shall be substituted, namely, -

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
"257.	39, 48 or any other Chapter	Tags, labels, stickers, belts, buttons, hangers or printed bags (whether made of polythene, polypropylene, PVC, high molecular or high density polyethylene), imported by bonafide exporters	Nil	-	108";

- (27) S. No. 272 and the entries relating thereto shall be omitted;
- (28) against S. No. 273, in column (4), for the entry, the entry "5%" shall be substituted;
- (29) against S. No. 284, in column (3), after item (iii), the following explanation shall be inserted, namely: -
- "Explanation.** - For the removal of doubts, this entry does not include toy balloons made of natural rubber latex (toy balloons are classified under Customs tariff heading 9503).";
- (30) S. No. 285 and the entries relating thereto shall be omitted;
- (31) against S. No. 292, in column (6), for the entry at both the places, the entry "9" shall be substituted;
- (32) For S. No. 293A and the entries relating thereto, the following S. No. and entries shall be substituted, namely, -

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
"293A.	48	The following goods used in the printing of newspapers, namely: - (i) newsprint; (ii) other uncoated paper conforming to the specifications of newsprint (other than its surface roughness).	5%	-	31";

- (33) S. Nos. 293B, 305 and the entries relating thereto shall be omitted;
- (34) S. Nos. 311, 312, 313 and the entries relating thereto shall be omitted with effect from the 1st day of April, 2021;
- (35) against S. No. 314, in column (4), for the entry, the entry "5%" shall be substituted;

- (36) S. No. 315 and the entries relating thereto shall be omitted;
- (37) against S. No. 318, in column (3), for the entry, the entry “All goods” shall be substituted;
- (38) S. No. 319 and the entries relating thereto shall be omitted;
- (39) against S. No. 321, in column (3), for the entry, the entry “All goods” shall be substituted;
- (40) S. No. 322 and the entries relating thereto shall be omitted;
- (41) against S. No. 333, in column (6), for the entry, the entry “9” shall be substituted;
- (42) after S. No. 342 and the entries relating thereto, the following S. Nos. and entries shall be inserted, namely: -

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
“342A.	7007	All goods other than those suitable for use in – (i) motor vehicles falling under heading 8702 or 8704; (ii) motor cars falling under heading 8703; or (iii) motor cycles falling under heading 8711.	10%	-	-

- (43) against S. No. 349, in column (2), for the entry, the entry “71 (except 7104 90 90)” shall be substituted;
- (44) against S. No. 354, in column (4), for the entry, the entry “6.9%” shall be substituted;
- (45) against S. No. 355, in column (4), for the entry, the entry “6.1%” shall be substituted;
- (46) against S. No. 356, in column (4), for the entry “12.5%”, at both the places, the entry “7.5%” shall be substituted;
- (47) against S. No. 357, in column (4), for the entry, the entry “7.5%” shall be substituted;
- (48) after S. No. 357 and the entries relating thereto, the following S. Nos. and entries shall be inserted, namely: -

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
“357A.	7108	All goods other than those mentioned at S. No. 354	7.5%	-	-
357B.	7106	All goods other than those mentioned at S. No. 355	7.5%	-	-”;

- (49) S. No. 362 and the entries relating thereto shall be omitted;
- (50) against S. No. 364A, in column (4), for the entry, the entry “9.17%” shall be substituted;
- (51) after S. No. 364A and the entries relating thereto, the following S. Nos. and entries shall be inserted, namely: -

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
“364B.	7107 00 00, 7109 00 00, 7110, 7111 00 00, 7112, 7118	All goods	10%	-	-

364C.	7113	Gold or silver findings <i>Explanation.-</i> For the purposes of this entry, “gold or silver findings” means a small component such as hook, clasp, clamp, pin, catch, screw back used to hold the whole or a part of a piece of jewellery in place.	10%	-	-”;
-------	------	---	-----	---	-----

(52) S. No. 365 and the entries relating thereto shall be omitted;

(53) for S. No. 366 and the entries relating thereto, the following S. No. and entries shall be substituted, namely: -

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
“366.	7201, 7202, 7203, 7205, 7226 11 00	All goods	5%	-	-”;

(54) for S. No. 368 and the entries relating thereto, the following S. No. and entries shall be substituted, namely: -

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
“368.	7204	All goods	Nil	-	-”;

(55) for S. No. 369 and the entries relating thereto, the following S. No. and entries shall be substituted, namely: -

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
“369.	7204	All goods	2.5%	-	-”;

(56) S. Nos. 370 and 371 and the entries relating thereto shall be omitted;

(57) against S. No. 371A, in column (4), for the entry, the entry “7.5%” shall be substituted;

(58) S. Nos. 372, 373, 373A and 373B and the entries relating thereto shall be omitted;

(59) against S. No. 374, in column (4), for the entry, the entry “Nil” shall be substituted;

(60) against S. No. 375 in column (4), for the entry “2.5%”, wherever they occur, the entry “Nil” shall be substituted;

(61) S. Nos. 376 and 376C and the entries relating thereto shall be omitted;

(62) after S. No. 376D and the entries relating thereto, the following S. No. and entries shall be inserted, namely: -

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
“376E.	72	All goods other than the following, namely: - (i) goods mentioned against S. Nos. 366, 367, 368, 369, 371A, 371B, 374, 375, 376A, 376B and 376D; (ii) seconds and defectives of goods falling under Chapter 72	7.5%	-	-”;

- (63) against S. No. 377, in column (3), in item (iii), after the word “heading” the figures and word “7318 or” shall be inserted;
- (64) for S. No. 377A and the entries relating thereto, the following S. No. and entries shall be substituted, namely: -

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
“377A.	7307 29 00, 7307 99 90, 7308 90 90, 7310 29 90, 7320 90 90, 7325 99 99, 7326 19 90, 7326 90 99	All goods other than SIM socket/other mechanical items (Metal) (7326 90 99) for cellular mobile phone	10%	-	-”;

- (65) against S. No. 380, in column (6), for the entry, the entry “9 and 24” shall be substituted;
- (66) for S. No. 382 and the entries relating thereto, the following S. No. and entries shall be substituted, namely: -

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
“382.	7404	All goods	2.5%	-	-”;

- (67) against S. No. 406, in column (6), for the entry, the entry “9 and 24” shall be substituted;
- (68) against S. No. 408, in column (6), for the entry, the entry “9 and 51” shall be substituted;
- (69) against S. No. 410, in column (6), for the entry, the entry “9 and 52” shall be substituted;
- (70) against S. No. 413, in column (6), for the entry, the entry “9 and 53” shall be substituted;
- (71) against S. No. 414, in column (6), for the entry, the entry “9 and 54” shall be substituted;
- (72) against S. No. 430, in column (6), for the entries “60(i)” and “60(ii)”, wherever they occur, the entries “60(i) and 9” and “60(ii) and 9” shall respectively be substituted;
- (73) against S. No. 431, in column (6), for the entry, the entry “9 and 61” shall be substituted;
- (74) for S. No. 446 and the entries relating thereto, the following S. No. and entries shall be substituted, namely, -

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
“446.	8431	Parts and components for manufacture of tunnel boring machines	2.5%	-	9”;

- (75) after S. No. 448F and the entries relating thereto, the following S. Nos. and entries shall be inserted, namely: -

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
“448G.	8414 40	All goods	7.5%	-	-
448H.	8414 80 (except 8414 80 11)	All goods	7.5%	-	-”;

- (76) against S. Nos. 471, 472 in column (4), for the entry, the entry “10%” shall be substituted;

(77) after S. No. 485 and the entries relating thereto, the following S. No. and entries shall be inserted, namely: -

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
“485A.	8501 10, 8501 20 00, 8501 31, 8501 32, 8501 33, 8501 34, 8501 40, 8501 51, 8501 52, 8501 53	All goods	10%	-	”;

(78) for S. No. 491 and the entries relating thereto, the following S. No. and entries shall be substituted, namely: -

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
“491.	8544 (except 8544 30 00 and 8544 70)	All goods (other than USB Cable for cellular mobile phone)	10%	-	”;

(79) against S. No. 497, in column (6), for the entry, the entry “9 and 24” shall be substituted;

(80) against S. No. 512, -

(a) in column (3), for the entry, the following entry shall be substituted, namely: -

“(a) Parts, components and accessories except Lithium-ion cell and Printed Circuit Board Assembly (PCBA), for use in manufacture of Lithium-ion battery and battery pack;

(b) Sub-parts for use in manufacture of items mentioned at (a) above.”;

(b) in column (4), for the entry, the entry “2.5%” shall be substituted with effect from the 1st day of April, 2021;

(81) after S. No. 512 and the entries relating thereto, the following S. No. and entries shall be inserted with effect from the 1st day of April, 2021, namely: -

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
“512A.	Any Chapter	Inputs, parts or sub-parts for use in the manufacturing of Printed Circuit Board Assembly (PCBA) (falling under tariff item 8507 90 90) of Lithium-ion battery and battery pack	2.5%	-	9”;

(82) against S. No. 513, in column (3), in clause (a), item (i) shall be omitted with effect from the 1st day of April, 2021;

(83) after S. No. 516B and the entries relating thereto, the following S. No. and entries shall be inserted, namely: -

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
“516C.	8536 41 00, 8536 49 00	All goods	10%	-	-”;

(84) for S. No. 527 and the entries relating thereto, the following S. Nos. and entries shall be substituted, namely: -

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
“527	8507 60 00	Lithium ion cell for use in manufacture of battery or battery pack, other than those mentioned against S. Nos. 527A and 527B	5%	-	9
527A	8507 60 00	Lithium ion cell for use in the manufacture of battery or battery pack of cellular mobile phone	5%	-	9
527B	8507 60 00	Lithium ion cell for use in the manufacture of battery or battery pack of electrically operated vehicle or hybrid motor vehicle	5%	-	9”;

(85) after S. No. 528A and the entries relating thereto, the following S. Nos. and entries shall be inserted, namely: -

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
“528B	8507 60 00	Lithium ion battery or battery pack of cellular mobile phones	15%	-	-
528C	8507 60 00	All goods other than the following, namely: - (i) goods mentioned against S. Nos. 528A and 528B; (ii) Power Bank	10%	-	-”;

(86) against S. No. 532, in column (4), for the entry, the entry “15%” shall be substituted;

(87) against S. No. 534, in column (6), for the entry, the entry “9 and 74” shall be substituted;

(88) after S. No. 535 and the entries relating thereto, the following S. Nos. and entries shall be inserted, namely: -

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
“535A.	Any Chapter	Components or parts, including engines, of aircraft of heading 8802 – (a) for manufacture of aircraft falling under heading 8802; (b) for manufacture of parts of aircraft at (a), imported by	Nil	-	9 and 109”;

		Public Sector Units under the Ministry of Defence			
--	--	---	--	--	--

(89) against S. No. 559, in column (3), in the Explanation, in item (i), for the words “jurisdictional jurisdictional Deputy Commissioner of Central tax or the Assistant Commissioner of Central tax or the Deputy Commissioner of State tax or the Assistant Commissioner of State tax, as the case may be”, the words, brackets and figure “Deputy Commissioner of Customs or Assistant Commissioner of Customs having jurisdiction under the Customs (Import of Goods at Concessional Rate of Duty) Rules, 2017”, shall be substituted;

(90) after S. No. 581A and the entries relating thereto, the following S. No. and entries shall be inserted, namely: -

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
“581B.	9031 80 00	All goods	7.5%	-	”;

(91) against S. No. 587, in column (4), for the entry, the entry “15%” shall be substituted;

(92) for S. No. 591 and the entries relating thereto, the following S. No. and entries shall be substituted, namely: -

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
“591.	9503	Parts of electronic toys for manufacture of electronic toys.	15%	-	9 ”;

(93) S. No. 592 and the entries relating thereto shall be omitted;

II. in the first proviso, -

(1) for clause a), the following clause shall be substituted, namely: -

“(a) the goods specified against S. Nos. 368 of the said Table on or after the 1st day of April, 2022.”;

(2) clause (b), (c) and (e) shall be omitted;

III. in the Explanation, after clause (II), the following clause shall be inserted, namely: -

“(III) Consequent to the amendments made with effect from 2nd February, 2021 in the entries against S. Nos. 292, 430, 431 and 559, the Deputy Commissioner of Customs or Assistant Commissioner of Customs having jurisdiction under the Customs (Import of Goods at Concessional Rate of Duty) Rules, 2017 shall complete pending action, if any, in respect of imports made earlier therein.”.

IV. in the ANNEXURE, -

(i) in Condition No. 22, clause (b) shall be omitted;

(ii) in Condition No. 24, clause (b) shall be omitted;

(iii) Condition Nos. 30 and 38 shall be omitted;

(iv) in Condition No. 51, clause (3) shall be omitted;

(v) in Condition No. 53, clause (iii) shall be omitted;

(vi) in Condition No. 54, in clause (c), sub-clause (iii) shall be omitted;

(vii) for Condition No. 60, the following Condition shall be substituted, namely: -

“ 60.	(i) If, - (a) the goods are imported for Research and Development purposes; (b) the imported goods are installed in the said Research and Development Wing of the importer within six months from the date of importation;
-------	--

	<p>(c) the goods imported are not transferred or sold for a period of seven years from the date of installation;</p> <p>(ii) If, -</p> <p>(a) the goods are imported for use in the manufacture of commodities;</p> <p>(b) the total value of goods imported does not exceed 25 per cent. of the FOB value of exports made during the preceding financial year;</p> <p>(c) the importer produces a certificate from the Joint Director General of Foreign Trade in the Ministry of Commerce of the Government of India, certifying the value of exports made during the financial year mentioned in clause (b) above, and also the value and quantity of goods already imported under this notification during the current financial year;</p> <p>(d) the imported goods are installed in the factory of the importer within six months from the date of importation;</p> <p>(e) the goods imported are not transferred or sold for a period of seven years from the date of installation. ”;</p>
--	---

(viii) in Condition No. 61, for clause (d), the following clause shall be substituted, namely: -

“ 61.	(d) the imported goods are installed in the said Research and Development wing of the importer within six months from the date of importation;”;
-------	--

(ix) in Condition No. 79, the figure “75.” shall be omitted.

(x) after Condition No. 107, the following Condition Nos. shall be inserted, namely: -

“ 108.	<p>If, -</p> <p>(i) the said goods have been imported for fixing on articles for export or for the packaging of such articles;</p> <p>(ii) the importer, by execution of a bond in such form and for such sum as may be specified by the Assistant Commissioner of Customs or Deputy Commissioner of Customs, binds himself to pay on demand in respect of the said goods as are not proved to the satisfaction of the Assistant Commissioner of Customs or Deputy Commissioner of Customs to have been used for the aforesaid purposes, an amount equal to the duty leviable on such goods but for the exemption contained herein;</p> <p>(iii) the importer satisfies the Assistant Commissioner or Deputy Commissioner of Customs, that articles so imported have been exported within six months of the date of importation or within such extended period as may be permitted by the said Assistant Commissioner of Customs or Deputy Commissioner of Customs.</p>
109.	<p>If an officer not below the rank of Joint Secretary to the Government of India in the Ministry of Defence -</p> <p>(i) certifies the quantity, description and technical specifications of the imported goods;</p> <p>(ii) certifies that the said goods are intended for manufacture of aircraft falling under heading 8802 or for manufacture of components or parts, including engines, of such aircrafts; and</p> <p>(iii) recommends the grant of exemption to the imported goods.</p>

V. List 2 and the entries relating thereto shall be omitted.

2. This notification shall come into force on the 2nd February 2021.

[F. No. 334/2/2021-TRU]

RAJEEV RANJAN, Under Secy.

Note : The principal notification No. 50/2017-Customs, dated the 30th June, 2017 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 785(E), dated the 30th June, 2017 and last amended *vide* notification No. 43/2020-Customs, dated the 26th November, 2020, published *vide* number G.S.R. 736(E), dated the 26th November, 2020.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 फरवरी, 2021

सं. 3/2021-सीमाशुल्क

सा.का.नि. 61(अ).—केंद्रीय सरकार, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोक हित में ऐसा करना आवश्यक है, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 57/2017-सीमाशुल्क, तारीख 30 जून, 2017 जो सा.का.नि. 798(अ), तारीख 30 जून, 2017 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित की गई थी, का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. उक्त अधिसूचना की सारणी में,-

(i) क्रम सं. 6क के सामने,-

(क) स्तंभ (3) के परंतुक में, मद (v) के पश्चात्, निम्नलिखित मद अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“(vi) मेटल शीलड”;

(ख) स्तंभ (4) में दोनों स्थानों की प्रविष्टियों के स्थान पर, 1 अप्रैल, 2021 से “2.5%” प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(ii) क्रम सं. 6ख के सामने,-

(क) स्तंभ (3) में मद (ख) के पश्चात्, निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“परंतु मद (क) और (ख) में उल्लिखित प्रविष्टियों में अंतर्विष्ट कोई बात “कैमरा लेंस” को लागू नहीं होगी”;

(ख) स्तंभ (4) में दोनों स्थानों की प्रविष्टियों के स्थान पर, 1 अप्रैल, 2021 से “2.5%” प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(iii) क्रम सं. 6ग के सामने स्तंभ (4) के दोनों स्थानों की प्रविष्टियों के स्थान पर, 1 अप्रैल, 2021 से “2.5%” प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(iv) क्रम सं. 7 के सामने,-

(क) स्तंभ (3) के मद (iv), (v), (vi), (vii), (ix), (xii), (xiii), (xiv), (xv), (xvi), (xvii), (xviii), (xix), (xx), (xxi), (xxii), (xxiii), (xxv), (xxvii), (xxviii), (xxx) का लोप किया जाएगा ।

(ख) स्तंभ (4) की प्रविष्टि के स्थान पर, 1 अप्रैल, 2021 से “2.5%” प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(v) क्रम सं. 7क, 7ख, 7ग और 7घ और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ;

(vi) क्रम सं. 7ड और उससे संबंधित प्रविष्टियों का 1 अप्रैल, 2021 से लोप किया जाएगा ;

(vii) क्रम सं. 8 के सामने,-

(क) स्तंभ 3 में मद (v), (vi) और (vii) का लोप किया जाएगा;

- (ख) स्तंभ (4) की प्रविष्टि के स्थान पर, 1 अप्रैल, 2021 से “2.5%” प्रविष्टि रखी जाएगी;
- (viii) क्रम सं. 10 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ;
- (ix) क्रम सं. 13 के सामने स्तंभ (3) की प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :-
 “निम्नलिखित माल के अलावा सभी माल, अर्थात् :-
 (क) चार्जर या पावर अडाप्टर ;
 (ख) सौर इंवर्टर” ;
- (x) क्रम सं. 13 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
“13अ	8504 90 90	निम्नलिखित माल के अलावा सभी माल; अर्थात् :- (क) चार्जर या पावर अडाप्टर का प्रिंटेड सर्किट बोर्ड असेंबली; (ख) चार्जर या पावर अडाप्टर का मोल्डेड प्लास्टिक	10%	”-

- (xi) क्रम सं. 16, 17, 17क और 17ख और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ।
- (xii) क्रम सं. 20 के सामने स्तंभ (3) के मद (ज) के स्थान पर निम्नलिखित मद रखे जाएंगे, अर्थात् :-
 “(ज) मल्टीपल इनपुट/मल्टीपल आउटपुट (एमआईएमओ) प्रोडक्ट्स;
 (झ) लॉग टर्म इवोल्यूशन (एलटीई) प्रोडक्ट्स”;
- (xiii) क्रम सं. 22 के स्तंभ (3) के सामने मद (ज) के स्थान पर निम्नलिखित मद रखे जाएंगे, अर्थात् :-
 “(ज) मल्टीपल इनपुट/मल्टीपल आउटपुट (एमआईएमओ) प्रोडक्ट्स;
 (झ) लॉग टर्म इवोल्यूशन (एलटीई) प्रोडक्ट्स”।

2. यह अधिसूचना 2 फरवरी, 2021 को प्रवृत्त होगी ।

[फा. सं. 334/2/2021-टीआरयू]

राजीव रंजन, अवर सचिव

टिप्पण : मूल अधिसूचना सं. 57/2017-सीमाशुल्क, तारीख 30 जून, 2017 भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में सं. सा.का.नि. 798(अ), तारीख 30 जून, 2017 द्वारा प्रकाशित की गई थी और अंतिम बार अधिसूचना सं. 2/2020-सीमाशुल्क, तारीख 2 फरवरी, 2020 द्वारा संशोधित और सं. सा.का.नि. 62(अ), तारीख 2 फरवरी, 2020 द्वारा प्रकाशित की गई थी ।

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st February, 2021

No. 3/2021-Customs

G.S.R. 61(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India, Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 57/2017- Customs, dated the 30th June, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 798 (E), dated the 30th June, 2017, namely:-

1. In the said notification, in the TABLE, -

- (i) against S.No. 6A, -
 - (a) in column (3), in the proviso, after item (v), the following item shall be inserted, namely: -
“(vi) metal shield”;
 - (b) in column (4), for the entries at both the places, the entry “2.5%” shall be substituted with effect from the 1st day of April, 2021;
- (ii) against S.No. 6B,-
 - (a) in column (3), after item (b), the following proviso shall be inserted, namely: -
“Provided that nothing contained in the entries mentioned at items (a) and (b) shall apply to the “camera lens”;
 - (b) in column (4), for the entries at both the places, the entry “2.5%” shall be substituted with effect from the 1st day of April, 2021;
- (iii) against S.No. 6C, in column (4), for the entries at both the places, the entry “2.5%” shall be substituted with effect from the 1st day of April, 2021;
- (iv) against S.No. 7, -
 - (a) in column (3), items (iv), (v), (vi), (vii), (ix), (xii), (xiii), (xiv), (xv), (xvi), (xvii), (xviii), (xix), (xx), (xxi), (xxii), (xxiii), (xxv), (xxvii), (xxviii), (xxx) shall be omitted;
 - (b) in column (4), for the entry, the entry “2.5%” shall be substituted with effect from the 1st day of April, 2021;
- (v) S. Nos. 7A, 7B, 7C and 7D and the entries relating thereto shall be omitted;
- (vi) S. No. 7E and the entries relating thereto shall be omitted with effect from the 1st day of April, 2021;
- (vii) against S.No. 8, -
 - (a) in column (3), items (v), (vi) and (vii) shall be omitted;
 - (b) in column (4), for the entry, the entry “2.5%” shall be substituted with effect from the 1st day of April, 2021;
- (viii) S. No. 10 and the entries relating thereto shall be omitted;
- (ix) against S.No. 13, in column (3), for the entry, the following entry shall be substituted, namely: -
“ All goods other than the following goods, namely:-
 - (a) charger or power adapter;
 - (b) solar inverter ”;

- (x) after S. No. 13 and the entries relating thereto, the following S. No. and entries shall be inserted, namely:-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
“13A	8504 90 90	All goods other than the following goods, namely: - (a) Printed Circuit Board Assembly of charger or power adapter; (b) Moulded Plastic of charger or power adapter	10%	-”;

- (xi) S. Nos. 16, 17, 17A and 17B and the entries relating thereto shall be omitted;
- (xii) against S.No. 20, in column (3), for item (h), the following items shall be substituted, namely: -
“(h) Multiple Input/Multiple Output (MIMO) products;
(i) Long Term Evolution (LTE) products”;
- (xiii) against S.No. 22, in column (3), for item (h), the following items shall be substituted, namely: -
“(h) Multiple Input/Multiple Output (MIMO) products;
(i) Long Term Evolution (LTE) products”.

2. This notification shall come into force on 2nd February, 2021.

[F. No. 334/2/2021-TRU]

RAJEEV RANJAN, Under Secy.

Note : The principal notification No.57/2017-Customs, dated the 30th June, 2017 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 798(E), dated the 30th June, 2017 and last amended, *vide* notification No. 2/2020-Customs, dated the 2nd February, 2020, published *vide* number G.S.R. 62(E), dated the 2nd February, 2020.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 फरवरी, 2021

सं. 4/2021-सीमाशुल्क

सा.का.नि. 62(अ).—केन्द्रीय सरकार, सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 25/99-सीमा-शुल्क, तारीख 28 फरवरी, 1999 जो संख्यांक सा.का.नि. 161(अ) तारीख 28 फरवरी, 1999 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित की गई थी, का निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :-

1. उक्त अधिसूचना की सारणी में, सूची अ, क्रम सं. 198 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा।
2. यह अधिसूचना 2 फरवरी, 2021 को प्रवृत्त होगी।

[फा. सं. 334/2/2021-टीआरयू]

राजीव रंजन, अवर सचिव

टिप्पण: मूल अधिसूचना सं. 25/99-सीमाशुल्क, तारीख 28 फरवरी, 1999 संख्यांक सा.का.नि. 161(अ) तारीख 28 फरवरी, 1999 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित की गई थी और अधिसूचना सं 5/2020-सीमाशुल्क, तारीख 2 फरवरी, 2020 द्वारा संख्यांक सा.का.नि. 65(अ) तारीख 2 फरवरी, 2020 द्वारा अंतिम संशोधन किया गया।

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st February, 2021

No. 4/2021-Customs

G.S.R. 62(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 25/99-Customs, dated the 28th February, 1999, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number

G.S.R. 161(E), dated the 28th February, 1999, namely :-

1. In the said notification, in the TABLE, in List A, S. No. 198 and the entries relating thereto shall be omitted.
2. This notification shall come into force on 2nd February, 2021.

[F. No. 334/2/2021-TRU]

RAJEEV RANJAN, Under Secy.

Note : The principal notification No. 25/99-Customs, dated the 28th February, 1999 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 161(E), dated the 28th February, 1999 and last amended *vide* notification No. 05/2020-Customs, dated the 2nd February, 2020, *vide* number G.S.R. 65(E), dated the 2nd February, 2020.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 फरवरी, 2021

सं. 5/2021-सीमाशुल्क

सा.का.नि. 63(अ).—केन्द्रीय सरकार, सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 24/2005-सीमा-शुल्क, तारीख 1 मार्च, 2005 जो संख्यांक सं. सा.का.नि. 122(अ) तारीख 1 मार्च, 2005 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित की गई थी, का निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :-

1. उक्त अधिसूचना की सारणी के क्रम सं. 13ध के सामने, स्तंभ (3) में मद (झ) के स्थान पर निम्नलिखित मद रखे जाएंगे, अर्थात् :-

“(झ) मल्टिपल इनपुट/मल्टिपल आउटपुट (एमआईएमओ) प्रोडक्ट्स;

(ज) लॉग टर्म इवोल्यूशन (एलटीई) प्रोडक्ट्स”।

2. यह अधिसूचना 2 फरवरी, 2021 को प्रवृत्त होगी।

[फा. सं. 334/2/2021-टीआरयू]

राजीव रंजन, अवर सचिव

टिप्पण : मूल अधिसूचना सं. 24/2005-सीमाशुल्क, तारीख 1 मार्च, 2005 संख्यांक सा.का.नि. 122(अ) तारीख 1 मार्च, 2005 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित की गई थी और अधिसूचना सं. 6/2020-सीमाशुल्क, तारीख 2 फरवरी, 2020 द्वारा संख्यांक सा.का.नि. 66(अ) तारीख 2 फरवरी, 2020 द्वारा अंतिम संशोधन किया गया।

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st February, 2021

No. 5/2021-Customs

G.S.R. 63(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India, Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 24/2005-Customs, dated the 1st March, 2005, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 122(E), dated the 1st March, 2005, namely :-

1. In the said notification, in the TABLE, against S.No. 13S, in column (3), for item (i), the following items shall be substituted, namely: -

- “(i) Multiple Input/Multiple Output (MIMO) products;
(j) Long Term Evolution (LTE) products”.

2. This notification shall come into force on 2nd February, 2021.

[F. No. 334/2/2021-TRU]

RAJEEV RANJAN, Under Secy.

Note: The principal notification No. 24/2005-Customs, dated the 1st March, 2005 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section-3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R.122(E), dated the 1st March, 2005 and last amended *vide* notification No. 06/2020-Customs, dated the 2nd February, 2020, *vide* number G.S.R. 66(E), dated the 2nd February, 2020.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 फरवरी, 2021

सं. 6/2021-सीमाशुल्क

सा.का.नि. 64(अ).—केन्द्रीय सरकार, वित्त अधिनियम, 2020 (2020 का 12) की धारा 141 के साथ पठित सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 08/2020-सीमा-शुल्क, तारीख 2 फरवरी, 2020 जो संख्यांक सं. सा.का.नि. 68(अ) तारीख 2 फरवरी, 2020 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित की गई थी, का निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :-

1. उक्त अधिसूचना की सारणी में, क्रम सं. 2 के सामने, स्तंभ (2) में मद (vi) के पश्चात् निम्नलिखित मद अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :-

“(vii) भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) सं. सा.का.नि. 645(अ) तारीख 11 नवम्बर, 1997 अधिसूचना सं. 84/97-सीमा-शुल्क, तारीख 11 नवम्बर, 1997 द्वारा प्रकाशित;

(viii) भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) सं. सा.का.नि. 98(अ) तारीख 8 जनवरी, 1957 अधिसूचना सं. 3/57-सीमा-शुल्क, तारीख 8 जनवरी, 1957 द्वारा प्रकाशित”।

2. यह अधिसूचना 2 फरवरी, 2021 को प्रवृत्त होगी।

[फा. सं. 334/2/2021-टीआरयू]

राजीव रंजन, अवर सचिव

टिप्पण: मूल अधिसूचना सं. 08/2020-सीमाशुल्क, तारीख 2 फरवरी, 2020 संख्यांक सा.का.नि. 68(अ) तारीख 2 फरवरी, 2020 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित की गई थी और अधिसूचना सं. 19/2020-सीमाशुल्क, तारीख 9 अप्रैल, 2020 द्वारा संख्यांक सा.का.नि. 246(अ) तारीख 9 अप्रैल, 2020 द्वारा अंतिम संशोधन किया गया।

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st February, 2021

No. 6/2021-Customs

G.S.R. 64(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962) read with section 141 of the Finance Act, 2020 (12 of 2020), the Central Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India, Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 08/2020-Customs, dated the 2nd February, 2020, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 68 (E), dated the 2nd February, 2020, namely:-

1. In the said notification, in the TABLE, against Sl. No. 2, in column (2), after item (vi), the following items shall be inserted, namely: -

“ (vii) Notification No. 84/97-Customs, dated the 11th November, 1997, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G.S.R. 645(E), dated the 11th November, 1997;

(viii) Notification No. 3/57-Customs, dated the 8th January, 1957, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G.S.R. 98 (E), dated the 08th January, 1957”.

2. This notification shall come into force on 2nd February, 2021.

[F. No. 334/2/2021-TRU]

RAJEEV RANJAN, Under Secy.

Note : The principal notification No. 08/2020-Customs, dated the 2nd February, 2020 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 68(E), dated the 2nd February, 2020 and last amended *vide* notification No. 19/2020-Customs, dated the 9th April, 2020, *vide* number G.S.R. 246(E), dated the 9th April, 2020.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 फरवरी, 2021

सं. 7/2021-सीमाशुल्क

सा.का.नि. 65(अ).—केन्द्रीय सरकार, सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उप-धारा (1) और सीमा-शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान होने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचनाओं जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) द्वारा प्रकाशित की गई है, उन बातों के

सिवाय जिनका ऐसे विखंडन के पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, सारणी के स्तंभ (3) में विनिर्दिष्ट तत्स्थानी सा.का.नि. सं. द्वारा स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट है, का विखंडन करती है

सारणी

क्रम सं.	अधिसूचना सं.	सा.का.नि. सं.
(1)	(2)	(3)
1.	1/2011-सीमा-शुल्क, तारीख 6 जनवरी, 2011	6(अ), तारीख 6 जनवरी, 2011
2.	34/2017-सीमा-शुल्क, तारीख 30 जून, 2017	769(अ), तारीख 30 जून, 2017
3.	75/2017-सीमा-शुल्क, तारीख 13 सितम्बर, 2017	1153(अ), तारीख 13 सितम्बर, 2017

2. यह अधिसूचना 2 फरवरी, 2021 को प्रवृत्त होगी।

[फा. सं. 334/2/2021-टीआरयू]

राजीव रंजन, अवर सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st February, 2021

No. 7/2021-Customs

G.S.R. 65(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962) and section 3 of the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), the Central Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby rescinds the notifications of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) specified in column (2), *vide* corresponding G.S.R. number specified in column (3), of the Table, except as respects things done or omitted to be done before such rescission, namely:-

TABLE

S. No.	Notification No.	G.S.R. No.
(1)	(2)	(3)
1.	1/2011-Customs, dated the 6th January, 2011	6 (E), dated the 6 th January, 2011
2.	34/2017-Customs, dated the 30 th June, 2017	769 (E), dated the 30 th June, 2017
3.	75/2017-Customs, dated the 13 th September, 2017	1153 (E), dated the 13 th September, 2017

2. This notification shall come into force on 2nd February, 2021.

[F. No. 334/2/2021-TRU]

RAJEEV RANJAN, Under Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 फरवरी, 2021

सं. 8/2021-सीमाशुल्क

सा.का.नि. 66(अ).—केंद्रीय सरकार, सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोक हित में ऐसा करना आवश्यक है, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 153/94-सीमा शुल्क, तारीख 13 जुलाई, 1994 जो सा.का.नि. 582(अ), तारीख 13 जुलाई, 1994 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित की गई थी का और संशोधन करती है, अर्थात् :-

उक्त अधिसूचना की सारणी में, क्रम सं. 4 के सामने स्तंभ (2) में “और ध्वनि अभिलेखन टेप” शब्दों के स्थान पर “ध्वनि अभिलेखन टेप, पोशाक और प्रौप्स” शब्द रखे जाएंगे।

2. यह अधिसूचना 2 फरवरी, 2021 को प्रवृत्त होगी।

[फा. सं. 334/2/2021-टीआरयू]

राजीव रंजन, अवर सचिव

टिप्पण : मूल अधिसूचना, अधिसूचना सं. 153/94-सीमा शुल्क, तारीख 13 जुलाई, 1994 भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में सं. सा.का.नि. 582(अ), तारीख 13 जुलाई, 1994 द्वारा प्रकाशित की गई थी और अंतिम बार अधिसूचना सं. 43/2017-सीमा शुल्क, तारीख 30 जून, 2017, संख्या सा.का.नि. 778(अ), तारीख 30 जून, 2017 द्वारा संशोधित द्वारा संशोधित की गई थी।

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st February, 2021

No. 8/2021-Customs

G.S.R. 66(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 153/94-Customs, dated the 13th July, 1994, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 582(E), dated the 13th July, 1994, namely:-

In the said notification, in the TABLE, against Sl. No. 4, in column (2), for the words “and sound-recording tapes”, the words “, sound-recording tapes, costumes and props” shall be substituted.

2. This notification shall come into force on the 2nd February, 2021.

[F. No. 334/2/2021-TRU]

RAJEEV RANJAN, Under Secy.

Note : The principal notification was published *vide* notification number 153/94-Customs, dated the 13th July, 1994, in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 582(E), dated the 13th July, 1994 and was last amended *vide* notification number 43/2017-Customs, dated the 30th June, 2017, *vide* number G.S.R. 778(E), dated the 30th June, 2017.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 फरवरी, 2021

सं. 9/2021-सीमाशुल्क

सा.का.नि. 67(अ).—केन्द्रीय सरकार, सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की पहली अनुसूची के शीर्षक 9801 के सामने विनिर्दिष्ट उप-मद (6) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, देश के आर्थिक विकास को ध्यान में रखते हुए, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग), संख्या 42/96-सीमाशुल्क तारीख 23 जुलाई, 1996 जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में सा.का.नि.294(अ) तारीख 23 जुलाई, 1996 द्वारा प्रकाशित की गई थी, का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:--

उक्त अधिसूचना में, क्रम संख्या 42 और उसके सामने विनिर्दिष्ट परियोजना के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम संख्या और परियोजना अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:--

“43 उच्चगति रेल परियोजना।”

2. यह अधिसूचना 2 फरवरी, 2021 को प्रवृत्त होगा।

[फा. सं. 334/2/2021-टीआरयू]

राजीव रंजन, अवर सचिव

टिप्पण : मूल अधिसूचना, 42/96-सीमाशुल्क, तारीख 23 जुलाई, 1996 को भारत के राजपत्र, द्वारा सं. सा.का.नि. 294(अ), तारीख तारीख 23 जुलाई, 1996 द्वारा प्रकाशित की गई थी और अंतिम बार अधिसूचना सं. 21/2016-सीमाशुल्क, तारीख 1 मार्च, 2016 संख्या द्वारा संशोधित तथा सा.का.नि. 215(अ), तारीख 1 मार्च, 2016 द्वारा प्रकाशित की गई थी।

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st February, 2021

No. 9/2021-Customs

G.S.R. 67(E).—In exercise of the powers conferred by sub-item (6) specified against heading 9801 of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), the Central Government, having regard to the economic development of the country, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 42/96 – Customs, dated the 23rd July, 1996, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 294(E), dated the 23rd July, 1996, namely:-

In the said notification, after serial number 42 and the project specified against it, the following serial number and the project shall be inserted, namely,-

“43. High Speed Rail Projects.”.

2. This notification shall come into force on the 2nd February, 2021.

[F. No. 334/2/2021-TRU]

RAJEEV RANJAN, Under Secy.

Note : The principal notification No. 42/96– Customs dated the 23rd July, 1996 was published in the Gazette of India, *vide* number G.S.R. 294(E), dated the 23rd July, 1996 and was last amended *vide* notification No. 21/2016–Customs, dated the 1st March, 2016, published *vide* number G.S.R. 215(E), dated the 1st March, 2016.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 फरवरी, 2021

सं. 10/2021-सीमाशुल्क

सा.का.नि. 68(अ).—केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमाशुल्क बोर्ड, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 157 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए परियोजना आयात विनियमन, 1986 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्:--

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ-

- (1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम परियोजना आयात (संशोधन) विनियमन, 2021 है।
 (2) ये 2 फरवरी, 2021 से प्रवृत्त होंगे।

2. परियोजना आयात विनियमन, 1986 की सारणी में क्रम सं. 3चच और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियां परियोजना अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:--

क्रम संख्यां	संयंत्र या परियोजना का नाम	प्रायोजक करने वाले प्राधिकारी
"3चचच	उच्च गति रेल परियोजना	राष्ट्रीय उच्च गति रेल निगम लिमिटेड।"

3. यह अधिसूचना 2 फरवरी, 2021 को प्रवृत्त होगी।

[फा. सं. 334/2/2021-टीआरयू]

राजीव रंजन, अवर सचिव

टिप्पण : मूल अधिसूचना सं. 230/1986-सीमाशुल्क, तारीख 3 अप्रैल, 1986 को भारत के राजपत्र, सं. सा.का.नि. 580(अ), तारीख तारीख 3 अप्रैल, 1986 द्वारा प्रकाशित की गई थी और अंतिम बार अधिसूचना सं. 24/2017-सीमाशुल्क, तारीख 23 जून, 2017 द्वारा संशोधित तथा संख्या सा.का.नि. 628(अ), तारीख 23 जून, 2017 द्वारा प्रकाशित की गई थी।

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st February, 2021

No. 10/2021-Customs

G.S.R. 68(E).—In exercise of the powers conferred by section 157 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Board of Indirect Taxes and Customs hereby makes the following regulations further to amend the Project Imports Regulations, 1986, namely:-

1. Short title and commencement. -

- (1) These regulations may be called the Project Imports (Amendment) Regulations, 2021.
 (2) They shall come into force on the 2nd day of February, 2021.

2. In the Project Imports Regulations, 1986, in the TABLE, after serial number 3FF and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted, namely:-

Sr. No.	Name of the Plant or Project	Sponsoring Authority
"3FFF	High Speed Rail Projects	National High Speed Rail Corporation Limited."

3. This notification shall come into force on the 2nd February, 2021.

[F. No. 334/2/2021-TRU]

RAJEEV RANJAN, Under Secy.

Note : The principal notification No. 230/1986—Customs, dated the 3rd April, 1986 was published in the Gazette of India, *vide* number G.S.R. 580(E), dated the 3rd April, 1986 and was last amended *vide* notification No. 24/2017—Customs, dated the 23rd June, 2017, published *vide* number G.S.R. 628(E), dated the 23rd June, 2017.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 फरवरी, 2021

सं. 11/2021-सीमाशुल्क

सा.का.नि. 69(अ).—केन्द्रीय सरकार, सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उप-धारा (1) के साथ पठित वित्त विधेयक, 2021 (2021 का 15) के खंड 115, जो अंतिम कर संग्रहण अधिनियम,

1931 (1931 का 16) के अधीन उक्त वित्त विधेयक में की गई घोषणा के आधार पर विधि का बल रखता है, द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, नीचे दी गई सारणी के स्तंभ (3) में विनिर्दिष्ट और उक्त सारणी के स्तंभ (2) में यथाविनिर्दिष्ट सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की पहली अनुसूची के अध्याय, शीर्षक या उप-शीर्ष या टैरिफ मद के अधीन आने वाले वर्णन के मालों को, जो वित्त विधेयक, 2021 के उक्त खंड के अधीन उस पर उदग्रहणीय उतने कृषि अवसंरचना और विकास उपकर जो उक्त सारणी के स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट दर से संगणित की रकम से अधिक है, से छूट प्रदान करती है, -

सारणी

क्रम सं.	पहली अनुसूची का अध्याय या शीर्षक या उप-शीर्ष या टैरिफ मद	माल का विवरण	दर
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	0713 10	सभी माल	40%
2.	0713 20 10	सभी माल	30%
3.	0713 20 20	सभी माल	50%
4.	0713 20 90	चना (गार्बनजोस)	50%
5.	0713 40 00	मसूर	20%
6.	0808 10 00	सभी माल	35%
7.	1511 10 00	सभी माल	17.5%
8.	1507 10 00, 1512 11 10	सभी माल	20%
9.	2204, 2205, 2206, 2008	सभी माल	100%
10.	2701, 2702, 2703	सभी माल	1.5%
11.	3102 10 00, 3102 30 00	सभी माल	5%
12.	31	म्यूरिट आफ पोटाश, काम्प्लेक्स उर्वरकों के उत्पादन के लिए या खाद के रूप में उपयोग के लिए	5%
13.	3105 30 00	डाय-अमोनियम फास्फेट, काम्प्लेक्स उर्वरकों के उत्पादन के लिए या खाद के रूप में उपयोग के लिए	5%
14.	5201	सभी माल	5%
15.	7106 या 98	चांदी, जिसके अन्तर्गत चांदी डोरे भी है	2.5%
16.	7108 या 98	सोना, जिसके अन्तर्गत सोने डोरे भी है	2.5%
17.	किसी अध्याय	ऊपर क्रम सं. 1 से 16 के सामने उल्लिखित माल से भिन्न सभी माल	शून्य
18.	किसी अध्याय	सभी माल जिसपर अग्रिम प्राधिकारी के अधीन बुनियादी सीमा-शुल्क से छूट का दावा किया गया है और अनुज्ञात किया गया है	शून्य
19.	किसी अध्याय	सभी माल जिसपर उपाबंध में उल्लिखित अधिसूचनाओं, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित हैं, के अधीन बुनियादी सीमा-शुल्क से छूट का दावा किया गया है और अनुज्ञात किया गया है।	शून्य

उपाबंध

क्रम सं.	अधिसूचनाओं के विवरण
(1)	(2)
1.	सा.का.नि. 499(अ) तारीख 22 जुलाई, 2005 द्वारा अधिसूचना सं. 74/2005-सीमा शुल्क, तारीख 22 जुलाई, 2005 ।
2.	सा.का.नि. 33(अ) तारीख 15 जनवरी, 2008 द्वारा अधिसूचना सं. 10/2008-सीमा शुल्क, तारीख 15 जनवरी, 2008 ।
3.	सा.का.नि. 943(अ) तारीख 31 दिसम्बर, 2009 द्वारा अधिसूचना सं. 152/2009-सीमा शुल्क, तारीख 31 दिसम्बर, 2009 ।
4.	सा.का.नि. 423(अ) तारीख 1 जून, 2011 द्वारा अधिसूचना सं. 46/2011-सीमा शुल्क, तारीख 1 जून, 2011 ।
5.	सा.का.नि. 499(अ) तारीख 1 जुलाई, 2011 द्वारा अधिसूचना सं. 53/2011-सीमा शुल्क, तारीख 1 जुलाई, 2011 ।
6.	सा.का.नि. 593(अ) तारीख 29 जुलाई, 2011 द्वारा अधिसूचना सं. 69/2011-सीमा शुल्क, तारीख 29 जुलाई, 2011 ।
7.	सा.का.नि. 274(अ) तारीख 31 मार्च, 2003 द्वारा अधिसूचना सं. 52/2003-सीमा शुल्क, तारीख 31 मार्च, 2003 ।
8.	सा.का.नि. 98(अ) तारीख 8 जनवरी, 1957 अधिसूचना सं. 3/57-सीमा शुल्क, तारीख 8 जनवरी, 1957 ।

2. यह अधिसूचना 2 फरवरी, 2021 को प्रवृत्त होगी ।

[फा. सं. 334/2/2021-टीआरयू]

राजीव रंजन, अवर सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st February, 2021

No. 11/2021-Customs

G.S.R. 69(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962) read with clause 115 of the Finance Bill, 2021 (15 of 2021), which, by virtue of the declaration made in the said Finance Bill under the Provisional Collection of Taxes Act, 1931 (16 of 1931), has the force of law, the Central Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby exempts goods of the description specified in column (3) of the Table below and falling within the Chapter, heading or sub-heading or tariff item of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975) as specified in column (2) of the said Table, from so much of the Agriculture Infrastructure and Development Cess leviable thereon under the said clause of the Finance Bill, 2021, as is in excess of the amount calculated at the rate specified in column (4) of the said Table.

TABLE

Sl. No.	Chapter or heading or sub-heading or tariff item of the First Schedule	Description of goods	Rate
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	0713 10	All goods	40%

2.	0713 20 10	All goods	30%
3.	0713 20 20	All goods	50%
4.	0713 20 90	Chick Peas (Garbanzos)	50%
5.	0713 40 00	Lentil (Mosur)	20%
6.	0808 10 00	All goods	35%
7.	1511 10 00	All goods	17.5%
8.	1507 10 00, 1512 11 10	All goods	20%
9.	2204, 2205, 2206, 2008	All goods	100%
10.	2701, 2702, 2703	All goods	1.5%
11.	3102 10 00, 3102 30 00	All goods	5%
12.	31	Muriate of potash, for use as manure or for the production of complex fertilisers	5%
13.	3105 30 00	Diammonium phosphate, for use as manure or for the production of complex fertilisers	5%
14.	5201	All goods	5%
15.	7106 or 98	Silver, including silver dore	2.5%
16.	7108 or 98	Gold, including gold dore	2.5%
17.	Any Chapter	All goods other than goods mentioned against serial numbers 1 to 16 above.	Nil
18.	Any Chapter	All goods on which exemption from basic customs duty is claimed and allowed under the advance authorisation.	Nil
19.	Any Chapter	All goods on which exemption from basic customs duty is claimed and allowed under the notifications, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), mentioned in the ANNEXURE.	Nil

ANNEXURE

S. No.	Details of Notifications
(1)	(2)
1.	Notification No. 74/2005-Customs, dated the 22nd July, 2005 <i>vide</i> number G.S.R.499(E), dated the 22nd July, 2005.
2.	Notification No. 10/2008-Customs, dated the 15th January, 2008 <i>vide</i> number G.S.R.33(E), dated the 15th January, 2008.
3.	Notification No. 152/2009-Customs, dated the 31st December, 2009 <i>vide</i> number G.S.R. 943(E), dated the 31st December, 2009.
4.	Notification No. 46/2011-Customs, dated the 1st June, 2011 <i>vide</i> number G.S.R.423(E), dated the 1st June, 2011.
5.	Notification No. 53/2011-Customs, dated the 1st July, 2011 <i>vide</i> number G.S.R.499(E), dated the

	1st July, 2011.
6.	Notification No. 69/2011-Customs, dated the 29th July, 2011 <i>vide</i> number G.S.R.593(E), dated the 29th July, 2011.
7.	Notification No. 52/2003-Customs, dated the 31st March, 2003 <i>vide</i> number G.S.R.274(E), dated the 31st March, 2003.
8.	Notification No. 3/57-Customs, dated the 8th January, 1957 <i>vide</i> number G.S.R.98 (E), dated the 08th January, 1957.

2. This notification shall come into force on the 2nd February, 2021.

[F. No. 334/2/2021-TRU]

RAJEEV RANJAN, Under Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 फरवरी, 2021

सं. 12/2021-सीमाशुल्क

सा.का.नि. 70(अ).—केंद्रीय सरकार, वित्त अधिनियम, 2018 (2018 का 13) की धारा 110 के साथ पठित सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग)की अधिसूचना सं.12/2018-सीमा शुल्क, तारीख 2 फरवरी, 2018 जो सा.का.नि. 115(अ), तारीख 2 फरवरी, 2018 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित की गई थी, उन बातों के सिवाय जिन्हें ऐसे विखंडन से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, का विखंडन करती है।

2. यह अधिसूचना 2 फरवरी, 2021 को प्रवृत्त होगी।

[फा. सं. 334/2/2021-टीआरयू]

राजीव रंजन, अवर सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st February, 2021

No. 12/2021-Customs

G.S.R. 70(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962) read with section 110 of the Finance Act, 2018 (13 of 2018), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby rescinds the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 12/2018-Customs, dated the 2nd February, 2018 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 115(E), dated the 2nd February, 2018, except as respects things done or omitted to be done before such rescission.

2. This notification shall come into force on the 2nd February, 2021.

[F. No. 334/2/2021-TRU]

RAJEEV RANJAN, Under Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 फरवरी, 2021

सं. 13/2021-सीमाशुल्क

सा.का.नि. 71(अ).—केन्द्रीय सरकार, सीमा शुल्क अधिनियम 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) के साथ पठित वित्त अधिनियम 2018 (2018 का 13) की धारा 110 द्वारा की प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की पहली अनुसूची के शीर्ष 7106 और 7108 के अधीन आने वाले सभी मालों का जब भारत में आयात किया जाए, वित्त विधेयक, 2021 (2021 का 15) के खंड 115 के अधीन उदग्रहणीय कृषि अवसंरचना और विकास उपकर, जो अनंतिम कर संग्रहण अधिनियम, 1931 (1931 का 16) के अधीन उक्त वित्त विधेयक में की गई घोषणा के कारण प्रवृत्त विधि है, पर उदग्रहणीय पूर्ण सामाजिक कल्याण अधिभार, से छूट देती है।

2. यह अधिसूचना 2 फरवरी, 2021 को प्रवृत्त होगी।

[फा. सं. 334/2/2021-टीआरयू]

राजीव रंजन, अवर सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st February, 2021

No. 13/2021-Customs

G.S.R. 71(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962) read with section 110 of the Finance Act, 2018 (13 of 2018), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby exempts all goods falling under headings 7106 and 7108 of the First Schedule of the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975) when imported into India, from the whole of the Social Welfare Surcharge leviable on the Agriculture Infrastructure and Development Cess leviable under clause 115 of the Finance Bill, 2021 (15 of 2021) which, by virtue of the declaration made in the said Finance Bill under the Provisional Collection of Taxes Act, 1931 (16 of 1931) has the force of law.

2. This notification shall come into force on the 2nd February, 2021.

[F. No. 334/2/2021-TRU]

RAJEEV RANJAN, Under Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 फरवरी, 2021

सं. 14/2021-सीमाशुल्क

सा.का.नि. 72(अ).—केन्द्रीय सरकार, वित्त अधिनियम, 2018 (2018 का 13) की धारा 110 के साथ पठित सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 11/2018-सीमाशुल्क, तारीख 2 फरवरी, 2018 जो सा.का.नि. 114(अ), तारीख 2 फरवरी, 2018 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित की गई थी, का और संशोधन करती है, अर्थात् :-

उक्त अधिसूचना की सारणी में, क्रम सं.1 के सामने स्तंभ (2) में "2510 20," अंकों के पश्चात् "2515 11 00, 2515 12 10," अंक अंतःस्थापित किए जाएंगे।

2. यह अधिसूचना 2 फरवरी, 2021 से प्रवृत्त होगी।

[फा. सं. 334/2/2021-टीआरयू]

राजीव रंजन, अवर सचिव

टिप्पण : मूल अधिसूचना, अधिसूचना सं. 11/2018-सीमाशुल्क, तारीख 2 फरवरी, 2018, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में सं. सा.का.नि. 114(अ), तारीख 2 फरवरी, 2018 द्वारा प्रकाशित की गई थी और अंतिम बार अधिसूचना सं. 9/2020-सीमाशुल्क, तारीख 2 फरवरी, 2020 द्वारा संशोधित तथा संख्या सा.का.नि. 69(अ), तारीख 2 फरवरी, 2020 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i), में प्रकाशित की गई थी।

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st February, 2021

No. 14/2021-Customs

G.S.R. 72(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962) read with section 110 of the Finance Act, 2018 (13 of 2018), the Central Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 11/2018-Customs, dated the 2nd February, 2018, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 114(E), dated the 2nd February, 2018, namely :-

In the said notification, in the TABLE, against serial number 1, in column (2), after the figure “2510 20,”, the figures “2515 11 00, 2515 12 10,” shall be inserted.

2. This notification shall come into force on the 2nd February, 2021.

[F. No. 334/2/2021-TRU]

RAJEEV RANJAN, Under Secy.

Note: The principal notification No. 11/2018-Customs, dated the 2nd February, 2018 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, sub-section (i), *vide* number G.S.R. 114(E), dated the 2nd February, 2018 and was last amended *vide* notification No. 09/2020-Customs, dated the 2nd February, 2020, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, sub-section (i), *vide* number G.S.R. 69(E), dated the 2nd February, 2020.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 फरवरी, 2021

सं. 15/2021-सीमाशुल्क

सा.का.नि. 73(अ).—केंद्रीय सरकार, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोक हित में ऐसा करना आवश्यक है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 82/2017-सीमाशुल्क, तारीख 27 अक्टूबर, 2017 जो सा.का.नि. 1341(अ), तारीख 27 अक्टूबर, 2017 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, में प्रकाशित की गई थी, का और संशोधन करती है, अर्थात् :-

उक्त अधिसूचना की सारणी में,

(i) क्रम सं.1 के सामने स्तंभ (2) में अंक “5003” के स्थान पर अंक “5002, 5003” रखे जाएंगे।

- (ii) क्रम सं.2 के सामने स्तंभ (4) में अंक और चिह्न "10%" के स्थान पर अंक और चिह्न "15%" रखे जाएंगे।
 (iii) क्रम सं.5 के सामने स्तंभ (2) में अंक "5204, 5205, 5206, 5207", के स्थान पर "5202,5204, 5205, 5206, 5207" अंक रखे जाएंगे।

2. यह अधिसूचना 2 फरवरी, 2021 से प्रवृत्त होगी।

[फा. सं. 334/2/2021-टीआरयू]

राजीव रंजन, अवर सचिव

टिप्पण : मूल अधिसूचना, अधिसूचना सं. 82/2017-सीमाशुल्क, तारीख 27 अक्टूबर, 2017 भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में सं. सा.का.नि. 1341(अ), तारीख 27 अक्टूबर, 2017 द्वारा प्रकाशित की गई थी और अंतिम बार अधिसूचना सं. 11/2020-सीमाशुल्क, तारीख 2 फरवरी, 2020 द्वारा संशोधित तथा संख्या सा.का.नि. 71(अ), तारीख 2 फरवरी, 2020 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित की गई थी।

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st February, 2021

No. 15/2021-Customs

G.S.R. 73(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 82/2017-Customs, dated the 27th October, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary *vide* number G.S.R. 1341(E), dated the 27th October, 2017, namely: -

In the said notification, in the TABLE, -

- (i) against serial number 1, in column (2), for the figure "5003", the figures "5002, 5003" shall be substituted;
- (ii) against serial number 2, in column (4), for the figure and symbol "10%", the figure and symbol "15%" shall be substituted;
- (iii) against serial number 5, in column (2), for the figures "5204, 5205, 5206, 5207", the figures "5202, 5204, 5205, 5206, 5207" shall be substituted.

2. This notification shall come into force on the 2nd February, 2021.

[F. No. 334/2/2021-TRU]

RAJEEV RANJAN, Under Secy.

Note: The principal notification No. 82/2017-Customs, dated the 27th October, 2017 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, sub-section (i), *vide* number G.S.R. 1341(E), dated the 27th October, 2017 and last amended by notification No. 11/2020-Customs, dated the 2nd February, 2020 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, sub-section (i), *vide* number G.S.R. 71(E), dated the 2nd February, 2020.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 फरवरी, 2021

सं. 9/2021-सीमाशुल्क (एन.टी.)

सा.का.नि. 74(अ).—केन्द्रीय सरकार, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 156 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सीमाशुल्क (शुल्क की रियायती दर पर माल का आयात) नियम, 2017 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ** – (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम सीमाशुल्क (शुल्क की रियायती दर पर माल का आयात) संशोधन नियम, 2021 है।

(2) ये 2 फरवरी, 2021 को प्रवृत्त होंगे।

2. सीमाशुल्क (शुल्क की रियायती दर पर माल का आयात) नियम, 2017 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) के नियम 3 में,—

(i) खंड (क) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

‘(कक) “पूँजी माल” से ऐसा माल अभिप्रेत है जिसका मूल्य निर्यातक की लेखा बहियों में पूँजीगत किया जाता है ;’;

(ii) खंड (ग) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

‘(गक) “छुटपुट काम” से स्वर्ण, आभूषण और उसकी वस्तु और अन्य कीमती धातु और पत्थर के सिवाय, आयातकर्ता के माल पर किसी व्यक्ति द्वारा ली गई छूट अधिसूचना से संगत कोई उपचार प्रक्रिया या विनिर्माण प्रक्रिया अभिप्रेत है और “छुटपुट कर्मकार” का तदनुसार अर्थ निकाला जाएगा।

(iii) खंड (ड.) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा :-

‘(ड.) “विनिर्माण” से, आयातकर्ता द्वारा किसी भी रीति में कच्ची सामग्री के प्रसंस्करण या इनपुट जिसके परिणामस्वरूप सुभिन्न प्रकृति या लक्षण या उपयोग या नाम का नया उत्पाद सृजित हो, अभिप्रेत हो और “विनिर्माता” पद का अर्थ तदनुसार लिया जाएगा।

(iv) खंड (च) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा:-

‘(च) “आउटपुट सेवा” से आयातित माल का प्रयोग करते हुए विक्रय के पश्चात् सेवा अपवर्जित करते हुए सेवा की आपूर्ति अभिप्रेत है।’।

3. उक्त नियम में, नियम 4 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा :-

“4. आयातकर्ता द्वारा पूर्व सूचना दिया जाना – आयातकर्ता, उस परिसर पर, जहां आयातित माल को माल के विनिर्माण के लिए प्रयोग हेतु या आउटपुट सेवा प्रदान करने के लिए रखा जाएगा, सिवाय विक्रय पश्चात् सेवा के मामले में, यथास्थिति, अधिकारितागत सीमाशुल्क उपायुक्त, सीमाशुल्क सहायक आयुक्त को निम्नलिखित विवरण, अर्थात् :-

(i) आयातकर्ता और उसके छुटपुट कर्मकार का नाम और पता, यदि कोई हो ;

(ii) आयातकर्ता की विनिर्माण सुविधा में उत्पादित माल या किए गए प्रसंस्करण और/या उसका छुटपुट कार्य करने वाला, यदि कोई हो, या दोनों ;

(iii) आयातकर्ता के परिसर में माल के विनिर्माण में प्रयुक्त आयातित माल की प्रकृति और विवरण या छुटपुट कार्य करने वाला, यदि कोई हो ;

(iv) आयातकर्ता माल का प्रयोग करते हुए प्रदान की गई आउटपुट सेवा की प्रकृति।”।

के बाबत सूचना उपलब्ध कराएगा।

4. उक्त नियम में, नियम 6 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात् :-

“6. आयातित माल की प्राप्ति के संबंध में आयातकर्ता द्वारा सूचना दिया जाना और अभिलेख रखा जाना - (1) आयातकर्ता, अधिकारितागत सीमा शुल्क प्राधिकारी को उस परिसर के संबंध में, जहां आयातित माल को विनिर्माण या छुटपुट कार्य या आउटपुट सेवा प्रदान किए जाने हेतु रखे जाने के प्रयोजनार्थ उपयोग किया जाएगा, माल प्राप्ति की सूचना दो दिनों के भीतर (अवकाश, यदि कोई है, को छोड़कर) प्रदान करेगा।

(2) आयातकर्ता, उस रीति में लेखा बनाए रखेगा, जिसमें -

- i. आयातित माल की मात्रा और मूल्य ;
- ii. उपभोग किए जा चुके आयातित माल ;
- iii. छुटपुट कार्य के लिए भेजे गए माल का, छुटपुट किए गए कार्य की प्रकृति;
- iv. छुटपुट कार्य के पश्चात् प्राप्त माल;
- v. नियम 7 के अधीन पुनः निर्यातित माल, यदि कोई हो; और
- vi. प्रवेश पत्र के अनुसार अधिशेष स्टॉक की मात्रा, स्पष्टतः उपदर्शित हो।

और उक्त खाते को उस परिसर, जहां आयातित माल को माल के विनिर्माण के लिए या छुटपुट सेवा प्रदान किए जाने के लिए रखा जाएगा, पर अधिकारितागत, यथास्थिति, सीमाशुल्क उपायुक्त या सीमाशुल्क सहायक आयुक्त द्वारा अपेक्षा किए जाने पर प्रस्तुत करेगा।

(3) आयातकर्ता उस परिसर, जहां आयातित माल को माल के विनिर्माण या छुटपुट सेवा प्रदान किए जाने के लिए रखा जाएगा, पर अधिकारितागत, यथास्थिति, सीमाशुल्क उपायुक्त या सीमाशुल्क सहायक आयुक्त के समक्ष इन नियमों के साथ उपाबंध प्रपत्र में त्रैमासिक लेखा अग्रिम त्रैमासिक अवधि के दसवें दिवस तक प्रस्तुत करेगा।”;

5. उक्त नियम में, नियम 6 के पश्चात् निम्न नियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“6क. छुटपुट काम के लिए आयातित माल अनुज्ञात करने हेतु प्रक्रिया- (1) आयातकर्ता, अधिकारितागत सीमाशुल्क अधिकारी को द्वितीय प्रति के साथ संसूचना देने के पश्चात् माल विनिर्माण के आशय के लिए स्वर्ण, आभूषण और उनसे बनी वस्तुओं, और अन्य कीमती धातुओं या पत्थरों के सिवाय छुटपुट काम के लिए आयातित माल भेजेगा।

(2) आयातकर्ता निम्न ब्यौरे, अर्थात्:-

- i. छुटपुट कर्मकार का नाम और पता ;
- ii. विनिर्माण प्रक्रिया में आयातित माल पर किए जाने वाले छुटपुट काम की प्रकृति और विवरण ;
- iii. छुटपुट कर्मकारको भेजे जाने वाले माल की मात्रा और विवरण ;

भी विनिर्दिष्ट करेगा।

(3) अधिकारितागत सीमाशुल्क अधिकारी, संबद्ध सीमाशुल्क अधिकारी को, जिसकी अधिकारिता के अधीन छुटपुट कर्मकार का परिसर स्थित है, उपनियम (1) और (2) में विनिर्दिष्ट माल के ब्यौरे के साथ संसूचना की प्रति अग्रप्रेषित करेगा।

(4) आयातकर्ता, छुटपुट कर्मकार के परिसर पर चालान के साथ, जिसमें माल का विवरण और मात्रा निर्दिष्ट की गई हो, माल भेजेगा।

(5) छुटपुट कर्मकारको माल भेजने की अधिकतम अवधि उपनियम (4) में विनिर्दिष्ट चालान जारी करने की तारीख से छह माह होगी।”

(6) यदि आयातकर्ता यह सिद्ध करने में असमर्थ है कि छुटपुट काम के लिए भेजा गया माल उपनियम (2) में विनिर्दिष्ट छुटपुट काम के ब्यौरों के अनुसार प्रयोग में लाया गया है, तब अधिकारितागत सीमाशुल्क अधिकारी नियम 8 और नियम 8क के अधीन आयातकर्ता के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई करेगा।

(7) छुटपुट कर्मकार,-

- i. माल की प्राप्ति, उसके विनिर्माण की प्रक्रिया और इस प्रक्रिया के दौरान उत्पन्न कचरे का, यदि कोई है, लेखा तैयार करेगा।
- ii. अधिकारितागत सीमाशुल्क अधिकारी के समक्ष, जब कभी उक्त अधिकारी द्वारा अपेक्षित हो, लेखा ब्यौरे प्रस्तुत करेगा ;
- iii. छुटपुट काम की समाप्ति के पश्चात् आयातकर्ता को या अन्य छुटपुट कर्मकार को आयातकर्ता द्वारा यथानिर्देशित चालान या मुख्य विनिर्माता द्वारा सम्यक् रूप से अनुमोदित चालान के अधीन शेष प्रक्रिया, यदि कोई है, करने के लिए भेजेगा।

6. उक्त नियम में, नियम 7 में, उपनियम (2) के पश्चात्, निम्न उपनियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“(3) आयातकर्ता, उस परिसर पर अधिकारिता रखने वाले अधिकारितागत, यथास्थिति, सीमाशुल्क उपायुक्त या सहायक सीमाशुल्क आयुक्त, जहां आयातित माल विनिर्माण के लिए या आउटपुट सेवा प्रदान करने के लिए रखा जाएगा, पूंजीगत आयातित माल की निकासी विनिर्दिष्ट प्रयोजनार्थ उपयोग में लाने के पश्चात्, उस शुल्क का संदाय करने पर और आयात के समय ब्याज के साथ अधिनियम की धारा 28कक के अधीन जारी अधिसूचना द्वारा नियत दर पर पहले से संदाय किए गए शुल्क, यदि कोई है, के अंतर के बराबर होगा नीचे विनिर्दिष्ट रीति में अनुज्ञात अवक्षयण मूल्य पर, करेगा, अर्थात् :-

- (i) पहले वर्ष में प्रत्येक त्रैमासिक के लिए @ 4%
- (ii) दूसरे वर्ष में प्रत्येक त्रैमासिक के लिए @ 3%
- (iii) तीसरे वर्ष में प्रत्येक त्रैमासिक के लिए @ 3%
- (iv) चौथे और पांचवें वर्ष में प्रत्येक त्रैमासिक के लिए @ 2.5%
- (v) और इसके पश्चात् प्रत्येक त्रैमासिक के लिए @ 2%

स्पष्टीकरण- (1) किसी त्रैमासिक के किसी भाग के लिए अवक्षयण दर की गणना के प्रयोजनार्थ संपूर्ण त्रैमासिक माना जाएगा।

(2) ऐसे अवक्षयण के लिए कोई भी अधिकतम सीमा नहीं होगी।

(3) अवक्षयण उस तारीख से अनुज्ञात किया जाएगा, जिस तारीख से आयातित पूंजीगत माल की निकासी की तारीख तक उसका उपयोग अपवाद अधिसूचना में विनिर्दिष्ट प्रयोजनार्थ किया गया है”

7. उक्त नियम में, नियम 8 को उसके उपनियम (1) के रूप में पुनःसंख्यांकित किया जाएगा और नियम 8 के उस प्रकार संख्यांकित किए जाने के पश्चात् निम्न उपनियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“(2) आयातकर्ता छुटपुट कार्य के लिए आयातित माल के हटाने और उसके प्रसंस्करण से संबंधित उन नियमों में विनिर्दिष्ट किसी भी बात के होते हुए, यह सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार होगा कि उक्त माल का उपयोग अपवाद अधिसूचना में उपबंधित प्रयोजनों के अनुसरण में किया गया है और ऐसा करने में असफल होने की दशा में, उस परिसर पर अधिकारिता रखने वाले अधिकारितागत, यथास्थिति, सीमाशुल्क उपायुक्त, या सहायक सीमाशुल्क आयुक्त, जहां माल के विनिर्माण के लिए या आउटपुट सेवा देने के लिए आयातित माल रखा जाएगा, इन नियमों के अधीन ऐसी अन्य किसी भी कार्रवाई पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, जिसे इस अधिनियम, नियमों, विनियमों या तत्समय प्रवृत्त अन्य किसी विधि के अधीन कार्रवाई करेगा।”

8. उक्त नियम में, नियम 8 के पश्चात् निम्नलिखित नियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

8क. शास्ति- आयातकर्ता या छुटपुट कर्मकार जो इन नियमों के किसी भी उपबंध का अतिक्रमण करता है या ऐसे अतिलंघन का दुष्प्रेरण करता है, ऐसी किसी कार्यवाही पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना जो उस अधिनियम, नियम या विनियम या तत्समय प्रवृत्त अन्य किसी विधि के अधीन की जा सके, इस अधिनियम की धारा 158 की उपधारा (2) के खंड (ii) के अधीन विनिर्दिष्ट राशि की शास्ति के लिए जिम्मेदार होगा।

9. उक्त नियम में, प्ररूप के स्थान पर, निम्नलिखित प्ररूप रखा जाएगा, अर्थात् :-

“प्ररूप

[नियम 6(3) देखें]

त्रैमासिक विवरण

—को समाप्त होने वाली त्रैमासिक अवधि के लिए विवरण

क्र.सं.	प्रवेश पत्र की संख्या और तारीख	छूट की दर पर आयातित माल का विवरण	त्रैमासिक अवधि के प्रथम दिवस पर आरंभिक अतिशेष	त्रैमासिक अवधि के दौरान आयातित/उपभोग किए गए/ पुनः निर्यात किए गए/निकामी किए गए माल का विवरण										शुल्क की छूट की दर पर माल को उपार्जन किए जाने के विनिर्दिष्ट प्रयोजन	त्रैमासिक अवधि के दौरान माल/उपलब्ध कराई गई आउटपुट/सेवा	क्या माल विनिर्दिष्ट प्रयोजन के लिए प्रयोग किया गया या नहीं और निर्यात की स्थिति में कर बीजक/पात परिवहन पत्र के विवरण के साथ आयातित माल को विनिर्दिष्ट करें	
				प्राप्त माल का मूल्य	प्राप्त माल की मात्रा	स्तंभ (4) और (6) का योग	आशयित प्रयोजन के लिए उपभोग की मात्रा	चालान सं. द्वारा छूटपुट कर्मकारको भेजी गई मात्रा	आशयित अवधि के लिए छूटपुट कार्य के दौरान उपभोग की मात्रा	छूटपुट कार्य करने वाले से वापस मात्रा मात्रा(चालान सं. द्वारा)	पुनर्निर्यात की मात्रा	धरेलू बाजार में भेजी गई मात्रा	त्रैमासिक अवधि के अंतिम दिवस पर अंतिम अतिशेष				विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)

[फा. सं. 450/28/2016-सीशु-IV]

अनंत राधाकृष्णन, उप सचिव

टिप्पण: ये मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में अधिसूचना सं. 803, तारीख 30 जून, 2017 द्वारा प्रकाशित किए गए।

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st February, 2021

No. 9/2021-Customs (N.T)

G.S.R. 74(E).—In exercise of the powers conferred by section 156 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government hereby makes the following rules to amend the Customs (Import of Goods at Concessional Rate of Duty) Rules, 2017, namely: -

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Customs (Import of Goods at Concessional Rate of Duty) Amendment Rules, 2021.

(2) They shall come into force on the 2nd February, 2021.

2. In the Customs (Import of Goods at Concessional Rate of Duty) Rules, 2017 (hereinafter referred to as the said rules, in rule 3, —

(i) after clause (a), the following clause shall be inserted, namely: —

‘(aa) “capital goods” means goods, the value of which is capitalised in the books of account of the importer;’;

(ii) after clause (c), the following clause shall be inserted, namely: —

‘(ca) “job work” means any treatment, process or manufacture, consistent with the exemption notification undertaken by a person on goods belonging to the importer except gold, jewellery and articles thereof, and other precious metals or stones; and the term “job worker” shall be construed accordingly;’;

(iii) for clause (e), the following clause shall be substituted, namely: —

‘(e) “manufacture” means the processing of raw materials or inputs by the importer in any manner that results in emergence of a new product having a distinct nature or character or use or name; and the term “manufacturer” shall be construed accordingly;’;

(iv) for clause (f), the following clause shall be substituted, namely: —

‘(f) “output service” means supply of service excluding after-sales service, utilizing imported goods.’.

3. In the said rules, for rule 4, the following rule shall be substituted, namely: —

“4. Importer to give prior information. – The importer shall provide information to the Deputy Commissioner of Customs, or, as the case may be, the Assistant Commissioner of Customs having jurisdiction over the premises where the imported goods shall be put to use for manufacture of goods or for rendering output service except after-sales service, about the following particulars, namely: —

- (i) the name and address of the importer and his job worker, if any;
- (ii) the goods produced or process undertaken at the manufacturing facility of the importer and/or his job worker, if any, or both;
- (iii) the nature and description of imported goods used in the manufacture of goods at the premises of the importer or the job worker, if any;
- (iv) nature of output service rendered utilising imported goods.”.

4. In the said rules, for rule 6, the following rule shall be substituted, namely: —

“6. Importer to give information regarding receipt of imported goods and maintain records. -

(1) The importer shall provide information of the receipt of the imported goods in the premises, where the imported goods shall be put to use for manufacture of goods or job work or for rendering output service within two days (excluding holidays, if any) of such receipt to the Jurisdictional Customs Officer.

(2) The importer shall maintain an account in such manner to clearly indicate the quantity,-

- i. and value of goods imported;
- ii. of imported goods consumed;
- iii. of goods sent for job work, nature of job work carried out;
- iv. of goods received after job work;
- v. of goods re-exported, if any, under rule 7; and
- vi. remaining in stock, according to bills of entry,

and shall produce the said account as and when required by the Deputy Commissioner of Customs, or, as the case may be, the Assistant Commissioner of Customs having jurisdiction over the premises or where the imported goods shall be put to use for manufacture of goods or for rendering output service.

(3) The importer shall submit a quarterly return, in the form appended to these rules to the Deputy Commissioner of Customs, or, as the case may be, the Assistant Commissioner of Customs having jurisdiction over the premises where the imported goods shall be put to use for manufacture of goods or for rendering output service, by the tenth day of the following quarter.”;

5. In the said rules, after rule (6), the following rule shall be inserted, namely: —

“6A. Procedure for allowing imported goods for job work. - (1) The importer shall send the imported goods except gold, jewellery and articles thereof; and other precious metals or stones for job work, for manufacture of goods, after giving an intimation in duplicate to the Jurisdictional Customs Officer of his intention to do so.

(2) The importer shall also specify the following particulars, namely: —

- i. name and address of the job worker;
- ii. nature and description of the job work to be carried on the imported goods in the manufacturing process;
- iii. quantity and description of the goods intended to be sent to the job worker.

(3) The Jurisdictional Customs Officer shall forward a copy of the intimation along with the particulars specified in sub-rules (1) and (2) to the concerned Customs Officer under whose jurisdiction the premises of the job worker is situated.

(4) The importer shall send the goods to the premises of the job worker enclosing a challan, specifying the description and quantity of the goods.

(5) The maximum period for which the goods can be sent to the job worker shall be six months from the date of issue of challan specified in sub-rule (4).

(6) In case the importer is unable to establish that the goods sent for job work have been used as per the particulars of job work referred in sub-rule (2), the Jurisdictional Customs Officer shall take necessary action against the importer under rules 8 and 8A.

(7) The job worker shall

- i. maintain an account of receipt of goods, manufacturing process undertaken thereon and the waste generated, if any, during such process;
- ii. produce the account details before the Jurisdictional Customs Officer as and when required by the said officer;
- iii. after completion of the job work send the processed goods to the importer or to another job worker as directed by the Importer for carrying out the remaining processes, if any, under the cover of a challan or the challan of the principal manufacturer duly endorsed by him.”.

6. In the said rules, in rule 7, after sub-rule (2), the following sub-rule shall be inserted, namely: —

“(3) The importer, with the permission of the jurisdictional Deputy Commissioner of Customs or, as the case may be, Assistant Commissioner of Customs having jurisdiction over the premises where the imported goods shall be put to use for manufacture of goods or for rendering output service, may clear the imported capital goods, after having been used for the specified purpose, on payment of duty equal to the difference between the duty leviable on such goods but for the exemption availed and that already paid, if any, at the time of importation, along with interest, at the rate fixed by the notification issued under section 28AA of the Act, on the depreciated value allowed in straight line method, as specified below, namely : —

- | | | |
|-------|--|---------|
| (i) | for every quarter in the first year | @ 4%; |
| (ii) | for every quarter in the second year | @ 3%; |
| (iii) | for every quarter in the third year | @ 3%; |
| (iv) | for every quarter in the fourth and fifth year | @ 2.5%; |
| (v) | and thereafter for every quarter | @ 2%. |

Explanation. - (1) For the purpose of computing rate of depreciation for any part of a quarter, a full quarter shall be taken into account.

(2) There shall be no upper limit for such depreciation.

(3) The depreciation shall be allowed from the date when the imported capital goods have come into use for the purpose as specified in the exemption notification upto the date of its clearance.”.

7. In the said rules, rule 8 shall be renumbered as sub-rule (1) thereof and after rule 8 as so renumbered, the following sub-rule shall be inserted, namely: —

“(2) Notwithstanding anything specified in these rules in relation to removal and processing of imported goods for job work, the importer shall be responsible for ensuring that the said goods are used in accordance with the purposes provided in the exemption notification and in the event of failure to do so, the Jurisdictional Deputy Commissioner of Customs, or, as the case may be, the Assistant Commissioner of Customs having jurisdiction over the premises where the imported goods shall be put to use for manufacture of goods or for rendering output service, shall take action under these rules, without prejudice to any other action which may be taken under the Act, rules or regulations made thereunder or under any other law for the time being in force.”.

8. In the said rules, after rule 8, the following rule shall be inserted, namely: —

“**8A. Penalty.** -The importer or a job worker who contravenes any of the provisions of these rules or abets such contravention, shall be liable to a penalty to an extent of the amount specified under clause (ii) of sub-section (2) of section 158 of the Act without prejudice to any other action which may be taken under the Act, rules or regulations made thereunder or under any other law for the time being in force.”.

9. In the said rules, for the form, the following form shall be substituted, namely: —

“**Form**

[See rule 6(3)]

QUARTERLY RETURN

Return for the quarter ending _____

Sl. No.	Bill of Entry No. and date	Description of goods imported at concessional rate	Opening balance on the 1st day of the quarter	Details of goods imported/ consumed/ reexported/ cleared during the quarter										Specified purpose for procuring the goods at concessional rate of duty.	Goods manufactured during the quarter/Output service provided	Whether the goods used for specified purpose or not and in case of export, specify the quantity exported with details of Tax Invoice/ Shipping Bill”.	
				Value of goods received	Quantity of goods received	Total of column (4) and (6)	Quantity consumed for the intended purpose	Quantity sent to the job worker challan No. wise	Quantity consumed during job work for the intended purpose	Quantity received back from the job worker (challan No. wise)	Quantity re-exported	Quantity cleared in to the domestic market	Closing balance on the last day of the quarter				Description
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)

[F. No. 450/28/2016-Cus-IV]

ANANTH RATHAKRISHNAN, Dy. Secy.

Note : The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide number G.S.R. 803(E), dated the 30th June, 2017.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 फरवरी, 2021

सं. 10/2021-सीमाशुल्क (एन.टी.)

सा.का.नि. 75(अ).—केंद्रीय सरकार, सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की धारा 9क की उपधारा (6) और धारा 9ख की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तु की पहचान, उस पर प्रति पाटित शुल्क का निर्धारण और संग्रहण तथा क्षति का अवधारण) नियम, 1995 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तु की पहचान, उस पर प्रति पाटित शुल्क का निर्धारण और संग्रहण तथा क्षति का अवधारण) संशोधन नियम, 2021 है।

(2) इन नियमों में अन्यथा उपबंधित के सिवाय, ये तारीख 2 फरवरी, 2021 से प्रवृत्त होंगे।

2. सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तु की पहचान, उस पर प्रति पाटित शुल्क का निर्धारण और संग्रहण तथा क्षति का अवधारण) नियम, 1995 में,-

(क) नियम 5 में,-

(i) उपनियम (3) के पश्चात्, निम्नलिखित उपनियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“(3क) अन्वेषण की अवधि,-

(i) अन्वेषण के प्रारंभ की तारीख से छह मास से अन्यून नहीं होगी।

(ii) सामान्यतः बारह मास की अवधि की होगी और लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों के पश्चात् अभिहित प्राधिकारी न्यूनतम छह मास या अधिकतम अठारह मास पर विचार कर सकेगा।”;

(ii) उपनियम (4) में, “सीमा शुल्क कलक्टर” शब्दों के स्थान पर, “यथास्थिति, प्रधान सीमा शुल्क आयुक्त या सीमा शुल्क आयुक्त” शब्द रखे जाएंगे;

(ख) नियम 22 के स्पष्टीकरण का लोप किया जाएगा;

(ग) 1 जुलाई, 2021 से, नियम 23 में,-

(i) उपनियम (2) में निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“परंतु नियम 17 में अंतर्विष्ट किसी अन्य बात के होते हुए भी, ऐसा पुनर्विलोकन, पुनर्विलोकन के अधीन प्रति पाटित शुल्क की समाप्ति से कम से कम तीन मास पूर्व में पूरा किया जाएगा।”;

(ii) उपनियम (3) के स्थान पर, निम्नलिखित उपनियम रखे जाएंगे, अर्थात् :-

“(3) उपनियम (2) के अधीन नियम 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 17, 18, 19 और 20 के उपबंध पुनर्विलोकन के मामले में यथा-आवश्यक परिवर्तन सहित लागू होंगे।”;

(घ) नियम 26 में, उपनियम (4) के पश्चात् निम्नलिखित उपनियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“(4क) केंद्रीय सरकार, अभिहित प्राधिकारी की सिफारिश पर, प्रवृत्त प्रति पाटित शुल्क के परिवंचित होने के अभिकथित वस्तु के आयातों के अनंतिम निर्धारण का अवलंब ले सकेगी और केंद्रीय सरकार, नियम 27 के उपनियम (3) के अधीन विनिश्चय किए जाने के समय तक आयातकर्ता से गारंटी की मांग कर सकेगी”;

(ङ) 1 जुलाई, 2021 से, नियम 28 के उपनियम (2) में, निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“परंतु ऐसा पुनर्विलोकन, पुनर्विलोकन के अधीन शुल्क की समाप्ति से न्यूनतम तीन मास पूर्व पूरा किया जाएगा।”।

[फा. सं. 334/2/2021-टीआरयू]

राजीव रंजन, अवर सचिव

टिप्पण : मूल नियम, अधिसूचना सं. 02/1995-सीमा शुल्क (एन.टी.), तारीख 1 जनवरी, 1995 संख्यांक सा.का.नि. 1(अ), तारीख 1 जनवरी, 1995 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित की गई थी और अधिसूचना सं. 09/2020-सीमा शुल्क (एन.टी.), तारीख 2 फरवरी, 2020 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) संख्यांक सा.का.नि. 73(अ), तारीख 2 फरवरी, 2020 द्वारा अंतिम बार संशोधित की गई थी।

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st February, 2021

No. 10/2021-Customs (NT)

G.S.R. 75(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (6) of section 9A and sub-section (2) of section 9B of the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, namely: -

1. Short title and commencement. — (1) These rules may be called the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Amendment Rules, 2021.
- (2) Save as otherwise provided in these rules. they shall come into force on the 2nd February, 2021.
2. In the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, -
 - (a) in rule 5,-
 - (i) after sub-rule (3), the following sub-rule shall be inserted, namely: -

“(3A) The period of investigation shall, -

 - (i) not be more than six months old as on the date of initiation of investigation;
 - (ii) be for a period of twelve months normally and for reasons to be recorded in writing, the designated authority may consider a minimum of six months or maximum of eighteen months.”;
 - (ii) in sub-rule (4), for the words “Collector of Customs”, the words “Principal Commissioner of Customs or Commissioner of Customs, as the case may be,” shall be substituted;
 - (b) in rule 22, the Explanation shall be omitted;
 - (c) with effect from the 1st day of July, 2021, in rule 23, -
 - (i) in sub-rule (2), the following proviso shall be inserted, namely: -

“Provided that notwithstanding anything contained in rule 17, such review shall be completed at least three months prior to expiry of the anti-dumping duty under review.”;
 - (ii) for sub-rule (3), the following sub-rule shall be substituted, namely: -

“(3) Subject to sub-rule (2), the provisions of rules 6,7, 8, 9, 10, 11, 16, 17, 18, 19 and 20 shall apply *mutatis mutandis* in the case of review.”;
- (d) in rule 26, after sub-rule (4), the following sub-rule shall be inserted, namely: -

“(4A) The Central Government may, on recommendation of the designated authority, resort to provisional assessment of the imports of the article alleged to be circumventing an anti-dumping duty in force and may ask a guarantee from the importer, till the time a decision under sub-rule (3) of rule 27 is taken by the Central Government.”;
- (e) with effect from the 1st day of July, 2021, in rule 28, in sub-rule (2), the following proviso shall be inserted, namely: -

“Provided that such review shall be completed at least three months prior to expiry of the duty under review.”.

[F.No.334/2/2021-TRU]

RAJEEV RANJAN, Under Secy.

Note:- The principal rules were published *vide* notification number 2/1995-Customs (N.T), dated the 1st day of January, 1995, in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 1(E), dated the 1st day of January, 1995 and were last amended *vide* notification number 9/2020-Customs (N.T), dated the 2nd February, 2020, *vide* number G.S.R. 73(E), dated the 2nd February, 2020.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 फरवरी, 2021

सं. 11/2021-सीमाशुल्क (एन.टी.)

सा.का.नि. 76(अ).—केंद्रीय सरकार, सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की धारा 9 की उपधारा (7) और धारा 9ख की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सीमा शुल्क टैरिफ (सहायकी वस्तु की पहचान, उस पर प्रतिशुल्क का निर्धारण और संग्रहण तथा क्षति का अवधारण) नियम, 1995 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ – (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम सीमा शुल्क टैरिफ (सहायकी वस्तु की पहचान, उस पर प्रतिशुल्क का निर्धारण और संग्रहण तथा क्षति का अवधारण) संशोधन नियम, 2021 है।
- (2) इन नियमों में अन्यथा उपबंधित के सिवाय, ये तारीख 2 फरवरी, 2021 से प्रवृत्त होंगे।
2. सीमा शुल्क टैरिफ (सहायकी वस्तु की पहचान, उस पर प्रतिशुल्क का निर्धारण और संग्रहण तथा क्षति का अवधारण) नियम, 1995 में –

(क) नियम 2 में, खंड (ख) में, “आयातक हैं,” शब्दों के पश्चात्, ‘और तब “घरेलू उद्योग” पद का निर्वचन शेष उत्पादकों को निर्दिष्ट करते हुए किया जा सकेगा’, शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे;

(ख) नियम 6 में, उप-नियम (4) में “सीमा शुल्क कलक्टर” शब्दों के स्थान पर, “यथास्थिति प्रधान आयुक्त सीमा शुल्क अथवा आयुक्त सीमा शुल्क” शब्द रखे जाएंगे;

(ग) नियम 24 में, -

(i) 1 जुलाई, 2021 से, उप-नियम (4) में, निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“परन्तु नियम 19 में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, ऐसा पुनर्विलोकन, पुनर्विलोकन के अधीन प्रतिशुल्क की समाप्ति के न्यूनतम तीन मास पूर्व पूरा किया जाएगा।”;

(ii) उप-नियम (5) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-नियम रखा जाएगा, अर्थात् :-

“(5) उप-नियम (4) के अधीन, नियम 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 18, 19, 20, 21 और 22 के उपबंध पुनर्विलोकन के मामले में यथाआवश्यक परिवर्तन सहित लागू होंगे।”;

(घ) नियम 26 में उप-नियम (4) के पश्चात्, निम्नलिखित उप-नियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“(4क) केंद्रीय सरकार, अभिहित प्राधिकारी की सिफारिश पर, प्रवृत्त प्रति पाटित शुल्क के परिवंचित होने के अभिकथित वस्तु के आयातों के अनंतिम निर्धारण का अवलंब ले सकेगी और केंद्रीय सरकार, नियम 27 के उपनियम (3) के अधीन विनिश्चय किए जाने के समय तक आयातकर्ता से गारंटी की मांग कर सकेगी।”;

(ड) 1 जुलाई, 2021 से, नियम 28 में उप-नियम (2) में निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-
“परन्तु ऐसा पुनर्विलोकन, पुनर्विलोकन के अधीन शुल्क की समाप्ति से न्यूनतम तीन मास पूर्व पूरा किया जाएगा।”।

[फा. सं. 334/2/2021-टी.आर.यू.]

राजीव रंजन, अवर सचिव

टिप्पण: मूल नियम अधिसूचना सं0 1/1995-सीमाशुल्क (एन.टी.), तारीख 1 जनवरी, 1995 संख्यांक सा.का.नि. 2(अ) तारीख 1 जनवरी, 1995 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित की गई थी और अधिसूचना सं0 10/2020-सीमाशुल्क (एन.टी.), तारीख 2 फरवरी, 2020 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) संख्यांक सा.का.नि 74(अ) तारीख 2 फरवरी, 2020 द्वारा अंतिम रूप से संशोधन किए गए थे।

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st February, 2021

No. 11/2021-Customs (NT)

G.S.R. 76(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (7) of section 9 and sub-section (2) of section 9B of the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Countervailing Duty on Subsidized Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, namely :-

1. Short title and commencement. — (1) These rules may be called the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Countervailing Duty on Subsidized Articles and for Determination of Injury) Amendment Rules, 2021.
- (2) Save as otherwise provided in these rules, they shall come into force on the 2nd February, 2021.
2. In the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Countervailing Duty on Subsidized Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995,-
 - (a) in rule 2, in clause (b), after the word “thereof”, the words ‘, the term "domestic industry" may be interpreted as referring to the rest of the producers’ shall be inserted;
 - (b) in rule 6, in sub-rule (4), for the words “Collector of Customs”, the words “Principal Commissioner of Customs or Commissioner of Customs, as the case may be,” shall be substituted;
 - (c) in rule 24, -
 - (i) with effect from the 1st day of July, 2021, in sub-rule (4), the following proviso shall be inserted, namely: -
“Provided that notwithstanding anything contained in rule 19, such review shall be completed at least three months prior to expiry of the countervailing duty under review.”;
 - (ii) for sub-rule (5), the following sub-rule shall be substituted, namely-
“(5) Subject to sub-rule (4), the provisions of rules 7,8,9,10,11,12,13,18,19,20,21 and 22 shall apply mutatis mutandis in case of review.”;
 - (d) in rule 26, after sub-rule (4), the following sub-rule shall be inserted, namely: -
“(4A) The Central Government may, on recommendation of the designated authority, resort to provisional assessment of the imports of the article alleged to be circumventing a countervailing duty in force and may ask a guarantee from the importer, till the time a decision under sub-rule (3) of rule 27 is taken by the Central Government.”;
 - (e) with effect from the 1st day of July, 2021, in rule 28, in sub-rule (2), the following proviso shall be inserted, namely: -

“Provided that such review shall be completed at least three months prior to expiry of the duty under review.”.

[F. No. 334/2/2021-TRU]

RAJEEV RANJAN, Under Secy.

Note:- The principal rules were published *vide* notification number 1/1995-Customs (N.T), dated the 1st day of January, 1995, in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 2(E), dated the 1st day of January, 1995 and were last amended *vide* notification number 10/2020-Customs (N.T), dated the 2nd February, 2020, *vide* number G.S.R. 74(E), dated the 2nd February, 2020.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 फरवरी, 2021

सं. 12/2021-सीमाशुल्क (एन.टी.)

सा.का.नि. 77(अ).—केंद्रीय सरकार, सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की धारा 8ख की उपधारा (10) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सीमाशुल्क टैरिफ (सुरक्षा शुल्क की पहचान और निर्धारण) नियम, 1997 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ – (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम सीमाशुल्क टैरिफ (सुरक्षा शुल्क की पहचान और निर्धारण) संशोधन नियम, 2021 है।

(2) ये तारीख 2 फरवरी, 2021 को प्रवृत्त होंगे।

2. सीमाशुल्क टैरिफ (सुरक्षा शुल्क की पहचान और निर्धारण) नियम, 1997 में (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) के नियम 1 के उपनियम (1) में, “सुरक्षा शुल्क” शब्द के स्थान पर “सुरक्षा उपाय” शब्द रखा जाएगा।

3. उक्त नियम में, नियम 2 में –

(क) खंड (ख) में, शब्द “शुल्क” शब्द के स्थान पर, “उपाय” शब्द रखा जाएगा;

(ख) खंड (घ) के उपखंड (i) में, “शुल्क” शब्द के स्थान पर, “उपाय” शब्द रखा जाएगा;

(ग) खंड (च) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :-

‘(च) “अनंतिम उपाय” से अधिनियम की धारा 8ख की उपधारा (5) के अधीन अधिरोपित अनंतिम सुरक्षा उपाय अभिप्रेत है;’;

(घ) खंड (च) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

‘(चक) “सुरक्षा उपाय” से अधिनियम की धारा 8ख की उपधारा (1) के अधीन अधिरोपित सुरक्षा शुल्क, या कोई टैरिफ दर कोटा या ऐसे अन्य उपाय, अभिप्रेत है;’;

(ड.) खंड (छ) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

‘(छक) “डब्ल्यूटीओ” से विश्व व्यापार संगठन अभिप्रेत है;’;

4. उक्त नियम के, नियम 3 में, दोनों स्थानों पर आने वाले “सुरक्षा” शब्द के स्थान पर “व्यापार उपचार” शब्द रखे जाएंगे।

5. उक्त नियम के नियम 4 में-

(क) खंड (2) में, “शुल्क” शब्द के स्थान पर “उपाय” शब्द रखा जाएगा ;

(ख) खंड (4) में:-

(i) दोनों स्थानों पर आने वाले “शुल्क” शब्द के स्थान पर “उपाय” शब्द रखा जाएगा ;

(ii) उपखंड (ii) में “सकारात्मक” शब्द का लोप किया जाएगा;

(ग) खंड (5) में “शुल्क” शब्द के स्थान पर “उपाय” शब्द रखा जाएगा।

6. उक्त नियम के नियम 5 में,-

(i) उपनियम (2) में खंड (ख) में “सकारात्मक” शब्द का लोप किया जाएगा;

(ii) उक्त नियम (4) में “सीमा शुल्क आयुक्त” शब्दों के स्थान पर “यथास्थित प्रधान आयुक्त सीमा शुल्क या आयुक्त सीमा शुल्क” शब्द रखे जाएंगे।

7. उक्त नियम में, नियम 6 में, उपनियम (1) में, खंड (i) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात्:-

“(i) निर्यातक देशों, अंतर्वर्तित वस्तु और आयात की मात्रा के नाम;”।

8. उक्त नियम में, नियम 8 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात्:-

“8 गंभीर क्षति या गंभीर क्षति की आशंका का विनिर्धारण -महानिदेशक घरेलू उद्योग के लिए गंभीर क्षति या गंभीर क्षति की आशंका का विनिर्धारण निम्नलिखित सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए करेगा, अर्थात्:-

(i) अन्वेषण में यह अवधारित करने के लिए कि वर्धित आयात में किसी घरेलू उद्योग को गंभीर क्षति कारित हुई है या कारित होने की आशंका है, महानिदेशक उस उद्योग की अवस्थिति पर उसके आचरण की प्रकृति के लिए उद्देश्य और अनुमान्य सभी सुसंगत कारकों का मूल्यांकन करेगा, विशिष्ट तथा संबद्ध वस्तु के आयात में आत्यांतिक या आपेक्षिक रूप में वृद्धि की दर और रकम, वर्धित आयात द्वारा लिए गए घरेलू बाजार के शेयर, विक्रय, उत्पादन, उत्पादकता, उपयोग क्षमता, लाभ और हानि तथा नियोजन के स्तर में परिवर्तन ;

(ii) खंड (i) में निर्दिष्ट अवधारण तब तक नहीं किया जाएगा जब तक ऐसा अन्वेषण वस्तुविष्ट साक्ष्य के आधार पर संबद्ध वस्तु के वर्धित आयात और गंभीर क्षति या उसकी आशंका के बीच आकस्मिक संबद्धता विद्यमान होने का प्रदर्शन नहीं करता है। जब घरेलू उद्योग को उसी समय वर्धित आयात से भिन्न कारक क्षति कारित कर रहे हों, तब ऐसी क्षति वर्धित आयात से होनी नहीं मानी जाएगी। ऐसी दशाओं में महानिदेशक ऐसी शिकायत को प्रतिपादन या प्रतिशुल्क अन्वेषणों के लिए यथा-समुचित प्राधिकारों को निर्देशित कर सकेगा।”।

9. उक्त नियम में, नियम 10 में,-

(i) “शुल्क” शब्द, जहां कहीं वे आते हैं, के स्थान पर “उपाय” शब्द रखा जाएगा;

(ii) “उपधारा (2)” शब्दों, कोष्ठकों और अंकों के स्थान पर, “उपधारा (5)” शब्द, कोष्ठक और अंक रखे जाएंगे।

10. उक्त नियम में, नियम 11 में,-

(i) उपनियम (2) के स्थान पर निम्न उपनियम रखा जाएगा, अर्थात्:-

“(2) (क) महानिदेशक उपाय की सीमा से संबंधित सिफारिश भी करेगा जो, यदि उद्धृति की गई है, गंभीर क्षति का निवारण करने या उपचार करने के लिए और समायोजन को सुकर बनाने के लिए समुचित होगा;

(ख) टैरिफ दर कोटे का स्तर, यदि उपाय के रूप में अधिरोपित किया जाता है, निम्न शर्तों के अध्यक्षीन निर्धारित किया जाएगा, अर्थात्:-

(i) प्रतिनिधिक अवधि के परे वस्तु के पारंपरिक व्यापार प्रवाह को बनाए रखना;

(ii) देश में विद्यमान और संभावी मांग आपूर्ति के परिदृश्य; और

(iii) अन्य कोई शर्त जिसे सुसंगत माना जाए;

परंतु लागू टैरिफ दर कोटा आयात की मात्रा को वर्तमान अवधि के उस स्तर से कम नहीं करेगा जो पिछले तीन वर्षों के आयात, जिसके आंकड़े उपलब्ध हैं, का औसत होगा जब तक कि गंभीर क्षति के निवारण करने या उपचार करने के लिए भिन्न स्तर आवश्यक न हो;

(ग) टैरिफ दर कोटा वैश्विक या देशीय विनिर्दिष्ट हो सकेगा ;

(घ) विनिर्दिष्ट टैरिफ दर कोटा देशों को प्रतिनिधि अवधि के दौरान देश में संबंधित वस्तु के आयात के भाग के अनुपात पर विचार करते हुए सारभूत हित के साथ और ऐसे सभी सुसंगत कारकों को ध्यान में रखते हुए जो उस वस्तु में किए गए व्यापार को प्रभावित कर सके या ऐसी संभाव्यता हो, आबंटित किया जा सकेगा;

(ड.) ऐसे मामले में जहां टैरिफ दर कोटा किसी देश के लिए विनिर्दिष्ट हो, वहां अन्य सभी देशों के लिए अवशिष्ट टैरिफ दर कोटा उपबंधित किया जाएगा और यदि विनिर्दिष्ट टैरिफ कोटे वाले देश अपने विनिर्दिष्ट टैरिफ दर कोटा का पूर्ण उपयोग कर लेते हैं, तो वे देश उपलब्ध अवशिष्ट टैरिफ दर कोटे का उपयोग कर सकेंगे ;

(च) किसी अप्रयुक्त टैरिफ दर कोटा को आगे बढ़ाया जा सकेगा और पश्चातवर्ती अवधि के लिए टैरिफ दर कोटे में जोड़ा जा सकता है।”;

(ii) उपधारा (3) में,-

(क) “शुल्क” शब्द के स्थान पर “उपाय” शब्द रखा जाएगा

(ख) परंतुक में “सकारात्मक” शब्द का लोप किया जाएगा।

11. उक्त नियम के , नियम 12 में, “शुल्क” जहां वे आते हैं, शब्द के स्थान पर, “उपाय” शब्द रखा जाएगा।

12. उक्त नियम के नियम 13 में, -

(i) दोनों स्थानों पर आने वाले “शुल्क” शब्द के स्थान पर “उपाय” शब्द रखा जाएगा।

(ii) एक परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“परंतु ऐसा कोई भी उपाय किसी भी ऐसी वस्तु, जिसकी उत्पत्ति किसी विकासशील देश में हुई है, पर लागू नहीं होगा जब तक कि उस देश की वस्तुओं के आयात का अंश तीन प्रतिशत से अधिक न हो या जहां वह वस्तु एक से अधिक विकासशील देशों में उत्पन्न हो रही हो, तो जब तक कि ऐसे प्रत्येक विकासशील देशों से जिनसे आयात का अंश तीन प्रतिशत से कम है, उनसे कुल आयात भारत में उस वस्तु के कुल आयात के 9 प्रतिशत से अधिक न हो।”।

13. उक्त नियम के, नियम 14 में, “शुल्क” जहां वे आते हैं, शब्द के स्थान पर, “उपाय” शब्द पढ़ा जाएगा।

14. उक्त नियम के, नियम 15 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात्:-

“15. शुल्क का प्रतिदाय- यदि अन्वेषण पूरा होने के पश्चात् शुल्क के रूप में अधिरोपित सुराक्षोपाय, पहले से अधिरोपित और संगृहीत शुल्क के रूप में अनंतिम उपाय से कम है, तो आयातक को उसके अंतर का प्रतिदाय किया जाएगा।

15. उक्त नियम के, नियम 16 में -

(i) “शुल्क” शब्द जहां वे आते हैं, के स्थान पर “उपाय” शब्द रखा जाएगा;

(ii) उपनियम (1) में “सकारात्मक” शब्द का लोप किया जाएगा।

16. उक्त नियम के, नियम 17 में, “शुल्क”, जहां वे आते हैं, शब्द के स्थान पर “उपाय” शब्द रखा जाएगा।

17. उक्त नियम के, नियम 18 में, -

(i) “शुल्क”, जहां वे आते हैं, शब्द के स्थान पर “उपाय” शब्द रखा जाएगा;

(ii) उपनियम (1) में, खंड (i) में, “निश्चित रूप से” शब्दों का लोप किया जाएगा;

(iii) उपनियम (1) के पश्चात्, निम्न उपनियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“(1क) महानिदेशक किसी भी उपांतरण के लिए टैरिफ दर कोटा के प्रयोग और क्रियान्वयन का पुनर्विलोकन कर सकेगा।”;

(iv) उपनियम (2) में, “उपनियम (1)” शब्दों, कोष्ठकों और अंकों के पश्चात्, “या उपनियम (1क)” शब्द, कोष्ठक और अंक अंतःस्थापित किए जाएंगे।

18. उक्त नियम में, नियम 18 के पश्चात् निम्नलिखित नियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“19. अधिसूचना और परामर्श-(1) केन्द्रीय सरकार, सुरक्षा उपाय पर डब्ल्यूटीओ करार के अधीन अपेक्षित सभी कार्रवाइयां डब्ल्यूटीओ को अधिसूचित करेगी।

(2) सुरक्षा उपाय अधिरोपित किए जाने के पूर्व, डब्ल्यूटीओ के उन सदस्यों के साथ, जो संबंधित उत्पाद के निर्यातकों के रूप में सारभूत हित रखते हैं, परामर्श करने का अवसर उपलब्ध कराया जाएगा।”।

19. उक्त नियम में, उपाबंध का लोप किया जाएगा।

[फा. सं. 334/2/2021-टीआरयू]

राजीव रंजन, अवर सचिव

टिप्पण: मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में अधिसूचना सं. 35/1997-सीमा शुल्क (एन.टी.), तारीख 29 जुलाई, 1997 को सा. का.नि. सं.428(अ), तारीख 29 जुलाई, 1997 द्वारा प्रकाशित किए गए थे।

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st February, 2021

No. 12/2021-Customs (NT)

G.S.R. 77(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (10) of section 8B of the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), the Central Government hereby makes the following rules to amend the Customs Tariff (Identification and Assessment of Safeguard Duty) Rules, 1997, namely:-

1. Short title and commencement. — (1) These rules may be called the Customs Tariff (Identification and Assessment of Safeguard Duty) Amendment Rules, 2021.

(2) They shall come into force on the 2nd February, 2021.

2. In the Customs Tariff (Identification and Assessment of Safeguard Duty) Rules, 1997 (hereinafter referred to as the said rules), in rule 1, in sub-rule (1), for the word “Duty”, the word “Measures” shall be substituted.

3. In the said rules, in rule 2,-

(a) in clause (b), for the word “duty”, the word “measure” shall be substituted;

(b) in clause (d), in sub-clause (i), for the word “duty”, the word “measures” shall be substituted;

(c) for clause (f), the following clause shall be substituted, namely: -

‘(f) “provisional measure” means provisional safeguard measure imposed under sub-section (5) of section 8B of the Act;’;

(d) after clause (f), the following clause shall be inserted, namely: -

‘(fa) “safeguard measure” means safeguard duty, or a tariff rate quota or such other measures imposed under sub-section (1) of section 8B of the Act;’;

(e) after clause (g), the following clause shall be inserted, namely:-

‘(ga) “WTO” means the World Trade Organisation;’;

4. In the said rules, in rule 3, for the word “Safeguard” occurring at both the places, the words “Trade Remedies” shall be substituted.

5. In the said rules, in rule 4,-

(a) in clause (2), for the word “duty”, the word “measure” shall be substituted;

(b) in clause (4),-

(i) for the word “duty” occurring at both the places, the word “measure” shall be substituted;

(ii) in sub-clause (ii), the word “positive” shall be omitted;

(c) in clause (5), for the word “duty”, the word “measure” shall be substituted.

6. In the said rules, in rule 5,-

(i) in sub-rule (2), in clause (b), the word “positive” shall be omitted;

(ii) in sub-rule (4), for the words “Commissioner of Customs”, the words “Principal Commissioner of Customs or Commissioner of Customs, as the case may be,” shall be substituted.

7. In the said rules, in rule 6, in sub-rule (1), for clause (i), the following clause shall be substituted, namely: -

“(i) the name of the exporting countries, article involved and volume of imports.”.

8. In the said rules, for rule 8, the following rule shall be substituted, namely: -

“8. Determination of serious injury or threat of serious injury. The Director General shall determine serious injury or threat of serious injury to the domestic industry taking into account the following principles, namely: -

(i) in the investigation to determine whether increased imports have caused or threatening to cause serious injury to the domestic industry, the Director General shall evaluate all relevant factors of an objective and quantifiable nature having a bearing on the situation of that industry, in particular, the rate and amount of the increase in imports of the article concerned in absolute and relative terms, the share of the domestic market taken by increased imports, changes in the level of sales, production, productivity, capacity utilisation, profits and losses, and employment;

(ii) the determination referred to in clause (i) shall not be made unless the investigation demonstrates, on the basis of objective evidence, the existence of the causal link between increased imports of the article concerned and serious injury or threat thereof and when factors other than increased imports are causing injury to the domestic industry at the same time, such injury shall not be attributed to increased imports and in such cases, the Director General may refer the complaint to the authority for anti-dumping or countervailing duty investigations, as appropriate.”.

9. In the said rules, in rule 10, -

(i) for the word “duty” wherever it occurs, the word “measure” shall be substituted;

(ii) for the words, brackets and figures “sub-section (2)”, the words, brackets and figures “sub-section (5)” shall be substituted.

10. In the said rules, in rule 11, -

(i) for sub-rule (2), the following sub-rule shall be substituted, namely: -

“(2) (a) The Director General shall also give recommendations regarding the extent of measure which, if levied, would be adequate to prevent or remedy serious injury and to facilitate adjustment;

(b) the level of tariff rate quota, if imposed as a measure, may be determined having regard to the following conditions, namely:-

(i) maintaining traditional trade flow of the article over the representative period;

(ii) the existing and likely demand supply scenario in the country; and

(iii) any other condition that may be considered relevant:

Provided that the tariff rate quota applied shall not reduce the quantity of imports below the level of the recent period, which shall be the average of imports in the last three years for which statistics are available, unless a different level is deemed necessary to prevent or remedy serious injury;

(c) tariff rate quota may be global or country specific;

- (d) specific tariff rate quota may be allocated to countries with substantial interest, considering the proportion of the share of imports of the article concerned into the country during a representative period, and having regard to all relevant factors which may have or are likely to affect the trade in the article;
- (e) in a case where the tariff rate quota is country specific, a residual tariff rate quota shall be provided for all other countries and in case the countries with specific tariff rate quota exhaust their specific tariff rate quotas, such countries may use the residual tariff rate quota available;
- (f) any unused tariff rate quota may be carried forward and added to the tariff rate quota for the subsequent period.”;
- (ii) in sub-rule (3), -
- (a) for the word “duty”, the word “measure” shall be substituted;
- (b) in the proviso, the word “positive” shall be omitted.
11. In the said rules, in rule 12, for the word “duty”, wherever it occurs, the word “measure” shall be substituted.
12. In the said rules, in rule 13,-
- (i) for the word “duty”, occurring at both the places, the word “measure” shall be substituted;
- (ii) a proviso shall be inserted, namely:-
- “provided that no such measure shall be applied on an article originating from a developing country so long as the share of imports of that article from that country does not exceed three per. cent or where the article is originating from more than one developing country, then, so long as the aggregate of the imports from each of such developing countries with less than three per. cent import share taken together, does not exceed nine per. cent of the total import of that article in India”.
13. In the said rules, in rule 14, for the word “duty” wherever it occurs, the word “measure” shall be substituted.
14. In the said rules, for rule 15, the following rule shall be substituted, namely –
- “15. Refund of duty.** - If the safeguard measure imposed as a duty after the conclusion of the investigation is lower than the provisional measure in the form of a duty already imposed and collected, the differential shall be refunded to the importer.”.
15. In the said rules, in rule 16, -
- (i) for the word “duty” wherever it occurs, the word “measure” shall be substituted;
- (ii) in sub-rule (1), the word “positive” shall be omitted.
16. In the said rules, in rule 17, for the word “duty” wherever it occurs, the word “measure” shall be substituted.
17. In the said rules, in rule 18, -
- (i) for the word “duty” wherever it occurs, the word “measure” shall be substituted;
- (ii) in sub-rule (1), in clause (i), the word “positively” shall be omitted;
- (iii) after sub-rule (1), the following sub-rule shall be inserted, namely-
- “(1A) The Director General may review the usage and implementation of the tariff rate quota for any modification.”;
- (iv) in sub-rule (2), after the words, brackets and figures “sub-rule (1)”, the words, brackets and figures “or sub-rule (1A)” shall be inserted.
18. In the said rules, after rule 18, the following rule shall be inserted, namely: -

“19. **Notification and consultation.** – (1) The Central Government shall notify to the WTO of all actions required under the WTO Agreement on Safeguards.

(2) Before imposition of a safeguard measure, an opportunity to hold consultations with the members of the WTO having substantial interest as exporters of the product concerned, shall be provided”.

19. In the said rules, the ANNEXURE shall be omitted.

[F. No. 334/2/2021-TRU]

RAJEEV RANJAN, Under Secy.

Note:- The principal rules was published *vide* notification number 35/1997-Customs (N.T), dated the 29th July, 1997, in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 428(E), dated the 29th July, 1997.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 फरवरी, 2021

सं. 05/2021-सीमाशुल्क (एडीडी)

सा.का.नि. 78(अ).—अभिहित प्राधिकारी, चीन जनवादी गणराज्य (जिसे इसमें इसके पश्चात् विषयगत देश कहा गया है) में मूलतः उत्पादित या वहां से निर्यातित और भारत में आयातित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम कहा गया है) की पहली अनुसूची के शीर्षक 7228 के अंतर्गत 'मिश्रित स्टील की स्ट्रेट लैथ बार एंड रोड्स' (जिसे इसमें इसके पश्चात् विषयगत माल कहा गया है) के आयात के मामले में जो आता है, अधिसूचना सं. 6/10/2017-डीजीएडी तारीख 5 सितंबर, 2018 द्वारा जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 1, खंड 1 तारीख 5 सितंबर, 2018 में प्रकाशित की गई थी, ने अपने अंतिम निष्कर्ष में विषयगत देश से मूलतः उत्पादित या निर्यातित विषयगत माल के आयात पर परिभाषित प्रतिपाटित शुल्क को अधिरोपित करने की सिफारिश की थी;

और केन्द्रीय सरकार ने, अभिहित प्राधिकारी के पूर्वोक्त निष्कर्षों के आधार पर भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 54/2018-सीमाशुल्क (एडीडी) तारीख 18 अक्टूबर, 2018 द्वारा विषयगत माल पर परिभाषित प्रतिपाटित शुल्क अधिरोपित किया था जो संख्यांक सा.का.नि. 1045(अ) तारीख 18 अक्टूबर, 2018 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिसूचना कहा गया है) द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) द्वारा प्रकाशित की गई थी।

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, सीमा-शुल्क टैरिफ (सहायकी, वस्तु की पहचान, उस पर प्रतिपाटित शुल्क का निर्धारण और संग्रहण तथा क्षति का अवधारण) नियम, 1995 के नियम 18 और नियम 20 के साथ पठित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 9क की उपधारा (1) और (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिसूचना में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:--

उक्त अधिसूचना के पैरा 2 में और स्पष्टीकरण से पूर्व निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा जो 2 फरवरी, 2021 से प्रभावी होगा, अर्थात्:--

“परंतु उक्त प्रतिपाटित शुल्क 2 फरवरी, 2021 से प्रारंभ होने वाली अवधि से 30 सितंबर, 2021 तक उदगृहीत नहीं किया जाएगा।”

[फा. सं. 334/2/2021-टीआरयू]

राजीव रंजन, अवर सचिव

टिप्पण : मूल अधिसूचना सं. 54/2018-सीमा शुल्क (एडीडी) तारीख 18 अक्टूबर, 2018 भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में संख्यांक सा.का.नि. 1045(अ) तारीख 18 अक्टूबर, 2018 द्वारा प्रकाशित की गई थी।

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st February, 2021

No. 05/2021-Customs (ADD)

G.S.R. 78(E).—Whereas, in the matter of import of ‘Straight Length Bars and Rods of Alloy Steel’ (hereinafter referred to as the subject goods), falling under heading 7228 of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975) (hereinafter referred to as the Customs Tariff Act) originating in or exported from People’s Republic of China (hereinafter referred to as the subject country) and imported into India, the designated authority in its final findings *vide* notification No. 6/10/2017 - DGAD, dated the 5th September, 2018, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part I, Section 1, dated the 5th September, 2018, had recommended imposition of definitive anti-dumping duty on the imports of subject goods, originating in or exported from the subject country;

And whereas, on the basis of aforesaid findings of the designated authority, the Central Government had imposed definitive anti-dumping duty on the subject goods *vide* notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 54/2018-Customs (ADD), dated the 18th October, 2018, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G. S. R. 1045 (E), dated the 18th October, 2018 (hereinafter referred to as the said notification);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (5) of section 9A of the Customs Tariff Act, read with rules 18 and 20 of the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, the Central Government hereby makes the following amendments in the said notification, namely:-

In the said notification, in paragraph 2 and before the Explanation, the following proviso shall be inserted with effect from the 2nd day of February, 2021, namely :-

“Provided that the said anti-dumping duty shall not be levied for the period commencing from the 2nd day of February, 2021 to the 30th day of September, 2021.”.

[F. No. 334/2/2021-TRU]

RAJEEV RANJAN, Under Secy.

Note: The principal notification No. 54/2018 Customs (ADD), dated the 18th October, 2018 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 1045(E), dated the 18th October, 2018.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 फरवरी, 2021

सं. 06/2021-सीमाशुल्क (एडीडी)

सा.का.नि. 79(अ).— अभिहित प्राधिकारी, ब्राजील, चीन जनवादी गणराज्य और जर्मनी (जिसे इसमें इसके पश्चात् विषयगत देश कहा गया है) में मूलतः उत्पादित या वहां से निर्यातित और भारत में आयातित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम कहा गया है) की प्रथम अनुसूची के टैरिफ शीर्ष 7228 10 10 या 7228 10 90 के अंतर्गत “नॉन कोबाल्ट श्रेणी का हाईस्पीड स्टील” (जिसे इसमें इसके पश्चात् विषयगत माल कहा गया है) के आयात के मामले में जो आता है, अधिसूचना सं. 6/23/2018-डीजीटीआर तारीख 1 अगस्त, 2019 द्वारा जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 1, खंड 1 तारीख 1 अगस्त, 2019 में प्रकाशित की गई थी, ने अपने अंतिम निष्कर्ष में विषयगत देश से मूलतः उत्पादित या निर्यातित विषयगत माल के आयात पर परिभाषित प्रतिपाटित शुल्क को अधिरोपित करने की सिफारिश की थी;

और केन्द्रीय सरकार ने, अभिहित प्राधिकारी के पूर्वोक्त निष्कर्षों के आधार पर भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 38/2019-सीमाशुल्क (एडीडी) तारीख 25 सितंबर, 2019 द्वारा विषयगत माल पर

परिभाषित प्रतिपाटित शुल्क अधिरोपित किया था जो संख्यांक सा.का.नि. 691(अ) तारीख 25 सितंबर, 2019 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिसूचना कहा गया है) द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) द्वारा प्रकाशित की गई थी।

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, सीमाशुल्क टैरिफ (सहायकी, वस्तु की पहचान, उस पर प्रतिपाटित शुल्क का निर्धारण और संग्रहण तथा क्षति का अवधारण) नियम, 1995 के नियम 18 और नियम 20 के साथ पठित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 9क की उपधारा (1) और (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिसूचना में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:--

उक्त अधिसूचना के पैरा 2 में और स्पष्टीकरण से पूर्व निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा जो 2 फरवरी, 2021 से प्रभावी होगा, अर्थात्:--

“परंतु उक्त प्रतिपाटित शुल्क 2 फरवरी, 2021 से प्रारंभ होने वाली अवधि से 30 सितंबर, 2021 तक उदगृहीत नहीं किया जाएगा।”

[फा. सं. 334/2/2021-टीआरयू]

राजीव रंजन, अवर सचिव

टिप्पण : मूल अधिसूचना सं. 38/2019-सीमाशुल्क (एडीडी) तारीख 25 सितंबर, 2019, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में सं. सा.का.नि. 691(अ), तारीख 25 सितंबर, 2019 द्वारा प्रकाशित की गई थी।

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st February, 2021

No. 06/2021-Customs (ADD)

G.S.R. 79(E).—Whereas, in the matter of import of ‘High-Speed Steel of Non-Cobalt Grade’ (hereinafter referred to as the subject goods), falling under tariff items 7228 10 10 or 7228 10 90 of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975) (hereinafter referred to as the Customs Tariff Act) originating in or exported from Brazil, People’s Republic of China and Germany (hereinafter referred to as the subject countries) and imported into India, the designated authority in its final findings *vide* notification No. 6/23/2018 - DGTR, dated the 1st August, 2019, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part I, Section 1, dated the 1st August, 2019, had recommended imposition of definitive anti-dumping duty on the import of subject goods, originating in or exported from subject countries;

And whereas, on the basis of aforesaid findings of the designated authority, the Central Government had imposed definitive anti-dumping duty on the subject goods *vide* notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 38/2019 Customs (ADD), dated the 25th September, 2019, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G. S. R. 691 (E), dated the 25th September, 2019 (hereinafter referred to as the said notification)

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (5) of section 9A of the Customs Tariff Act, read with rules 18 and 20 of the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, the Central Government hereby makes the following amendments in the said notification, namely:-

In the said notification, in paragraph 2 and before the Explanation, the following proviso shall be inserted with effect from the 2nd day of February, 2021 namely :-

“Provided that the said anti-dumping duty shall not be levied for the period commencing from the 2nd day of February, 2021 to the 30th day of September, 2021.”.

[F. No. 334/2/2021-TRU]

RAJEEV RANJAN, Under Secy.

Note : The principal notification No. 38/2019 Customs (ADD), dated the 25th September, 2019 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 691(E), dated the 25th September, 2019.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 फरवरी, 2021

सं. 07/2021-सीमाशुल्क (एडीडी)

सा.का.नि. 80(अ).—अभिहित प्राधिकारी, चीन जनवादी गणराज्य, वियतनाम और कोरिया गणराज्य (जिसे इसमें इसके पश्चात् विषयगत देश कहा गया है) में मूलतः उत्पादित या वहां से निर्यातित और भारत में आयातित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम कहा गया है) की पहली अनुसूची शीर्ष 7210, 7212, 7225 और 7226 के अंतर्गत “एल्युमिनियम और जिंक के मिश्रण के साथ प्लैटिड या लेपित स्टील के फ्लैट रॉलड उत्पाद” (जिसे इसमें इसके पश्चात् विषयगत माल कहा गया है) के आयात के मामले में जो आता है, अधिसूचना सं. 6/4/2019-डीजीटीआर तारीख 21 फरवरी, 2020 द्वारा जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 1, खंड 1 तारीख 21 फरवरी, 2020 में प्रकाशित की गई थी, ने अपने अंतिम निष्कर्ष में विषयगत देश से मूलतः उत्पादित या निर्यातित विषयगत माल के आयात पर परिभाषित प्रतिपाटित शुल्क को अधिरोपित करने की सिफारिश की थी;

और केन्द्रीय सरकार ने, अभिहित प्राधिकारी के पूर्वोक्त निष्कर्षों के आधार पर भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 16/2020-सीमा शुल्क (एडीडी) तारीख 23 जून, 2020 द्वारा विषयगत माल पर परिभाषित प्रतिपाटित शुल्क अधिरोपित किया था जो संख्यांक सा.का.नि. 397(अ) तारीख 23 जून, 2020 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिसूचना कहा गया है) द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) द्वारा प्रकाशित की गई थी।

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, सीमाशुल्क टैरिफ (सहायकी, वस्तु की पहचान, उस पर प्रतिपाटित शुल्क का निर्धारण और संग्रहण तथा क्षति का अवधारण) नियम, 1995 के नियम 18 और नियम 20 के साथ पठित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 9 की उपधारा (1) और (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिसूचना में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:—

उक्त अधिसूचना के पैरा 2 में, और पहले परंतुक के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा जो 2 फरवरी, 2021 से प्रभावी होगा, अर्थात्:—

“परंतु उक्त प्रतिपाटित शुल्क 2 फरवरी, 2021 से प्रारंभ होने वाली अवधि से 30 सितंबर, 2021 तक उदगृहीत नहीं किया जाएगा।”

[फा. सं. 334/2/2021-टीआरयू]

राजीव रंजन, अवर सचिव

टिप्पण : मूल अधिसूचना सं. 16/2020-सीमाशुल्क (एडीडी) तारीख 23 जून, 2020 भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में संख्यांक सा.का.नि. 397(अ) तारीख 23 जून, 2020 द्वारा प्रकाशित की गई थी।

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st February, 2021

No. 07/2021-Customs (ADD)

G.S.R. 80(E).—Whereas, in the matter of import of ‘Flat rolled product of steel, plated or coated with alloy of Aluminium and Zinc’ (hereinafter referred to as the subject goods), falling under headings 7210, 7212, 7225 and 7226 of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975) (hereinafter referred to as the Customs Tariff Act) originating in or exported from People’s Republic of China, Vietnam and Republic of Korea (hereinafter referred to as the subject countries) and imported into India, the designated authority in its final findings *vide* notification No. 6/4/2019 DGTR, dated the 21st February, 2020, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part I, Section 1, dated the 21st February, 2020, had recommended imposition of definitive anti-dumping duty on the imports of subject goods, originating in or exported from subject countries;

And whereas, on the basis of aforesaid findings of the designated authority, the Central Government had imposed definitive anti-dumping duty on the subject goods *vide* notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 16/2020 Customs (ADD), dated the 23rd June, 2020, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G. S. R. 397 (E), dated the 23rd June, 2020 (hereinafter referred to as the said notification);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (5) of section 9A of the Customs Tariff Act, read with rules 18 and 20 of the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, the Central Government hereby makes the following amendments in the said notification, namely:-

In the said notification, in paragraph 2, after the first proviso, the following proviso shall be inserted with effect from the 2nd day of February, 2021, namely :-

“Provided further that the said anti-dumping duty shall not be levied for the period commencing from the 2nd day of February, 2021 to the 30th day of September, 2021.”.

[F. No. 334/2/2021-TRU]

RAJEEV RANJAN, Under Secy.

Note: The principal notification No. 16/2020-Customs (ADD), dated the 23rd June, 2020 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 397(E), dated the 23rd June, 2020.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 फरवरी, 2021

सं. 01/2021-सीमाशुल्क (सीवीडी)

सा.का.नि. 81(अ).—केन्द्रीय सरकार, सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की धारा 9 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उन बातों के सिवाय जिन्हें ऐसे विखंडन के पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 2/2020-सीमाशुल्क (सीवीडी), तारीख 9 अक्तूबर, 2020 जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में संख्यांक सा.का.नि. 623(अ), तारीख 9 अक्तूबर, 2020 द्वारा प्रकाशित की गई थी, का विखंडन करती है।

2. यह अधिसूचना 2 फरवरी, 2021 को प्रवृत्त होगी।

[फा. सं. 334/2/2021-टीआरयू]

राजीव रंजन, अवर सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st February, 2021

No. 01/2021-Customs (CVD)

G.S.R. 81(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 9 of the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), the Central Government hereby rescinds the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 02/2020-Customs (CVD), dated the 9th October, 2020, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G. S. R. 623 (E), dated the 9th October, 2020, except as respects things done or omitted to be done before such rescission.

2. This notifications shall come into force on the 2nd February, 2021.

[F. No. 334/2/2021-TRU]

RAJEEV RANJAN, Under Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 फरवरी, 2021

सं. 02/2021-सीमाशुल्क (सीवीडी)

सा.का.नि. 82(अ).—अभिहित प्राधिकारी, चीन जनवादी गणराज्य (जिसे इसमें इसके पश्चात् विषयगत देश कहा गया है) में मूलतः उत्पादित या वहां से निर्यातित और भारत में आयातित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम कहा गया है) की पहली अनुसूची के शीर्षक 7219 या 7220 के अंतर्गत “कतिपय हॉट रोलड और कोल्ड रोलडड स्टेनलैस स्टील फ्लैट उत्पाद” (जिसे इसमें इसके पश्चात् विषयगत माल कहा गया है) के आयात के मामले में जो आता है, अपने अंतिम निष्कर्षों को, अधिसूचना सं. 14/18/2015-डीजीएडी तारीख 4 जुलाई, 2017 द्वारा जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 1, खंड 1 तारीख 4 जुलाई, 2017 में प्रकाशित की गई थी, ने अपने अंतिम निष्कर्ष में विषयगत देश से मूलतः उत्पादित या निर्यातित विषयगत माल के आयात पर परिभाषित प्रतिशुल्क को अधिरोपित करने की सिफारिश की थी;

और केन्द्रीय सरकार ने, अभिहित प्राधिकारी के पूर्वोक्त निष्कर्षों के आधार पर भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 01/2017-सीमाशुल्क (सीवीडी) तारीख 7 सितंबर, 2017 द्वारा विषयगत माल पर परिभाषित प्रतिशुल्क अधिरोपित किया था जो संख्यांक सा.का.नि. 1137(अ) तारीख 7 सितंबर, 2017 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिसूचना कहा गया है) द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) द्वारा प्रकाशित की गई थी।

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, सीमाशुल्क टैरिफ (सहायकी, वस्तु की पहचान, उस पर प्रतिशुल्क का निर्धारण और संग्रहण तथा क्षति का अवधारण) नियम, 1995 के नियम 20 और नियम 22 के साथ पठित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 9 की उपधारा (1) और (6) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिसूचना में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:--

उक्त अधिसूचना के पैरा 2 में और स्पष्टीकरण से पूर्व निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा जो 2 फरवरी, 2021 से प्रभावी होगा, अर्थात्:--

“परंतु उक्त प्रतिशुल्क 2 फरवरी, 2021 से प्रारंभ होने वाली अवधि से 30 सितंबर, 2021 तक उदगृहीत नहीं किया जाएगा।”

[फा. सं. 334/2/2021-टीआरयू]

राजीव रंजन, अवर सचिव

टिप्पण : मूल अधिसूचना सं. 01/2017-सीमाशुल्क (सीवीडी) तारीख 7 सितंबर, 2017, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में सं. सा.का.नि.1137(अ), तारीख 7 सितंबर, 2017 द्वारा प्रकाशित की गई थी।

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st February, 2021

No. 02/2021-Customs (CVD)

G.S.R. 82(E).—Whereas, in the matter of import of ‘Certain Hot Rolled and Cold Rolled Stainless Steel Flat Products’ (hereinafter referred to as the subject goods), falling under heading 7219 or 7220 of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975) (hereinafter referred to as the said Customs Tariff Act) originating in or exported from People’s Republic of China (hereinafter referred to as the subject country) and imported into India, the designated authority in its final findings *vide* notification No. 14/18/2015 - DGAD, dated the 4th July, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary,

Part I, Section 1, dated the 4th July, 2017, had recommended imposition of definitive countervailing duty on the imports of subject goods, originating in or exported from the subject country;

And whereas, on the basis of aforesaid findings of the designated authority, the Central Government had imposed definitive countervailing duty on the subject goods *vide* notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 01/2017 Customs (CVD), dated the 7th September, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G. S. R. 1137 (E), dated the 7th September, 2017 (hereinafter referred to as the said notification);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (6) of section 9 of the Customs Tariff Act, read with rules 20 and 22 of the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Countervailing Duty on Subsidized Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, the Central Government hereby makes the following amendments in the said notification, namely:-

In the said notification, in paragraph 2 and before the Explanation, the following proviso shall be inserted with effect from the 2nd day of February, 2021, namely :-

“Provided that the said countervailing duty shall not be levied for the period commencing from the 2nd day of February, 2021 to the 30th day of September, 2021.”.

[F. No. 334/2/2021-TRU]

RAJEEV RANJAN, Under Secy.

Note: The principal notification No. 01/2017 Customs (CVD), dated the 7th September, 2017 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 1137(E), dated the 7th September, 2017.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 फरवरी, 2021

सं. 01/2021-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क

सा.का.नि. 83(अ).— केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 5क की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग), सं. 11/2017-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तारीख 30 जून, 2017 जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) सं. सा.का.नि. 793(अ), तारीख 30 जून, 2017 द्वारा प्रकाशित की गई थी, की अधिसूचना में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :-

1. उक्त अधिसूचना की सारणी में,-

(i) क्रम सं. 2 के सामने,-

(क) स्तंभ (4) में, स्तंभ (3) के मद (i) के सामने प्रविष्टि के स्थान पर, “1.40 रु. प्रति लीटर” प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(ख) स्तंभ (4) में, स्तंभ (3) के मद (ii) के सामने प्रविष्टि के स्थान पर, “2.60 रु. प्रति लीटर” प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(ii) क्रम सं. 3 के सामने,-

(क) स्तंभ (4) में, स्तंभ (3) के मद (i) के सामने प्रविष्टि के स्थान पर, “1.80 रु. प्रति लीटर” प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(ख) स्तंभ (4) में, स्तंभ (3) के मद (ii) के सामने प्रविष्टि के स्थान पर, “4.20 रु. प्रति लीटर” प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(iii) क्रम सं. 4 और उससे संबंधित प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :-

(1)	(2)	(3)	(4)
“4.	2710	5% सम्मिश्र एथनॉल पेट्रोल जो ऐसा सम्मिश्रण है,- (i) जो 95% मोटर स्प्रीट (सामान्यतः पेट्रोल के रूप में ज्ञात) जिस पर समुचित उत्पाद शुल्क का संदाय किया गया है और 5% एथनॉल जिस पर,	शून्य” ;

		यथास्थिति, समुचित केंद्रीय कर, राज्य कर, संघ राज्यक्षेत्र कर या एकीकृत कर का संदाय किया गया है, के परिणाम से मिलकर बनेगा; और (ii) भारतीय मानक ब्यूरो विनिर्देशन 2796 के अनुरूप।	
--	--	--	--

(iv) क्रम सं. 5 और उससे संबंधित प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :-

(1)	(2)	(3)	(4)
"5.	2710	10% सम्मिश्र एथनॉल पेट्रोल जो ऐसा सम्मिश्र है,- (i) जो 90% मोटर स्पिट (सामान्यतः पेट्रोल के रूप में ज्ञात) जिस पर समुचित उत्पाद शुल्क का संदाय किया गया है और 10% एथनॉल जिस पर, यथास्थिति, समुचित केंद्रीय कर, राज्य कर, संघ राज्यक्षेत्र कर या एकीकृत कर का संदाय किया गया है, के परिणाम से मिलकर बनेगा; और (ii) भारतीय मानक ब्यूरो विनिर्देशन 2796 के अनुरूप।	शून्य ;
5क.	2710 12 42	20% एथेनॉल संमिश्रित पेट्रोल ऐसा सम्मिश्र है,- (i) जो 80% मोटर स्पिट (सामान्यतः पेट्रोल के रूप में ज्ञात) जिस पर समुचित उत्पाद शुल्क का संदाय किया गया है और 20% एथनॉल जिस पर, यथास्थिति, समुचित केंद्रीय कर, राज्य कर, संघ राज्यक्षेत्र कर या एकीकृत कर का संदाय किया गया है, के परिणाम से मिलकर बनेगा; और (ii) भारतीय मानक ब्यूरो विनिर्देशन 17021 के अनुरूप।	शून्य
5ख.	2710 12 49	15% मेथेनॉल संमिश्रित पेट्रोल जो ऐसा संमिश्र है,- (i) जो मोटर स्पिट (सामान्यतः पेट्रोल के रूप में ज्ञात) जिस पर समुचित उत्पाद शुल्क का संदाय किया गया है और मेथेनाल और सह-विलायक जिस पर, यथास्थिति, समुचित केंद्रीय कर, राज्य कर, संघ राज्यक्षेत्र कर या एकीकृत कर का संदाय किया गया है, के परिणाम से मिलकर बनेगा; और (ii) भारतीय मानक ब्यूरो विनिर्देशन 17076 के अनुरूप।	शून्य";

(v) क्रम सं. 6 और उससे संबंधित प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :-

(1)	(2)	(3)	(4)
"6.	2710	तीव्रगति डीजल ऑयल वनस्पति तेल से प्राप्त लौंग-चेन वसीय अम्ल के एल्काइलेस्टर के साथ संमिश्रित, सामान्यतया ज्ञात बायो-ईजन आयतन 20 प्रतिशत तक, अर्थात् ऐसा संमिश्र जो 80 प्रतिशत या उससे अधिक तीव्रगति डीजल ऑयल जिस पर समुचित उत्पाद शुल्क का संदाय किया गया है, 20 प्रतिशत तक बायो-डीजल जिस पर समुचित यथास्थिति, केन्द्रीय कर, राज्य कर, संघ राज्यक्षेत्र कर या एकीकृत कर का संदाय किया गया है, से मिलकर बना है।	शून्य

(vi) क्रम सं. 10 के सामने स्तंभ (2) के स्थान पर, "2710 12 41, 2710 12 90" प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :-

2. उक्त अधिसूचना में, स्पष्टीकरण को उसके स्पष्टीकरण (1) के रूप में संख्यांकित किया जाएगा और इस प्रकार संख्यांकित स्पष्टीकरण (1) के पश्चात्, निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"स्पष्टीकरण 2.- सारणी के क्रम सं. 4, 5, 5क, 5ख और 6 के सामने स्तंभ (3) में वर्णित माल के प्रयोजनार्थ :-

(क) समुचित उत्पाद शुल्क से तत्समय प्रवृत्त किसी सुसंगत छूट की अधिसूचना के साथ पठित केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की चौथी अनुसूची के अधीन उदग्रहणीय उत्पाद-शुल्क, वित्त अधिनियम, 2018 (2018 का 13) की धारा 112 के अधीन उदग्रहणीय अतिरिक्त उत्पाद शुल्क, वित्त विधेयक, 2002 (2002 का 20) की धारा 147 के अधीन उदग्रहणीय विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क और वित्त विधेयक, 2021 (2021 का 15) के खंड 116 के अधीन उदग्रहणीय अतिरिक्त उत्पाद शुल्क (कृषि अवसंरचना और विकास उपकर) जो अनंतिम कर संग्रहण अधिनियम, 1931 (1931 का 16) के अधीन उक्त वित्त विधेयक में की गई घोषणा के आधार पर विधि का बल रखता है, अभिप्रेत है;

(ख) समुचित केन्द्रीय कर, विक्रय कर, संघ राज्यक्षेत्र कर और एकीकृत कर से केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12), संबद्ध राज्य के राज्य माल और सेवा कर अधिनियम, संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 14) और एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 13) के अधीन उद्ग्रहणीय केन्द्रीय कर, राज्य कर, संघ राज्यक्षेत्र कर और एकीकृत कर अभिप्रेत होगा।

3. यह अधिसूचना 2 फरवरी, 2021 को प्रवृत्त होगी।

4. इस अधिसूचना की कोई बात 1 फरवरी, 2021 को या उसके पूर्व विनिर्मित और 2 फरवरी, 2021 को या उसके पश्चात् निकासी माल को लागू नहीं होगी।

[फा.सं. 334/2/2021-टीआरयू]

राजीव रंजन, अवर सचिव

टिप्पण : मूल अधिसूचना सं. 11/2017-सीमा शुल्क, तारीख 30 जून, 2017 भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में सं. सा.का.नि. 793(अ), तारीख 30 जून, 2017 द्वारा प्रकाशित की गई थी और अंतिम बार अधिसूचना सं. 19/2018-सीमा शुल्क, तारीख 31 दिसम्बर, 2019 द्वारा संशोधित और सं. सा.का.नि. 980(अ), तारीख 31 दिसम्बर, 2019 द्वारा प्रकाशित की गई थी।

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st February, 2021

No. 01/2021-Central Excise

G.S.R. 83(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 5A of the Central Excise Act, 1944 (1 of 1944), the Central Government being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India, Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 11/2017-Central Excise, dated the 30th June, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 793(E), dated the 30th June, 2017, namely:-

1. In the said notification, in the TABLE,-
 - (i) against Sl. No. 2, -
 - (a) in column (4), for the entry against item (i) of column (3), the entry "Rs. 1.40 per litre" shall be substituted;
 - (b) in column (4), for the entry against item (ii) of column (3), the entry "Rs. 2.60 per litre" shall be substituted;
 - (ii) against Sl. No. 3, -

- (a) in column (4), for the entry against item (i) of column (3), the entry “Rs. 1.80 per litre” shall be substituted;
- (b) in column (4), for the entry against item (ii) of column (3), the entry “Rs. 4.20 per litre” shall be substituted;
- (iii) for Sl. No. 4 and the entries relating thereto, the following Sl. No. and entries shall be substituted, namely: -

(1)	(2)	(3)	(4)
“4.	2710	5% ethanol blended petrol that is a blend, - (i) consisting, by volume, of 95% motor spirit, (commonly known as petrol), on which the appropriate duties of excise have been paid and of 5% ethanol on which the appropriate central tax, State tax, Union territory tax or integrated tax, as the case may be, have been paid; and (ii) conforming to the Bureau of Indian Standards specification 2796.	Nil”;

- (iv) for Sl. No. 5 and the entries relating thereto, the following Sl. Nos. and entries shall be substituted, namely: -

(1)	(2)	(3)	(4)
“5.	2710	10% ethanol blended petrol that is a blend, - (i) consisting, by volume, of 90% Motor spirit, (commonly known as petrol), on which the appropriate duties of excise have been paid and of 10% ethanol on which the appropriate central tax, State tax, Union territory tax or integrated tax, as the case maybe, have been paid and; (ii) conforming to the Bureau of Indian Standards specification 2796.	Nil
5A.	2710 12 42	20% ethanol blended petrol that is a blend, - (a) consisting, by volume, of 80% motor spirit (commonly known as petrol), on which the appropriate duties of excise have been paid and, of 20% ethanol on which the appropriate Central tax, State tax, Union territory tax or Integrated tax, as the case may be, have been paid; and (b) conforming to the Bureau of Indian Standards specification 17021.	Nil
5B.	2710 12 49	15% methanol blended petrol that is a blend, - (a) consisting of motor spirit (commonly known as petrol), on which the appropriate duties of excise have been paid and of methanol and co-solvents on which the appropriate Central tax, State tax, Union territory tax or Integrated tax, as the case may be, have been paid; and (b) conforming to the Bureau of Indian Standards specification 17076.	Nil”;

- (v) for Sl. No. 6 and the entries relating thereto, the following Sl. No and entries shall be substituted, namely: -

(1)	(2)	(3)	(4)
"6.	2710	High speed diesel oil blended with alkyl esters of long chain fatty acids obtained from vegetable oils, commonly known as bio -diesels, up to 20% by volume, that is, a blend, consisting 80% or more of high speed diesel oil, on which the appropriate duties of excise have been paid and, up to 20% bio -diesel on which the appropriate Central tax, State tax, Union territory tax or Integrated tax, as the case maybe, have been paid.	Nil";

(vi) against Sl. No. 10, for the entries in column (2), the entries "2710 12 41, 2710 12 90" shall be substituted.

2. In the said notification, the Explanation shall be numbered as Explanation 1 thereof and after Explanation 1, as so numbered, the following Explanation shall be inserted, namely:-

"Explanation 2: For the purposes of goods described in column (3) against serial numbers 4,5,5A,5B and 6 of the Table:-

(a) appropriate duties of excise shall mean the duties of excise as leviable under the Fourth Schedule to the Central Excise Act, 1944 (1 of 1944), the additional duty of excise leviable under section 112 of the Finance Act, 2018 (13 of 2018), the special additional excise duty leviable under section 147 of the Finance Act, 2002 (20 of 2002) and the additional duty of excise (Agriculture Infrastructure and Development Cess) leviable under clause 116 of the Finance Bill, 2021 (15 of 2021), which, by virtue of the declaration made in the said Finance Bill under the Provisional Collection of Taxes Act, 1931 (16 of 1931), has the force of law, read with any relevant exemption notification for the time being in force;

(b) "appropriate Central tax, State tax, Union territory tax and Integrated tax" shall mean the Central tax, State tax, Union territory tax and Integrated tax as leviable under the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the State Goods and Services Tax Act of the State concerned, the Union Territory Goods and Services Tax Act, 2017(14 of 2017) and the Integrated Goods and Services Tax Act, 2017(13 of 2017)."

3. This notification shall come into force on the 2nd February, 2021.

4. Nothing contained in this notification shall apply to the goods manufactured on or before the 1st February, 2021 and cleared on or after the 2nd February, 2021.

[F.No.334/2/2021-TRU]

RAJEEV RANJAN, Under Secy.

Note. - The principal notification No. 11/2017-Central Excise, dated the 30th June, 2017 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 793(E), dated the 30th June, 2017 and last amended *vide* notification No.19/2018-Central Excise dated 31st December, 2019, *vide* number G.S.R. 980 (E), dated the 31st December, 2019.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 फरवरी, 2021

सं. 02/2021-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क

सा.का.नि. 84(अ).—केंद्रीय सरकार, केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 5क के साथ पठित वित्त अधिनियम, 2002 (2002 का 20) की धारा 147 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि ऐसा करना लोकहित में आवश्यक है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 05/2019-केंद्रीय उत्पाद शुल्क, तारीख 6 जुलाई, 2019, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में सा.का.नि. 488(अ), तारीख 6 जुलाई, 2019 द्वारा प्रकाशित की गई थी, का निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :-

उक्त अधिसूचना की सारणी में,-

- (i) क्रम सं. 1 के सामने, स्तंभ (4) में प्रविष्टि के स्थान पर, "11 रु. प्रति लीटर" प्रविष्टि रखी जाएगी ;
- (ii) क्रम सं. 2 के सामने, स्तंभ (4) की प्रविष्टि के स्थान पर, "8 रु. प्रति लीटर" प्रविष्टि रखी जाएगी ।

2. यह अधिसूचना तारीख 2 फरवरी, 2021 को प्रवृत्त होगी ।

3. इस अधिसूचना की कोई बात उस माल पर लागू नहीं होगी, जिसका विनिर्माण 1 फरवरी, 2021 को या उसके पहले किया गया हो और उसकी निकासी 2 फरवरी, 2021 को या उसके पश्चात् की गई हो ।

[फा. सं. 334/2/2021-टीआरयू]

राजीव रंजन, अवर सचिव

टिप्पण : मूल अधिसूचना सं. 05/2019-केंद्रीय उत्पाद शुल्क, तारीख 6 जुलाई, 2019 को सा.का.नि. 488(अ), तारीख 6 जुलाई, 2019 के द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित किया गया था और उसमें अंतिम बार अधिसूचना सं. 05/2020-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, संख्या सा.का.नि. 278(अ), तारीख 5 मई, 2020 द्वारा संशोधन किया गया है ।

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st February, 2021

No. 02/2021-Central Excise

G.S.R. 84(E).—In exercise of the powers conferred by section 5A of the Central Excise Act, 1944 (1 of 1944) read with section 147 of Finance Act, 2002 (20 of 2002), the Central Government being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India, Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 05/2019-Central Excise, dated the 6th July, 2019, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 488(E), dated the 6th July, 2019, namely:-

In the said notification, in the Table, -

- i. against Sl. No. 1, in column (4), for the entry, the entry "Rs. 11 per litre" shall be substituted;
- ii. against Sl. No. 2, in column (4), for the entry, the entry "Rs. 8 per litre" shall be substituted;

2. This notification shall come into force on the 2nd February, 2021.

3. Nothing contained in this notification shall apply to the goods manufactured on or before the 1st February, 2021 and cleared on or after the 2nd February, 2021.

[F.No.334/2/2021-TRU]

RAJEEV RANJAN, Under Secy.

Note : The principal notification No. 05/2019-Central Excise, dated the 6th July, 2019 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number 488(E), dated the 6th July, 2019 and last amended vide notification No. 5/2020-Central Excise, dated the 5th May, 2020, vide number G.S.R. 278(E), dated the 5th May, 2020.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 फरवरी, 2021

सं. 03/2021-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क

सा.का.नि. 85(अ).—केंद्रीय सरकार, केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उत्पाद शुल्क अधिनियम कहा गया है) की धारा 5क के साथ पठित वित्त विधेयक, 2021 के खंड 116 जो कर का अनंतिम संग्रह अधिनियम, 1931 (1931 का 16) के अधीन उक्त विधेयक में की गई घोषणा के आधार पर, विधि का बल रखता है, द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, नीचे दी गई सारणी के स्तंभ (3) में विनिर्दिष्ट विवरण के उक्त सारणी के स्तंभ (2) की तत्स्थानी प्रविष्टि में यथाविनिर्दिष्ट उत्पाद शुल्क अधिनियम की चौथी अनुसूची के अध्याय, शीर्ष या उपशीर्ष अथवा टैरिफ मद के अधीन आने वाले उत्पाद शुल्क योग्य माल को, वित्त विधेयक, 2021 (2021 का 15) के पूर्वोक्त खंड 116 के अधीन उद्धृत उतने अतिरिक्त उत्पाद शुल्क (कृषि अवसंरचना और विकास उपकर) से, जितना उक्त सारणी के स्तंभ (4) की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट दर पर संगठित रकम से अधिक है, छूट प्रदान करती है:--

सारणी

क्रम सं.	अध्याय, शीर्ष या उपशीर्ष या टैरिफ मद	माल का विवरण	दर
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	2710	5 प्रतिशत सम्मिश्र एथनॉल पेट्रोल जो ऐसा सम्मिश्र है,- (i) जो 95 प्रतिशत की मात्रा वाली मोटर स्पिट (सामान्यतया पेट्रोल के रूप में ज्ञात) जिस पर समुचित उत्पाद शुल्क का संदाय किया गया है और 5 प्रतिशत मात्रा वाला एथनॉल जिस पर, यथास्थिति, समुचित केंद्रीय कर, राज्य कर, संघ राज्यक्षेत्र कर या एकीकृत कर, का संदाय किया गया है, के परिणाम से मिलकर बनेगा ; और (ii) भारतीय मानक ब्यूरो विनिर्देशन 2796 के अनुरूप ।	शून्य
2.	2710	10 प्रतिशत सम्मिश्र एथनॉल पेट्रोल जो ऐसा सम्मिश्र है,- (i) जो 90 प्रतिशत की मात्रा वाली मोटर स्पिट (सामान्यतया पेट्रोल के रूप में ज्ञात) जिस पर समुचित उत्पाद शुल्क का संदाय किया गया है और 5 प्रतिशत मात्रा वाला एथनॉल जिस पर, यथास्थिति, समुचित केंद्रीय कर, राज्य कर, संघ राज्यक्षेत्र कर या एकीकृत कर, का संदाय किया गया है, के परिणाम से मिलकर बनेगा ; और (ii) भारतीय मानक ब्यूरो विनिर्देशन 2796 के अनुरूप ।	शून्य
3.	2710 12 42	20 प्रतिशत सम्मिश्र एथनॉल पेट्रोल जो ऐसा सम्मिश्र है,- (i) जो 80 प्रतिशत की मात्रा वाली मोटर स्पिट (सामान्यतया पेट्रोल के रूप में ज्ञात) जिस पर समुचित उत्पाद शुल्क का संदाय किया गया है और	शून्य

		20 प्रतिशत मात्रा वाला एथनॉल जिस पर, यथास्थिति, समुचित केंद्रीय कर, राज्य कर, संघ राज्यक्षेत्र कर या एकीकृत कर, का संदाय किया गया है, के परिणाम से मिलकर बनेगा ; और (ii) भारतीय मानक ब्यूरो विनिर्देशन 17021 के अनुरूप ।	
4	2710 12 49	15 प्रतिशत मेथेनॉल संमिश्रित पेट्रोल जो ऐसा संमिश्र है,- (i) मोटर स्प्रीट (सामान्यतया पेट्रोल के रूप में ज्ञात) जिस पर समुचित उत्पाद कर का संदाय किया गया है और मेथेनॉल और सह-विलायक जिन पर समुचित, यथास्थिति, केन्द्रीय कर, राज्य कर, संघ राज्यक्षेत्र कर या एकीकृत कर का संदाय किया गया है, के परिणाम से मिलकर बनेगा; और (ii) भारतीय मानक ब्यूरो विनिर्देशन 17076 के अनुरूप ।	शून्य
5.	2710 12 49	तीव्रगति डीजल ऑयल वनस्पति तेल से प्राप्त लौंग-चेन वसीय अम्ल के एल्काइलेस्टर के साथ संमिश्रित, सामान्यतया ज्ञात बायो-ईजन आयतन 20 प्रतिशत तक, अर्थात् ऐसा संमिश्र जो 80 प्रतिशत या उससे अधिक तीव्रगति डीजल ऑयल जिस पर समुचित उत्पाद शुल्क का संदाय किया गया है, 20 प्रतिशत तक बायो-डीजल जिस पर समुचित यथास्थिति, केन्द्रीय कर, राज्य कर, संघ राज्यक्षेत्र कर या एकीकृत कर का संदाय किया गया है, से मिलकर बना है ।	शून्य

स्पष्टीकरण- उक्त सारणी के स्तंभ (3) में वर्णित माल के प्रयोजनार्थ:-

(क) समुचित उत्पाद-शुल्क से तत्समय प्रवृत्त किसी सुसंगत छूट की अधिसूचना के साथ पठित केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की चौथी अनुसूची के अधीन उद्बहणीय उत्पाद-शुल्क (सड़क और अवसंरचना उपकर), वित्त अधिनियम, 2018 (2018 का 13) की धारा 112 के अधीन उद्बहणीय अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क, वित्त अधिनियम, 2002 (2002 का 20) की धारा 147 के अधीन उद्बहणीय विशेष अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क और वित्त विधेयक, 2021 (2021 का 15) के खंड 116 के अधीन उद्बहणीय अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क (कृषि अवसंरचना और विकास उपकर) जो अनंतिम कर संग्रहण अधिनियम, 1931 (1931 का 16) के अधीन उक्त वित्त विधेयक में की गई घोषणा के आधार पर विधि का बल रखता है, अभिप्रेत है;

(ख) समुचित केन्द्रीय कर, विक्रय कर, संघ राज्यक्षेत्र कर और एकीकृत कर से केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12), संबद्ध राज्य के राज्य माल और सेवा कर अधिनियम, संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 14) और एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 13) के अधीन उद्बहणीय केन्द्रीय कर, राज्य कर, संघ राज्यक्षेत्र कर और एकीकृत कर अभिप्रेत होगा ।

2. यह अधिसूचना 2 फरवरी, 2021 को प्रवृत्त होगी ।

[फा. सं. 334/2/2021-टीआरयू]

राजीव रंजन, अवर सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st February, 2021

No. 03/2021-Central Excise

G.S.R. 85(E).—In exercise of the powers conferred by section 5A of the Central Excise Act, 1944 (1 of 1944) (hereinafter referred to as the Central Excise Act) read with clause 116 of the Finance Bill, 2021 (15 of 2021), which, by virtue of the declaration made in the said Finance Bill under the Provisional Collection of Taxes Act, 1931 (16 of 1931), has the force of law, the Central Government being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby exempts the excisable goods of the description specified in column (3) of the Table and falling within the Chapter, heading or sub-heading or tariff item of the Fourth Schedule to the Excise Act, as specified in the corresponding entry in column (2) of the said Table, from so much of the additional duty of excise (Agriculture Infrastructure and Development Cess) leviable thereon under the aforesaid clause 116 of the Finance Bill, 2021, as is in excess of the amount calculated at the rate specified in the corresponding entry in column (4) of the said Table:

TABLE

S. No.	Chapter or heading or sub-heading or tariff item	Description of goods	Rate
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	2710	5% ethanol blended petrol that is a blend, - (i) consisting, by volume, of 95% motor spirit, (commonly known as petrol), on which the appropriate duties of excise have been paid and of 5% ethanol on which the appropriate Central tax, State tax, Union territory tax or Integrated tax, as the case may be, have been paid; and (ii) conforming to the Bureau of Indian Standards specification 2796.	Nil
2.	2710	10% ethanol blended petrol that is a blend, - (i) consisting, by volume, of 90% Motor spirit, (commonly known as petrol), on which the appropriate duties of excise have been paid and of 10% ethanol on Nil which the appropriate Central tax, State tax, Union territory tax or Integrated tax, as the case maybe, have been paid and; (ii) conforming to the Bureau of Indian Standards specification 2796.	Nil
3.	2710 12 42	20% ethanol blended petrol that is a blend, - (i) consisting, by volume, of 80% motor spirit (commonly known as petrol), on which the appropriate duties of excise have been paid and, of 20% ethanol on which the appropriate Central tax, State tax, Union territory tax or Integrated tax, as the case may be, have been paid; and (ii) conforming to the Bureau of Indian Standards specification 17021.	Nil
4.	2710 12 49	15% methanol blended petrol that is a blend,- (i) consisting of motor spirit (commonly known as petrol), on which the appropriate duties of excise	Nil

		have been paid and of methanol and co-solvents on which the appropriate Central tax, State tax, Union territory tax or Integrated tax, as the case may be, have been paid; and (ii) conforming to the Bureau of Indian Standards specification 17076.	
5.	2710	High speed diesel oil blended with alkyl esters of long chain fatty acids obtained from vegetable oils, commonly known as bio -diesels, up to 20% by volume, that is, a blend, consisting 80% or more of high speed diesel oil, on which the appropriate duties of excise have been paid and, up to 20% bio -diesel on which the appropriate Central tax, State tax, Union territory tax or Integrated tax, as the case maybe, have been paid.	Nil

Explanation. - For the purposes of goods described in column (3) of the said Table:-

(a) appropriate duties of excise shall mean the duties of excise as leviable under the Fourth Schedule to the Central Excise Act, the additional duty of excise (Road and Infrastructure Cess) leviable under section 112 of Finance Act, 2018 (13 of 2018), the special additional excise duty leviable under section 147 of the Finance Act, 2002 (20 of 2002) and the additional duty of excise (Agriculture Infrastructure and Development Cess) leviable under clause 116 of the Finance Bill, 2021 (15 of 2021), which, by virtue of the declaration made in the said Finance Bill under the Provisional Collection of Taxes Act, 1931 (16 of 1931), has the force of law, read with any relevant exemption notification for the time being in force;

(b) appropriate Central tax, State tax, Union territory tax and Integrated tax shall mean the central tax, State tax, Union territory tax and integrated tax as leviable under the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), State Goods and Services Tax Act of the State concerned, the Union Territory Goods and Services Tax Act, 2017(14 of 2017) and the Integrated Goods and Services Tax Act, 2017(13 of 2017).

2. This notification shall come into force on the 2nd February, 2021.

[F. No. 334/2/2021-TRU]

RAJEEV RANJAN, Under Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 फरवरी, 2021

सं. 04/2021-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क

सा.का.नि. 86(अ).—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 5क की उप-धारा (1) के साथ पठित वित्त अधिनियम, 2020 (2020 का 20) की धारा 147 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) सं. 28/2002-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तारीख 13 मई, 2002, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) सं. सा.का.नि. 361(अ), तारीख 13 मई, 2002 में प्रकाशित की गई थी, की अधिसूचना का निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :-

1. उक्त अधिसूचना की सारणी में,

(i) क्रम सं. 3, 4 और 5 के सामने, स्तंभ (2) के स्पष्टीकरण 1 में, शब्दों, कोष्टकों और अंकों के स्थान पर निम्नलिखित शब्द, कोष्टक और अंक रखे जाएंगे, अर्थात् :-

“समुचित उत्पाद शुल्क से तत्समय प्रवृत्त किसी सुसंगत छूट की अधिसूचना के साथ पठित केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की चौथी अनुसूची के अधीन उदग्रहणीय उत्पाद शुल्क, वित्त अधिनियम, 2018 (2018

का 13) की धारा 112 के अधीन उदग्रहणीय अतिरिक्त उत्पाद शुल्क, वित्त विधेयक, 2002 (2002 का 20) की धारा 147 के अधीन उदग्रहणीय विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क और वित्त विधेयक, 2021 (2021 का 15) के खंड 116 के अधीन उदग्रहणीय अतिरिक्त उत्पाद शुल्क (कृषि अवसंरचना और विकास उपकर) जो अनंतिम कर संग्रहण अधिनियम, 1931 (1931 का 16) के अधीन उक्त वित्त विधेयक में की गई घोषणा के आधार पर विधि का बल रखता है, अभिप्रेत है;

(ii) क्रम सं. 4 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम संख्यांक और उससे संबंधित प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :-

(1)	(2)	(3)
"4क.	<p>20% एथेनाल सम्मिश्रित पेट्रोल है जो ऐसा सम्मिश्र है,-</p> <p>(क) जो 80% मोटर स्पिट (सामान्यतः पेट्रोल के रूप में ज्ञात) जिसपर समुचित उत्पाद शुल्क का संदाय किया गया है और 20% एथेनाल, जिसपर यथास्थिति समुचित केन्द्रीय कर, राज्य कर, संघ राज्यक्षेत्र कर या एकीकृत कर का संदाय किया गया है, के परिणाम से मिलकर बनेगा ; और</p> <p>(ख) भारतीय मानक ब्यूरो विनिर्देशन 17021 के अनुरूप है ।</p> <p>स्पष्टीकरण --</p> <p>(क) समुचित उत्पाद शुल्क से तत्समय प्रवृत्त किसी सुसंगत छूट की अधिसूचना के साथ पठित केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की चौथी अनुसूची के अधीन उदग्रहणीय उत्पाद शुल्क, वित्त अधिनियम, 2018 (2018 का 13) की धारा 112 के अधीन उदग्रहणीय अतिरिक्त उत्पाद शुल्क, वित्त विधेयक, 2002 (2002 का 20) की धारा 147 के अधीन उदग्रहणीय विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क और वित्त विधेयक, 2021 (2021 का 15) के खंड 116 के अधीन उदग्रहणीय अतिरिक्त उत्पाद शुल्क (कृषि अवसंरचना और विकास उपकर) जो अनंतिम कर संग्रहण अधिनियम, 1931 (1931 का 16) के अधीन उक्त वित्त विधेयक में की गई घोषणा के आधार पर विधि का बल रखता है, अभिप्रेत है;</p> <p>(ख) समुचित केन्द्रीय कर, विक्रय कर, संघ राज्यक्षेत्र कर और एकीकृत कर से केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12), संबद्ध राज्य के राज्य माल और सेवा कर अधिनियम, संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर अधिनियम, (14 का 2017) 2017 और एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, (13 का 2017) 2017 के अधीन उदग्रहणीय केन्द्रीय कर, राज्य कर, संघ राज्यक्षेत्र कर और एकीकृत कर अभिप्रेत होगा ।</p>	शून्य
4ख.	<p>जो 15% मेथनाल सम्मिश्रित पेट्रोल है जो ऐसा सम्मिश्र है,-</p> <p>(क) जो मोटर स्पिट (सामान्यतः पेट्रोल के रूप में ज्ञात) जिसपर समुचित उत्पाद शुल्क का संदाय किया गया है और मेथनाल और सह-विलायक, जिसपर यथास्थिति समुचित केन्द्रीय कर, राज्य कर, संघ राज्यक्षेत्र कर या एकीकृत कर का संदाय किया गया है, के परिणाम द्वारा मिलकर बनेगा; और</p> <p>(ख) भारतीय मानक ब्यूरो विनिर्देशन आईएस 17076 के अनुरूप है ।</p>	शून्य"

	<p>स्पष्टीकरण --</p> <p>(क) समुचित उत्पाद शुल्क से तत्समय प्रवृत्त किसी सुसंगत ब्रूट की अधिसूचना के साथ पठित केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की चौथी अनुसूची के अधीन उदग्रहणीय उत्पाद शुल्क, वित्त अधिनियम, 2018 (2018 का 13) की धारा 112 के अधीन उदग्रहणीय अतिरिक्त उत्पाद शुल्क, वित्त विधेयक, 2002 (2002 का 20) की धारा 147 के अधीन उदग्रहणीय विशेष अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क और वित्त विधेयक, 2021 (2021 का 15) के खंड 116 के अधीन उदग्रहणीय अतिरिक्त उत्पाद शुल्क (कृषि अवसंरचना और विकास उपकर) जो अनंतिम कर संग्रहण अधिनियम, 1931 (1931 का 16) के अधीन उक्त वित्त विधेयक में की गई घोषणा के आधार पर विधि का बल रखता है, अभिप्रेत है;</p> <p>(ख) समुचित केन्द्रीय कर, विक्रय कर, संघ राज्यक्षेत्र कर और एकीकृत कर से केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12), संबद्ध राज्य के राज्य माल और सेवा कर अधिनियम, संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर अधिनियम, (14 का 2017) 2017 और एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, (13 का 2017) 2017 के अधीन उद्ग्रहणीय केन्द्रीय कर, राज्य कर, संघ राज्यक्षेत्र कर और एकीकृत कर अभिप्रेत होगा।</p>	
--	--	--

2. यह अधिसूचना 2 फरवरी, 2021 को प्रवृत्त होगी।

[फा. सं. 334/2/2021-टीआरयू]

राजीव रंजन, अवर सचिव

टिप्पण: मूल अधिसूचना सं. 28/2002-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तारीख 13 मई, 2002 संख्यांक सा.का.नि. 361(अ) तारीख 13 मई, 2002 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित की गई थी और अधिसूचना सं. 20/2017-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तारीख 3 जुलाई, 2017 द्वारा संख्यांक सा.का.नि. 823(अ) तारीख 3 जुलाई, 2017 द्वारा अंतिम संशोधन किया गया।

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st February, 2021

No. 04/2021-Central Excise

G.S.R. 86(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 5A of the Central Excise Act, 1944 (1 of 1944), read with sub-section (3) of section 147 of the Finance Act, 2002 (20 of 2002), the Central Government being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 28/2002-Central Excise, dated the 13th May, 2002, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 361(E), dated the 13th May, 2002, namely:-

1. In the said notification, in the Table,
 - (i) against S. No. 3, 4 and 5, in column (2), in Explanation 1, for the words, brackets and figures the following words, brackets and figures shall be substituted, namely: -

“appropriate duties of excise shall mean the duties of excise as leviable under the Fourth Schedule to the Central Excise Act, 1944 (1 of 1944), the additional duty of excise leviable under section 112 of the Finance Act, 2018 (13 of 2018), the special additional excise duty leviable under section 147 of the Finance Act, 2002 (20 of 2002) and the additional duty of excise (Agriculture Infrastructure and

Development Cess) leviable under clause 116 of the Finance Bill, 2021 (15 of 2021), which, by virtue of the declaration made in the said Finance Bill under the Provisional Collection of Taxes Act, 1931 (16 of 1931) has the force of law, read with any relevant exemption notification for the time being in force”;

- (ii) after S. No. 4 and the entries relating thereto, the following S. Nos and entries relating thereto shall be inserted, namely: -

(1)	(2)	(3)
“4A.	<p>20% ethanol blended petrol that is a blend, -</p> <p>(a) consisting, by volume, of 80% motor spirit (commonly known as petrol), on which the appropriate duties of excise have been paid and, of 20% ethanol on which the appropriate Central tax, State tax, Union territory tax or Integrated tax, as the case may be, have been paid; and</p> <p>(b) conforming to the Bureau of Indian Standards specification 17021.</p> <p><i>Explanation .-</i></p> <p>(a) appropriate duties of excise shall mean the duties of excise as leviable under the Fourth Schedule to the Central Excise Act, 1944 (1 of 1944), the additional duty of excise leviable under section 112 of the Finance Act, 2018 (13 of 2018), the special additional excise duty leviable under section 147 of the Finance Act, 2002 (20 of 2002) and the additional duty of excise (Agriculture Infrastructure and Development Cess) leviable under clause 116 of the Finance Bill, 2021 (15 of 2021), which, by virtue of the declaration made in the said Finance Bill under the Provisional Collection of Taxes Act, 1931 (16 of 1931) has the force of law, read with any relevant exemption notification for the time being in force;</p> <p>(b) appropriate Central tax, State tax, Union territory tax and Integrated tax shall mean the Central tax, State tax, Union territory tax and Integrated tax as leviable under the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the State Goods and Services Tax Act of the State concerned, the Union Territory Goods and Services Tax Act, 2017 (14 of 2017) and the Integrated Goods and Services Tax Act, 2017 (13 of 2017).</p>	Nil
4B.	<p>15% methanol blended petrol that is a blend, -</p> <p>(a) consisting of motor spirit (commonly known as petrol), on which the appropriate duties of excise have been paid and of methanol and co-solvents on which the appropriate Central tax, State tax, Union territory tax or Integrated tax, as the case may be, have been paid; and</p> <p>(b) conforming to Bureau of Indian Standards specification 17076.</p> <p><i>Explanation .-</i></p> <p>(a) appropriate duties of excise shall mean the duties of excise as leviable under the Fourth Schedule to the Central Excise Act, 1944 (1 of 1944), the additional duty of</p>	Nil”

	<p>excise leviable under section 112 of the Finance Act, 2018 (13 of 2018), the special additional excise duty leviable under section 147 of the Finance Act, 2002 (20 of 2002) and the additional duty of excise (Agriculture Infrastructure and Development Cess) leviable under clause 116 of the Finance Bill, 2021 (15 of 2021), which, by virtue of the declaration made in the said Finance Bill under the Provisional Collection of Taxes Act, 1931 (16 of 1931) has the force of law, read with any relevant exemption notification for the time being in force;</p> <p>(b) appropriate Central tax, State tax, Union territory tax and Integrated tax shall mean the central tax, State tax, Union territory tax and integrated tax as leviable under the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the State Goods and Services Tax Act of the State concerned, the Union Territory Goods and Services Tax Act, 2017 (14 of 2017) and the Integrated Goods and Services Tax Act, 2017 (13 of 2017).</p>	
--	---	--

2. This notification shall come into force on the 2nd February, 2021.

[F.No.334/2/2021-TRU]

RAJEEV RANJAN, Under Secy.

Note : The principal notification No. 28/2002-Central Excise, dated the 13th May, 2002 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 361(E), dated the 13th May, 2002 and last amended by notification No. 20/2017-Central Excise, dated the 3rd July, 2017 *vide* number G.S.R. 823(E), dated the 3rd July, 2017.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 फरवरी, 2021

सं. 05/2021-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क

सा.का.नि. 87(अ).— केन्द्रीय सरकार, वित्त अधिनियम, 2018 (2018 का 13) की धारा 112 के साथ पठित केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 5क की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर, कि लोकहित में यह करना आवश्यक है, 15% मेथेनॉल संमिश्रित पेट्रोल, जो ऐसा सम्मिश्र है

(क) मोटर स्प्रीट (सामान्यतः पेट्रोल के रूप में ज्ञात) जिस पर समुचित उत्पाद-शुल्क का संदाय किया गया है, और मेथेनॉल और सह-विलायक, जिसपर, यथास्थिति, समुचित केन्द्रीय कर, राज्य कर, संघ राज्यक्षेत्र कर या एकीकृत कर का संदाय किया गया है, के परिणाम से मिलकर बनेगा; और

(ख) भारतीय मानक ब्यूरो विनिर्देशन 17076 के अनुरूप है,

को वित्त अधिनियम, 2018 की पूर्वोक्त धारा के अधीन उस पर उद्ग्रहणीय अतिरिक्त उत्पाद शुल्क (सड़क और अवसंरचना उपकर) की संपूर्ण निधि से छूट प्रदान करती है।

स्पष्टीकरण- इस अधिसूचना के प्रयोजनार्थ-

(क) समुचित उत्पाद शुल्क से तत्समय प्रवृत्त किसी सुसंगत छूट की अधिसूचना के साथ पठित केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की चौथी अनुसूची के अधीन उद्ग्रहणीय उत्पाद शुल्क, वित्त अधिनियम, 2018 (2018 का 13) की धारा 112 के अधीन उद्ग्रहणीय अतिरिक्त उत्पाद शुल्क, वित्त विधेयक, 2002 (2002 का 20) की धारा 147 के अधीन उद्ग्रहणीय विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क और वित्त विधेयक, 2021 (2021 का 15) के खंड 116 के अधीन उद्ग्रहणीय अतिरिक्त उत्पाद शुल्क (कृषि अवसंरचना और विकास उपकर) जो अनंतिम कर संग्रहण अधिनियम, 1931 (1931 का 16) के अधीन उक्त वित्त विधेयक में की गई घोषणा के आधार पर विधि का बल रखता है, अभिप्रेत है; और

(ख) समुचित केन्द्रीय कर, राज्य कर, संघ राज्यक्षेत्र कर और एकीकृत कर से केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12), संबद्ध राज्य के राज्य माल और सेवा कर अधिनियम, संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 14) और एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 13) के अधीन उद्गृहणीय केन्द्रीय कर, राज्य कर, संघ राज्यक्षेत्र कर और एकीकृत कर अभिप्रेत होगा।

2. यह अधिसूचना तारीख 2 फरवरी, 2021 को प्रवृत्त होगी।

[फा. सं. 334/2/2021-टीआरयू]

राजीव रंजन, अवर सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st February, 2021

No. 05/2021-Central Excise

G.S.R. 87(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 5A of the Central Excise Act, 1944 (1 of 1944), read with section 112 of the Finance Act, 2018 (13 of 2018), the Central Government being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby exempts 15% methanol blended petrol that is a blend, -

(a) consisting of motor spirit (commonly known as petrol), on which the appropriate duties of excise have been paid and of methanol and co-solvents on which the appropriate Central tax, State tax, Union territory tax or Integrated tax, as the case may be, have been paid; and

(b) conforming to the Bureau of Indian Standards specification 17076,

from the whole of the additional duty of excise (Road and Infrastructure Cess) leviable thereon under the aforesaid section of the Finance Act, 2018.

Explanation. - For the purposes of this notification, -

(a) appropriate duties of excise shall mean the duties of excise as leviable under the Fourth Schedule to the Central Excise Act, 1944 (1 of 1944), the additional duty of excise leviable under section 112 of the Finance Act, 2018 (13 of 2018), the special additional excise duty leviable under section 147 of the Finance Act, 2002 (20 of 2002) and the additional duty of excise (Agriculture Infrastructure and Development Cess) leviable under clause 116 of the Finance Bill, 2021 (15 of 2021), which, by virtue of the declaration made in the said Finance Bill under the Provisional Collection of Taxes Act, 1931 (16 of 1931) has the force of law, read with any relevant exemption notification for the time being in force; and

(b) appropriate Central tax, State tax, Union territory tax and Integrated tax shall mean the Central tax, State tax, Union territory tax and Integrated tax as leviable under the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the State Goods and Services Tax Act of the State concerned, the Union Territory Goods and Services Tax Act, 2017(14 of 2017) and the Integrated Goods and Services Tax Act, 2017(13 of 2017).

2. This notification shall come into force on the 2nd February, 2021.

[F. No. 334/2/2021-TRU]

RAJEEV RANJAN, Under Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 फरवरी, 2021

सं. 06/2021-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क

सा.का.नि. 88(अ).—केन्द्रीय सरकार, वित्त अधिनियम, 2018 (2018 का 13) की धारा 112 के साथ पठित केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 5क की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, का समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, 20% एथेनॉल संमिश्रित पेट्रोल जो ऐसा सम्मिश्र है,-

- (क) जो 80% मोटर स्पिरिट (सामान्यता पेट्रोल के रूप में ज्ञात) जिस पर समुचित उत्पाद शुल्क का संदाय किया गया है और 20% एथेनॉल, जिस पर यथास्थिति, समुचित केन्द्रीय कर, राज्य कर, संघ राज्यक्षेत्र कर या एकीकृत कर, का संदाय किया गया है, के परिणाम द्वारा मिलकर बनेगा; और
- (ख) भारतीय मानक ब्यूरो विनिर्देशन 17021 के अनुरूप है,

को, वित्त अधिनियम, 2018 की पूर्वोक्त धारा के अधीन उस पर उद्घहणीय संपूर्ण अतिरिक्त उत्पाद शुल्क (सड़क और अवसंरचना उपकर), से छूट प्रदान करती है।

स्पष्टीकरण- इस अधिसूचना के प्रयोजनार्थ-

- (क) समुचित उत्पाद शुल्क से तत्समय प्रवृत्त किसी सुसंगत छूट की अधिसूचना के साथ पठित केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की चौथी अनुसूची के अधीन उद्घहणीय उत्पाद शुल्क, वित्त अधिनियम, 2018 (2018 का 13) की धारा 112 के अधीन उद्घहणीय अतिरिक्त उत्पाद शुल्क, वित्त विधेयक, 2002 (2002 का 20) की धारा 147 के अधीन उद्घहणीय विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क और वित्त विधेयक, 2021 (2021 का 15) के खंड 116 के अधीन उद्घहणीय अतिरिक्त उत्पाद शुल्क (कृषि अवसंरचना और विकास उपकर) जो अनंतिम कर संग्रहण अधिनियम, 1931 (1931 का 16) के अधीन उक्त वित्त विधेयक में की गई घोषणा के आधार पर विधि का बल रखता है, अभिप्रेत है; और
- (ख) समुचित केन्द्रीय कर, राज्य कर, संघ राज्यक्षेत्र कर और एकीकृत कर से केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12), संबद्ध राज्य के राज्य माल और सेवा कर अधिनियम, संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 14) और एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 13) के अधीन उद्घहणीय केन्द्रीय कर, राज्य कर, संघ राज्यक्षेत्र कर और एकीकृत कर अभिप्रेत होगा।

2. यह अधिसूचना तारीख 2 फरवरी, 2021 को प्रवृत्त होगी।

[फा. सं. 334/2/2021-टीआरयू]

राजीव रंजन, अवर सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st February, 2021

No. 06/2021-Central Excise

G.S.R. 88(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 5A of the Central Excise Act, 1944 (1 of 1944), read with section 112 of the Finance Act, 2018 (13 of 2018), the Central Government being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby exempts 20% ethanol blended petrol that is a blend, -

- (a) consisting, by volume, of 80% motor spirit (commonly known as petrol), on which the appropriate duties of excise have been paid and, of 20% ethanol on which the appropriate Central tax, State tax, Union territory tax or Integrated tax, as the case may be, have been paid; and
- (b) conforming to Bureau of Indian Standards specification 17021,

from the whole of the additional duty of excise (Road and Infrastructure Cess) leviable thereon under the aforesaid section of the Finance Act, 2018.

Explanation. - For the purposes of this notification, -

(a) appropriate duties of excise shall mean the duties of excise as leviable under the Fourth Schedule to the Central Excise Act, 1944 (1 of 1944), the additional duty of excise leviable under section 112 of the Finance Act, 2018 (13 of 2018), the special additional excise duty leviable under section 147 of the Finance Act, 2002 (20 of 2002) and the additional duty of excise (Agriculture Infrastructure and Development Cess) leviable under clause 116 of the Finance Bill, 2021 (15 of 2021), which, by virtue of the declaration made in the said Finance Bill under the Provisional Collection of Taxes Act, 1931 (16 of 1931), has the force of law read with any relevant exemption notification for the time being in force;

(b) appropriate Central tax, State tax, Union territory tax and Integrated tax shall mean the Central tax, State tax, Union territory tax and Integrated tax as leviable under the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the State Goods and Services Tax Act of the State concerned, the Union Territory Goods and Services Tax Act, 2017(14 of 2017) and the Integrated Goods and Services Tax Act, 2017 (13 of 2017).

2. This notification shall come into force on the 2nd February, 2021.

[F. No. 334/2021-TRU]

RAJEEV RANJAN, Under Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 फरवरी, 2021

सं. 07/2021-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क

सा.का.नि. 89(अ).—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 5क की उप-धारा (1) के साथ पठित वित्त अधिनियम, 2018 (2018 का 13) की धारा 112, वित्त अधिनियम, 2002 (2002 का 20) की धारा 147 की उपधारा (3) और वित्त विधेयक 2021 (2021 का 15) के खंड 116, जो अनंतिम कर संग्रहण अधिनियम, 1931 (1931 का 16) के अधीन उक्त वित्त विधेयक में की गई घोषणा के आधार पर विधि का बल रखता है, द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, उक्त सारणी के स्तंभ (3) में तत्स्थानी प्रविष्टियों में विनिर्दिष्ट विस्तार तक, नीचे दी गई सारणी के स्तंभ (2) में निर्दिष्ट भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की निम्नलिखित अधिसूचना का संशोधन करती है, अर्थात् :-

सारणी

क्रम सं.	अधिसूचना सं. और तारीख	संशोधन
(1)	(2)	(3)
1.	10/2018-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तारीख 2 फरवरी, 2018 जो भारत के राजपत्र, असाधारण में सा. का. नि. 136(अ) तारीख 2 फरवरी, 2018 द्वारा प्रकाशित है।	उक्त अधिसूचना में, - (i) प्रस्तावना में, "और वित्त अधिनियम, 2002 (2002 का 20) की धारा 147 की उपधारा (3)" शब्दों, कोष्ठकों और अंकों के स्थान पर "वित्त अधिनियम, 2002 (2002 का 20) की धारा 147 की उपधारा (3) और वित्त विधेयक, 2021 (2021 का 15) के खंड 116 के अधीन उदग्रणीय अतिरिक्त उत्पाद शुल्क (कृषि अवसंरचना और विकास उपकर), जो अनंतिम कर संग्रहण अधिनियम, 1931 (1931 का 16) के अधीन उक्त वित्त विधेयक में की गई घोषणा के आधार पर विधि का बल रखता है" शब्द, कोष्ठक और अंक रखे जाएंगे;

		(ii) सारणी में क्रम सं. 3 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियां जोड़ी जाएंगी, अर्थात् :-						
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>(1)</th> <th>(2)</th> <th>(3)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>4.</td> <td>अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क (कृषि अवसंरचना और विकास उपकर)</td> <td>वित्त विधेयक, 2021 (2021 का 15) के खंड 116 जो अनंतिम कर संग्रहण अधिनियम, 1931 (1931 का 16) के अधीन उक्त वित्त विधेयक में की गई घोषणा के आधार पर विधि का बल रखता है।”</td> </tr> </tbody> </table>	(1)	(2)	(3)	4.	अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क (कृषि अवसंरचना और विकास उपकर)	वित्त विधेयक, 2021 (2021 का 15) के खंड 116 जो अनंतिम कर संग्रहण अधिनियम, 1931 (1931 का 16) के अधीन उक्त वित्त विधेयक में की गई घोषणा के आधार पर विधि का बल रखता है।”
(1)	(2)	(3)						
4.	अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क (कृषि अवसंरचना और विकास उपकर)	वित्त विधेयक, 2021 (2021 का 15) के खंड 116 जो अनंतिम कर संग्रहण अधिनियम, 1931 (1931 का 16) के अधीन उक्त वित्त विधेयक में की गई घोषणा के आधार पर विधि का बल रखता है।”						
2.	11/2018-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तारीख 2 फरवरी, 2018 जो भारत के राजपत्र, असाधारण में सा. का. नि. 137(अ) तारीख 2 फरवरी, 2018 द्वारा प्रकाशित है।	उक्त अधिसूचना में, - “और वित्त अधिनियम, 2002 (2002 का 20) की धारा 147 के अधीन उदग्रणीय विशेष अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क” शब्दों, कोष्टकों और अंकों के स्थान पर”, वित्त अधिनियम, 2002 (2002 का 20) की धारा 147 के अधीन उदग्रणीय विशेष अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क और वित्त विधेयक, 2021 (2021 का 15) के खंड 116 के अधीन उदग्रणीय अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क (कृषि अवसंरचना और विकास उपकर), जो अनंतिम कर संग्रहण अधिनियम, 1931 (1931 का 16) के अधीन उक्त वित्त विधेयक में की गई घोषणा के आधार पर विधि का बल रखता है” शब्द, कोष्टक और अंक रखे जाएंगे।						
3.	12/2018-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तारीख 2 फरवरी, 2018 जो भारत के राजपत्र, असाधारण में सा. का. नि. 138(अ) तारीख 2 फरवरी, 2018 द्वारा प्रकाशित है।	उक्त अधिसूचना में, - “और वित्त अधिनियम, 2002 (2002 का 20) की धारा 147 के अधीन उदग्रणीय विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क” शब्दों, कोष्टकों और अंकों के स्थान पर”, वित्त अधिनियम, 2002 (2002 का 20) की धारा 147 के अधीन उदग्रणीय विशेष अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क और वित्त विधेयक, 2021 (2021 का 15) के खंड 116 के अधीन उदग्रणीय अतिरिक्त उत्पाद शुल्क (कृषि अवसंरचना और विकास उपकर), जो अनंतिम कर संग्रहण अधिनियम, 1931 (1931 का 16) के अधीन उक्त वित्त विधेयक में की गई घोषणा के आधार पर विधि का बल रखता है” शब्द, कोष्टक और अंक रखे जाएंगे।						
4.	13/2018-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तारीख 2 फरवरी, 2018 जो भारत के राजपत्र, असाधारण में सा. का. नि. 139(अ) तारीख 2 फरवरी, 2018 द्वारा प्रकाशित है।	उक्त अधिसूचना में, - “और वित्त अधिनियम, 2002 (2002 का 20) की धारा 147 के अधीन उदग्रणीय विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क” शब्दों, कोष्टकों और अंकों के स्थान पर”, वित्त अधिनियम, 2002 (2002 का 20) की धारा 147 के अधीन उदग्रणीय विशेष अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क और वित्त विधेयक, 2021 (2021 का 15) के खंड 116 के अधीन उदग्रणीय अतिरिक्त उत्पाद शुल्क (कृषि अवसंरचना और विकास उपकर), जो अनंतिम कर संग्रहण अधिनियम, 1931 (1931 का 16) के अधीन उक्त वित्त विधेयक में की गई घोषणा के आधार पर विधि का बल रखता है” शब्द, कोष्टक और अंक रखे जाएंगे।						

2. यह अधिसूचना 2 फरवरी, 2021 को प्रवृत्त होगी।

[फा. सं. 334/2/2021-टीआरयू]

राजीव रंजन, अवर सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st February, 2021

No. 07/2021-Central Excise

G.S.R. 89(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 5A of the Central Excise Act, 1944 (1 of 1944), read with section 112 of the Finance Act, 2018 (13 of 2018), sub-section (3) of section 147 of the Finance Act, 2002, (20 of 2002) and clause 116 of the Finance Bill, 2021 (15 of 2021), which, by virtue of the declaration made in the said Finance Bill under the Provisional Collection of Taxes Act, 1931 (16 of 1931), has the force of law, the Central Government being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby amends the following notifications of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) specified in column (2) of the Table below, to the extent specified in the corresponding entries in column (3) of the said Table, namely : -

TABLE

S. No.	Notification number and date	Amendments						
(1)	(2)	(3)						
1.	10/2018-Central Excise, dated the 2nd February, 2018, published in the Gazette of India, Extraordinary, <i>vide</i> number G.S.R. 136(E), dated the 2nd February, 2018.	<p>In the said notification, -</p> <p>(i) in the preamble, for the words, brackets and figures “and sub-section (3) of section 147 of the Finance Act, 2002, (20 of 2002)”, the words, brackets and figures “, sub-section (3) of section 147 of the Finance Act, 2002, (20 of 2002) and the additional duty of excise (Agriculture Infrastructure and Development Cess) leviable under clause 116 of the Finance Bill, 2021 (15 of 2021), which, by virtue of the declaration made in the said Finance Bill under the Provisional Collection of Taxes Act, 1931 (16 of 1931), has the force of law,” shall be substituted;</p> <p>(ii) in the TABLE, after S. No. 3 and the entries relating thereto, the following S. No. and the entries shall be added, namely: -</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>(1)</th> <th>(2)</th> <th>(3)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>“4.</td> <td>Additional Duty of Excise (Agriculture Infrastructure and Development Cess)</td> <td>Clause 116 of the Finance Bill, 2021 (15 of 2021), which, by virtue of the declaration made in the said Finance Bill under the Provisional Collection of Taxes Act, 1931 (16 of 1931), has the force of law.”.</td> </tr> </tbody> </table>	(1)	(2)	(3)	“4.	Additional Duty of Excise (Agriculture Infrastructure and Development Cess)	Clause 116 of the Finance Bill, 2021 (15 of 2021), which, by virtue of the declaration made in the said Finance Bill under the Provisional Collection of Taxes Act, 1931 (16 of 1931), has the force of law.”.
(1)	(2)	(3)						
“4.	Additional Duty of Excise (Agriculture Infrastructure and Development Cess)	Clause 116 of the Finance Bill, 2021 (15 of 2021), which, by virtue of the declaration made in the said Finance Bill under the Provisional Collection of Taxes Act, 1931 (16 of 1931), has the force of law.”.						
2.	11/2018-Central Excise, dated the 2nd February, 2018, published in the Gazette of India, Extraordinary, <i>vide</i> number G.S.R. 137(E), dated the 2nd February, 2018.	<p>In the said notification, -</p> <p>for the words, brackets and figures “and the special additional excise duty leviable under section 147 of the Finance Act, 2002 (20 of 2002)”, the words, brackets and figures “, the special additional excise duty leviable under section 147 of the Finance Act, 2002 (20 of 2002) and the additional duty of excise (Agriculture Infrastructure and Development Cess) leviable under clause 116 of the Finance Bill, 2021 (15 of 2021), which, by virtue of the declaration made in the said Finance Bill under the Provisional Collection of Taxes Act, 1931 (16 of 1931), has the force of law,” shall be substituted.</p>						

3.	12/2018-Central Excise, dated the 2nd February, 2018, published in the Gazette of India, Extraordinary, <i>vide</i> number G.S.R. 138(E), dated the 2nd February, 2018.	In the said notification, - for the words, brackets and figures “and the special additional excise duty leviable under section 147 of the Finance Act, 2002 (20 of 2002)”, the words, brackets and figures “, the special additional excise duty leviable under section 147 of the Finance Act, 2002 (20 of 2002) and the additional duty of excise (Agriculture Infrastructure and Development Cess) leviable under clause 116 of the Finance Bill, 2021 (15 of 2021), which, by virtue of the declaration made in the said Finance Bill under the Provisional Collection of Taxes Act, 1931 (16 of 1931), has the force of law,” shall be substituted.
4.	13/2018-Central Excise, dated the 2nd February, 2018, published in the Gazette of India, Extraordinary, <i>vide</i> number G.S.R. 139(E), dated the 2nd February, 2018.	In the said notification, - for the words, brackets and figures “the special additional excise duty leviable under section 147 of the Finance Act, 2002 (20 of 2002)”, the words, brackets and figures “, the special additional excise duty leviable under section 147 of the Finance Act, 2002 (20 of 2002) and the additional duty of excise (Agriculture Infrastructure and Development Cess) leviable under clause 116 of the Finance Bill, 2021 (15 of 2021), which, by virtue of the declaration made in the said Finance Bill under the Provisional Collection of Taxes Act, 1931 (16 of 1931), has the force of law,” shall be substituted.

2. This notification shall come into force on the 2nd February, 2021.

[F. No. 334/2/2021-TRU]

RAJEEV RANJAN, Under Secy.